खण्ड-126, अंक-3
गुरूवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1875
(27 अगस्त, 1953 ई0)

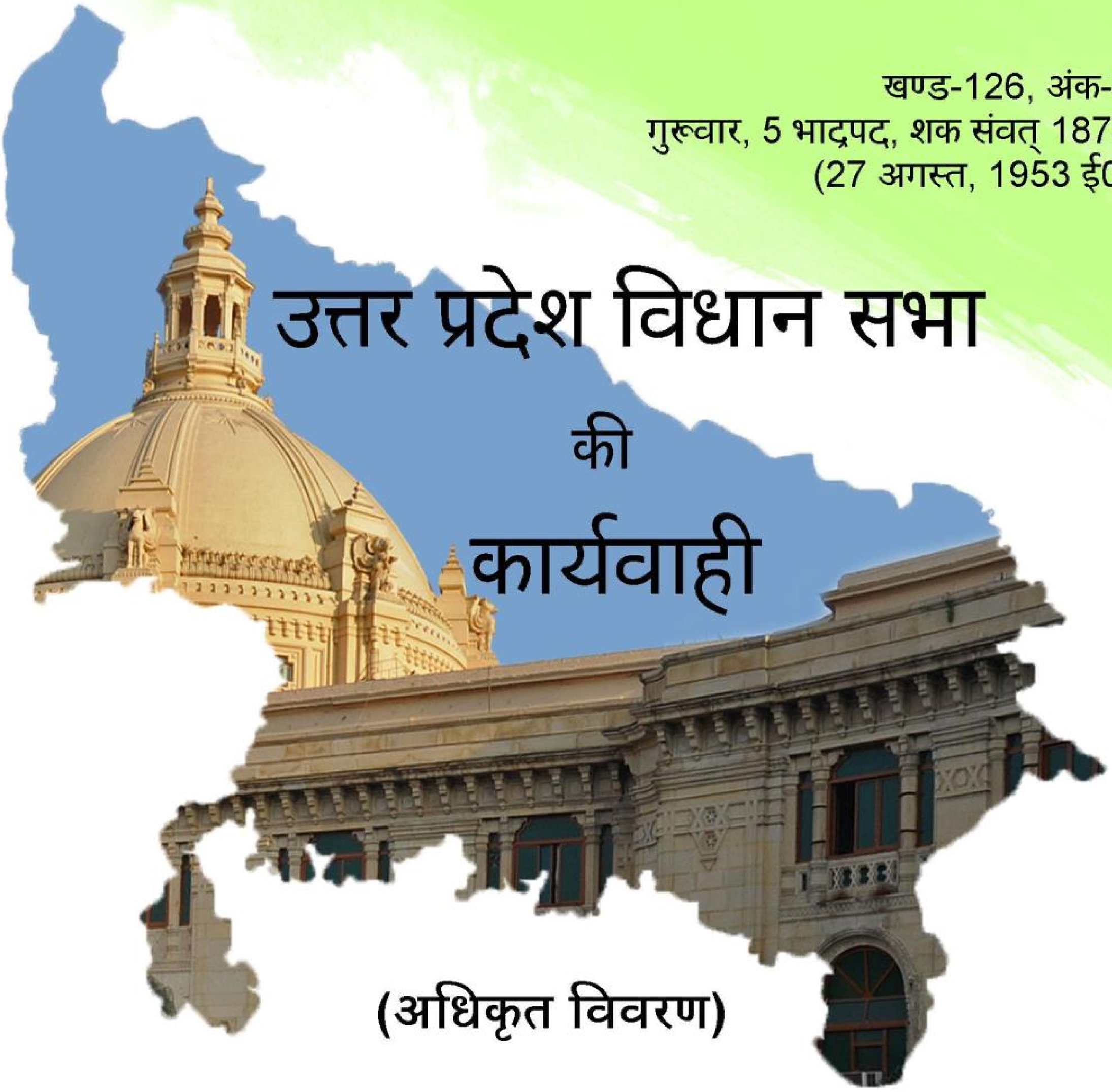

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 126 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ सख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९५३, (पुरः स्थापित तथा पारित)	१९३–२०८
कार्यसूची के क्रम बदलने पर आपत्ति	२०८
उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने का) विधेयक, १९५३ (पारित)	२०९–२२७
आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना	२२७–२२८
उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद जारी)	२२८–२३४
आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना	२३४–२३५
नत्थियां	२३६–२४१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९५३

विधान सभा की बैठक संभा-मंडप, लखनऊ में १० बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़याली राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीस सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मोतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अबील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री

श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद ,अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्राइमरी पाठशालाओं में प्रत्येक कक्षा का शिक्षा-शुल्क

*१—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि अपर प्राइमरी पाठशालाओं में प्रत्येक कक्षा का शिक्षा शुल्क बढ़ाने के लिये कोई आदेश सरकार ने जिला बोर्डों को दिया है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—प्राइमरी पाठशालाओं में पाठन-शुल्क बढ़ाने के संबंध में शासन ने कोई आदेश जिला परिषदों को नहीं दिया है। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतानेकी कृपा करेंगे कि क्या सरकार की तरफ से यह नियत है कि किस दर्जे में बोर्ड क्या फीस ले सकता है, यदि हाँ, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—एजुकेशन कोड में यह फीस दी हुई है।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे क्या विद्यार्थियों के दाखिला और खारजा की फीस भी होती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह इस समय याद नहीं है। अगर एजुकेशन कोड में माननीय सदस्य देखें तो उनको मालूम हो जायगा।

श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो फीस जिला बोर्ड बढ़ाता है उसके लिये क्या सरकार की स्वीकृति आवश्यक है, यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वीकृति दे दी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका उत्तर दिया गया है कि कोई स्वीकृति नहीं गयी।

तारांकित प्रश्न

नैनीताल तहसील में पब्लिक यूटीलिटी फंड का उपयोग

*१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि कुमायूं के पब्लिक युटीलिटी फण्ड से अभी तक नैनीताल तहसील की पट्टियों के अनेक ग्रामों के सिविल जंगलों का जमा रुपया उन ग्रामों की जनोपयोगी कार्यों में खर्च करने के हेतु सालों से नहीं दिया गया है ? अगर नहीं तो क्यों ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—यह बात सही नहीं है।

*२—श्री नारायण दत्त तिवारी—अगर उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नहीं में है, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन ग्रामों को उनका जमा रुपया जनोपयोगी कार्यों के हेतु वापस किया जा चुका है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सब ग्रामों को।

*३—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार उन ग्रामों के नाम बताने की कृपा करेगी कि जिनका रुपया अभी तक जमा है और वापिस नहीं किया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक यूटीलिटी फंड में नैनीताल की तहसील का कुल कितना रुपया जमा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका तात्पर्य किस सन् से है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—पिछले साल से।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सन् १९५१-५२ का एक लाख चवालीस हजार आठ सौ बासठ रुपया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार के पास जिला प्लानिंग कमेटी नैनीताल की तरफ से कोई प्रार्थनापत्र आया है जिसमें यह कहा गया है कि पब्लिक यूटिलिटी फंड में जो एकाउंट है वह एकाउंट उनको ट्रान्सफर कर दिया जाय।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जो नया गवर्नमेंट आर्डर निकला है उसके अनुसार वह रुपया ग्राम सभाओं के पर्सनल लेबर एकाउंट में चला जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पब्लिक यूटिलिटी फंड को खर्च करने का क्या तरीका रखा गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसके लिये एक पुराना जी० ओ० है जिसके अनुसार लेजिस्लेटिव असेम्बली का एक मेंम्बर जो उस क्षेत्र का होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक स्थानीय प्रतिनिधि उसको वितरित करते थे कि किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाय। अब एक नया जी० ओ० जारी हुआ है उसके अनुसार प्लानिंग अफसर हर प्रत्येक साल कार्यों का एक ब्योरा तैयार करेगा। वह ब्योरा कमिश्नर के द्वारा सरकार के पास आयेगा। मंजूर होने तथा कार्य प्रारम्भ होने के बाद वह उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देता रहेगा। रुपया ग्राम सभाओं के पर्सनल अकाउण्ट में ही जमा होगा। जो बचत होगी वह भी वहीं जमा होगी, वह केवल रिपोर्ट दिया करेगा।

अलीगढ़ जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना

*४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना इस वर्ष में किन किन स्थानों पर आरम्भ हो जायगी ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना इस वर्ष एटा, फर्रुखाबाद, पौड़ी गढ़वाल, सुल्तानपुर, तथा आगरा, देहरादून, टेहरीगढ़वाल, मिर्जापुर, सहारनपुर, बदायूं शाहजहांनपुर, इलाहाबाद और बस्ती में आरम्भ होगी।

*५—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ जिले में भी यह योजना आरम्भ होने जा रही है ? यदि हां, तो जिले का कौन सा क्षेत्र इसके लिये चुना गया है ?

श्री फूल सिंह—ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अगली छांट में कौन कौन से जिले कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना में शामिल किय जायेंगे और वे कब तक शामिल किये जा सकेंगे ?

श्री फूल सिंह—सरकार के सामने एक नई योजना और है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के नाम से, जिसमें लगभग हर जिले में एक केन्द्र खोल दिया जायगा और यह कार्यवाही शीघ्र ही हो जायगी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—यह नवीन योजना जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की है, क्या इसमें अलीगढ़ जिला शामिल किया जा रहा है ?

श्री फूल सिंह—जी हां।

श्री शिव मंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की किस तहसील में इसको लागू करने का विचार है ?

श्री फूल सिंह—यह मामला अभी विचाराधीन है।

डिवीज़नल कमिश्नर्स की जगहों को तोड़ देने का विचार

*६—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिविज़नल कमिश्नर्स (Divisional Commissioners) की जगहों को सरकार तोड़ देने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*७—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—यदि हां, तो कितने समय में उपर्युक्त विचार कार्यान्वित होगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रश्न नहीं उठता।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर ऐसा प्रस्ताव नहीं है तो सारी कमिश्नरियां तोड़ कर सिर्फ तीन ही क्यों कर दी गयीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वह तो कर दी गयीं, इस समय प्रस्ताव कोई और नहीं है।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि एडिशनल कमिश्नर्स के ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्यों कम कर दिये गये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इस संबंध में तो यहां काफी पहले भी बातें बतलाने की कोशिश की गयी। यह कहना कि उनके ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अन्तर हुआ, यह सही है मगर यह कि बिलकुल ही नहीं है, यह कहना सही नहीं होगा.। जहां तक हो इस बात की कोशिश की गयी है कि सरकार का काम जल्दी हो और उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा रखी जाय । सीधे ढंग से जिस बात की जिम्मेदारी उसकी है उसकी जवाबदेही उसकी रहे और उसको उस हद तक यह मौक़ा हो कि अपना काम कर सके । इसलिये बीच में कमिश्नरों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी , दोनों के बीच में तक्सीम रहने से काम में अड़चन होती थी और उसके अच्छी तरह स करने में भी दिक्क़त होती है । इस वजह से नये तरीक़े से अब फिर काम करने की कोशिश की गयी और यह भी मुनासिब समझा गया कि कमश्निरों की तादाद १० से ३ कर दी जाय।

तेल पेरने की मशीनों पर नियंत्रण

*८—**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि प्रान्त में तेल पेरने की मशीनों की वृद्धि हो रही है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—जी नहीं। पिछले चार पांच वर्षों से तेल पेरने की मशीनों में कोई वृद्धि नहीं हुई पर लड़ाई के दौरान में वृद्धि हुई थी।

*९—**श्री रामनरेश शुक्ल**—यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इसके परिणाम स्वरूप हजारों तेलियों के परिवार बेरोजगार हो गये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह प्रश्न नहीं उठता पर पिछली लड़ाई के दौरान में और उसके बाद जो तेल मिलों में वृद्धि हुई उसको प्रभाव तेलियों तथा उनके परिवारों पर अवश्य पड़ा।

*१०—**श्री रामनरेश शुक्ल**—क्या सरकार इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के हेतु इन मशीनों पर नियंत्रण करने की सोच रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—वर्तमान दशा में तेल मिलों में वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है, फिर भी उन पर नियंत्रण की दृष्टि से लाइसेंसिंग योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस समय तेल के मिलों की संख्या कितनी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—करीब २०० के हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि यह तेल की घानी का उद्योग कुटीर उद्योग में आता है या नहीं ?

उद्योग मंती (श्री हकुम सिंह)—आता है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस प्रान्त में इस तेल घानी के उद्योग पर कितने तेलियों का भरण पोषण होता था ?

श्री हकुम सिंह—करीब डेढ़ लाख के।

*११-१३-श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--[१० सितम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किये गये]।

गन्ने के दाम के भुगतान में छूट

*१४--श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अप्रैल, सन् १९५२ के अन्त में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को अपनी मिलें चालू रखने के हेतु गन्ने के दाम के भुगतान में कुछ छूट (Rebate) देने का आदेश दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन चीनी मिलों को छूट मिली थी और इस प्रकार से छूट पाने पर मिलों को कितना रुपया बचा?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--अप्रैल, सन् १९५२ के अन्त में प्रदेश की जिन चीनी मिलों को अपनी मिलें चालू रखने के लिए गन्ने के मूल्य में जो छूट दी गयी थी तथा जिस तारीख से दी गयी थी, उसका विवरण संलग्न है। इस प्रकार से छूट पाने पर मिलों को ४,०३,८८७ रु० कम देना पड़ा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ट २३६ पर।)

*१५--श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या सरकार ने १ मई, १९५२ ई० से कुछ चीनी मिलों को और अधिक छूट मिलने का पुनः आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की एक प्रति मेज पर रखेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--१ मई, १९५२ से गन्ने का न्यूनतम मूल्य चीनी प्राप्त की मात्रा के अनुसार निर्धारित हुआ था। आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३६-पर।)

श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जो सूची छूट की दरों में दी गयी है, उसमें काशीपुर मिल में २ आना प्रति मन की दर से दी गयी है और दौराला मिल में ६ आना प्रतिमन। यह किस आधार पर दी गयी है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जैसा कि बताया जा चुका है कुछ गन्नों में बीमारी लग गयी थी, अप्रैल में जो छूट दी गयी थी, वह उसके लिहाज से थी और मई वाली छूट चीनी की प्राप्ति के लिहाज से थी उसमें ८.६ के नीचे जिस हिसाब से आती रही उसी हिसाब से दाम मुकर्रर किये गये थे?

श्री इस्तफ़ा हुसैन --क्या यह सही नहीं है कि यह जो अप्रैल में छूट दी गयी थी, वह इस वजह से कि किसानों के काफी दाम गन्ने के रह गये थे?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी नहीं।

श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उसी साल यानी मार्च, सन् १९५२ में जो रियायत दी गयी थी वह यह थी कि १२ आना प्रतिमन बाद में दाम दिया जायगा?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--मई में तो ऐसा जरूर था इस लिए कि जो हर हफ्ते में चीनी हासिल करने का प्रोपोर्शन था वह पता चलता था तो उस लिहाज से बाद में उनको देने के लिए कहा गया था?

श्री इस्तफ़ा हुसैन--यह मार्च, सन् १९५२ में छूट देने की बात है, क्या उस समय भी रिकवरी का सवाल पैदा हो गया था?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---मार्च, सन् १९५२ में तो रोग की वजह से छुट दी गयी थी।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि अप्रैल और मई, १९५२ में जो दाम में कमी का आदेश था, वह इस वर्ष भी, इस सीजन में भी चालू रहा है ?

श्री हुकुम सिंह---रिकवरी अगर लागू होगी तो।

पेटिशन विभाग पर व्यय

*१६-श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेटिशन अफ़सर के जिम्मे क्या क्या काम हैं, उसके विभाग में कितने कर्मचारी हैं तथा इस विभाग पर कितना रुपया वार्षिक व्यय होता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जनता की ओर से आये हुए आवेदनपत्रों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर शुरू की कार्यवाही करना पेटिशंस आफिसर का मुख्य काम है। इसके अलावा वे सेक्रेटेरियट का फुटकर काम भी जरूरत के मुताबिक करते हैं जैसे कि अधिक स्टाफ की मांगों की जांच।

उनके विभाग में १ असिस्टेंट सुपरिण्टेंडेंट, २ अपर-डिवीजन असिस्टेंट, ६ लोअर-डिवीजन असिस्टेंट, १ स्टेनोग्राफर और ४ चपरासी हैं।

पिटीशन्स आफिसर तथा उनके विभाग के कर्मचारियों के वेतन आदि में १९५२-५३ में लगभग २७,००० रु० का व्यय हुआ है। १९५३-५४ में भी लगभग इतना ही व्यय अनुमान किया जाता है।

*१७-श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सचिवालय में पेटिशन अफसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---कोई विशेष नियम नहीं हैं।

सलेमपुर तहसील के रामपुर बुजुर्ग ग्राम में आम के पेड़ों का काटा जाना

*१८-श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)---क्या यह सच है कि सलेमपुर तहसील के रामपुर बुजुर्ग नामक ग्राम में आम के बगीचे काटे जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं। केवल तीन आम के पेड़ काटे गये हैं और इन पेड़ों के काटने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

*१९-श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या वन रक्षा कानून इस तहसील एवं ग्राम में लागू नहीं है, यदि हां तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस तहसील में वन रक्षा कानून लागू है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिनके ऊपर यह कार्यवाही हो रही है उनका क्या नाम है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

जिला अल्मोड़ा के सहकारी संघों में ख़यानत

*२०--श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार जिला अल्मोड़ा के ऐसे सहकारी संघों (मय खयानत की रकम के) की फेहरिस्त मेज पर रखने की कृपा करेगी जो अप्रैल, १९५२ में ख़यानत के दोषी थे ?

सहकारिता उपमन्त्री (श्री मंगला प्रसाद)--अप्रैल, १९५२ में जिन संघों में ख़यानत किये गये हैं उनकी सूची मय खयानत की पूंजी के संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४१ पर) ।

*२१--श्री भूपाल सिंह खाती--क्या सरकार बतायेगी कि कितने ऐसे व्यक्तियों पर अदालती कार्यवाही की जा रही है जो इस खयानत के लिए जुर्मदार हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--२७ व्यक्तियों पर अदालती कार्यवाही की जा रही है ।

*२२--श्री भूपाल सिंह खाती--जो कुछ कार्यवाही अब तक की गयी उसके फलस्वरूप कितना धन अब तक वसूल हो सका ?

श्री मंगला प्रसाद--अब तक १३,७६७ रु० ६ आ० ९ पा० वसूल हो चुके हैं ।

श्री भूपाल सिंह खाती--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ५१ हजार की ख़यानत जो अभी तक हुई है जिन कर्मचारियों के कार्यकाल में यह हुई है उनके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही की गयी ?

श्री मंगला प्रसाद--अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री भूपाल सिंह खाती--क्या सरकार यह बतलायेगी कि ऐसे कर्मचारियों के कार्यकाल की जांच की जायगी और उनके ऊपर कोई अनुशासन की कार्यवाही की जायगी ?

श्री मंगला प्रसाद--जांच जरूर की जायगी और अगर गलती पायी जायगी तो उनके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही होगी ।

नैनीताल ज़िले के रामनगर डिबीज़न में जंगलों में आबाद गांव

*२३-श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनी ताल के रामनगर डिवीजन के कोटा रेंज में रामपुर लेटी चुपड़ा गांव जंगलात के अन्दर आबाद हैं ? यदि हां तो कब से आबाद हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां लेटी सन् १९२२ से, रामपुर सन् १९३२ से और चोपडा सन् १०३३ से ।

*२४--श्री खुशी राम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस गांव को जंगल से खारिज करने की बाबत अनेक दरख्वास्त भूमिहीनों को पड़ी थीं ? यदि हां तो उनमें क्या कार्रवाई हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इन गांवों को बन से विच्छेद करने के लिए सन् १९४७ में केवल रामपुर टोंगिया वालों ने प्रार्थना पत्र दिये थे किन्तु गांव चारों ओर से सुरक्षित बन से घिरे होने के कारण इनको सुरक्षित बन से विच्छेद करना उचित नहीं समझा गया ।

नोट--तारांकित प्रश्न २३ व २४ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या उन गांव वालों को जंगलों में बसने की इजाजत देने के लिए जंगलात विभाग ने कोई शर्तें लगा रक्खी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी— वह टौंगिया सिस्टम पर दी जाती हैं वह काश्तकारी के पट्टे नहीं होते बल्कि इकरारनामे होते हैं जिनमें उन्हें बन लगाना पड़ता है और जब तक पौधे बड़े नहीं होते उस वक्त तक खेती करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि टौंगिया सिस्टम उन्हीं गांवों के लिये हैं या उसमें और गांव भी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह बहुत से डिवीजनों में है वह सारे प्रान्त में है सहारनपुर और बहराइच वगैरह के डिवीजनों में है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि टौंगिया सिस्टम के अनुसार भूमिहीन लोग इन जमीनों को आबाद करते हैं और कुछ ही दिनों में फिर उन लोगों को उसे छोड़ कर भागना पड़ता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो वह लोग दूसरी जगह बसाये जाते हैं और उनसे शर्तें लिखा ली जाती हैं। वह पहले खेती करते हैं और जंगल बन जाने पर फिर वह उस जगह को खाली कर देते हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि टौंगिया प्रथा के अनुसार वन लगाने का आदेश गोरखपुर और देवरिया में भी लागू है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो सभी स्थानों के लिए है लेकिन जहां पर काश्तकार शर्तों को मान लेते हैं कि वह कभी भी खाली करने की आज्ञा पर उज्रदारी नहीं करेंगे वहां उन्हें जमीन दे दी जाती है।

श्री गेंदा सिंह—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि देवरिया जिले में इस रीति के अनुसार वन लगाने के लिए जिन लोगों को जमीन दी गयी थी वह अब उस जमीन के काश्तकार बनना चाहते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—खास तौर से देवरिया के बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इस तरह की अड़चनें और मांगें हर जगह हुआ करती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार इस सिस्टम में निहित अन्याय को देखते हुए इस सिस्टम को अब खत्म करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—टौंगिया सिस्टम समाप्त किया जा सकता है लेकिन जहां पर काश्तकार लालायित होते हैं कि कुछ समय के लिए हम अन्न उपजाना चाहते हैं तो उन को विशेष तौर से यह रियायत दे दी जाती है।

तहसील खलीलाबाद (बस्ती) के मेहदावल कछार में वन लगाने की योजना

*२५—**श्री राजा राम शर्मा** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद (बस्ती) के मेहदावल कछार में बन लगाने के लिए कुछ जमीन सुरक्षित की गयी है ? वह कितनी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी वन लगाने की कोई योजना नहीं है। ठीक ठीक क्षेत्रफल मालूम नहीं है क्योंकि अभी हदबन्दी नहीं हुई है।

नोट—तारांकित प्रश्न २५ श्री शिवनारायण ने पूछा।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कछार क्षेत्र में कोई सर्वे कराया गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह एक बड़ा वन है जिसका नाम मेहदावल है और इसी के अन्तर्गत कछार है। पूरे का क्षेत्रफल तो मालूम है लेकिन उसमें कछार कितना है उस का अभी सर्वे हो रहा है।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सर्वे कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मेरा अनुमान यह है कि यह इस साल हो ही जायगा।

लाहौर षडयंत्र केस के बन्दी श्री महाबीर सिंह के आश्रितों को सहायता

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि लाहौर षडयन्त्र केस के बन्दी और स्वर्गीय भगत सिंह के अन्यतम सहयोगी इटावा निवासी श्री महाबीर सिंह जो अण्डमान के पोर्टब्लेयर सेलुलर जेल में अनशन से मरे थे के आश्रितों को कोई सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र इस सम्बन्ध में नहीं आया और जहां तक मालूम है श्री महाबीर सिंह का कोई आश्रित जहां के वे निवासी थे अब नहीं हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके किसी आश्रित की ओर से दरख्वास्त आने पर अब भी आप विचार करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जहां तक मालूम हुआ है उनका कोई आश्रित है नहीं। वह बिना शादी के मर गये थे। उनके कोई बच्चा नहीं है और उनकी कोई बेवा नहीं है। उनके बाप मर गये और उनकी मां उनके भाई के साथ राजस्थान में रहती हैं। भाई वैद्य हैं और वेतन पाते हैं। उनकी जमीन भी यहां पर है। अगर उनका कोई असली आश्रित होगा तो फिर ग़ौर किया जायगा।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज भी श्री नारायण दत्त तिवारी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है उसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं। कारण मैंने उसका बतला दिया था कि युनिवर्सिटी के इन्तजाम के सम्बन्ध में कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

२६ अगस्त, १९५३, की कार्यसूची की मद १० में श्री दलभृंगार दुबे के सम्बन्ध में छपे 'मृत्यु' शब्द का स्पष्टीकरण

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, कल पांच बजे के बाद जो वाद-विवाद हुआ उसका जिक्र अजेंडे में इस प्रकार है कि "गाजीपुर के श्री दलभृंगार दुबे पर १५ व्यक्तियों द्वारा सांघातिक आक्रमण के फलस्वरूप उनकी मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा..." इत्यादि, इत्यादि।

इससे, मुझे मालूम हुआ, कई माननीय सदस्यों को भ्रम हो गया कि श्री दलभृंगार दुबे जी का देहांत हो गया। जब कल मैं बोला तो मैंने इतना ही कहा कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। इससे भ्रम दूर नहीं हुआ। मैं केवल इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुबे जी को चोट जरूर लगी परन्तु भगवान की कृपा से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वह इस समय अस्पताल में हैं और ऐसी आशा करते हैं कि वह एक महीने में अच्छे भी हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में जो गलती हुई है वह दुरुस्त कर दी जायगी। मैंने उसकी जांच की। इसमें कोई दोष विरोधी दल का नहीं है और न सरकार की तरफ से किसी का दोष है। दोष मेरे ही विभाग का है और इसलिये मुझे थोड़ा सा अफसोस है। वह इसलिये हुआ कि प्रश्न में 'डाइंग डेक्लेरेशन' शब्द आया था और उत्तर में भी डाइंग डेक्लेरेशन शब्द आया था और कहीं पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि मृत्यु हुई या नहीं हुई। जो लोग कानून नहीं जानते हैं उनकी समझ में उसी व्यक्ति का वक्तव्य डाइंग डेक्लेरेशन कहा जाता है जो वास्तव में बाद में मर ही गया हो। इस भ्रम से उक्त शब्द लिख दिये गये।

जब माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा था कि वह अस्पताल भेजे गये और उसके बाद कुछ नहीं कहा तो मुझे संदेह हुआ। मैंने अपने दफ्तर से पूछा कि मृत्यु हुई या नहीं तो उन्होंने कहा कि हुई है। तो मैं उसके ऊपर खामोश रह गया। उसका स्पष्टीकरण नहीं करा सका। बाद में जांच करने से पता चला कि वह व्यक्ति मरा नहीं है और ग़लती शब्द 'डाइंग डेक्लेरेशन' की वजह से हुई। इसलिए किसी माननीय सदस्य का इसमें दोष नहीं है। इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। मैं एजेण्डे के शब्दों को दुरुस्त करा दूंगा।

*१९५० ई० के उत्तर प्रदेश निजी जंगल संरक्षण नियमों के अंतर्गत वन विभाग की विज्ञप्ति में प्रकाशित संशोधन

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की उपधारा (३) (ग) के अनुसार १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जंगल संरक्षण नियमों में बन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२८७/१४-३०५-५२, दिनांक १३ जून, १९५३ ई०, के अधीन प्रकाशित संशोधनों को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—अगर जनाब इजाजत दें और मुझे जरूरत होगी तो मैं तीसरे पहर की सिटिंग में बिक्रीकर बिल को पेश कर दूंगा।

†आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तथा श्री नारायण-दत्त तिवारी के संशोधन पर कि उपर्युक्त विधेयक एक महीने के भीतर जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय, विवाद जारी रहेगा। माननीय सीताराम शुक्ल अपना भाषण जारी रखें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दस मिनट के अन्दर अपनी स्पीच को समाप्त करना है।

श्री अध्यक्ष—दस ग्यारह मिनट आप कल बोले थे।

---

* छापा नहीं गया।

† ७ अगस्त, १९५३, की कार्यवाही में छपा है।

श्री सीताराम शुक्ल——आपने करेक्ट कर दिया। दस नहीं बल्कि नौ समझिये। इसलिये मैं सब पहलुओं पर नहीं बोलूंगा। जिसको अर्ज कर रहा था उसी को स्पष्ट करके अपनी स्पीच को समाप्त करूंगा।

मैं कल अर्ज कर रहा था कि लोगों को गलतफहमी हो गयी है धर्म के मामले पर और उसका कारण भी है। धर्म के नाम पर कत्लेआम हुआ। आदमी ने आदमी को कत्ल किया। धर्म का चित्र बहुत बुरा सामने आया। ऐसी हालत में अगर कोई नौजवान यह कहे कि यह बड़ी खतरनाक चीज है। इसको खत्म करो तो वह कह सकता है। कोई शिकायत की बात नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि धर्म कत्ल करने के लिये नहीं कहता है।

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।"

धर्म लड़ाई नहीं सिखाता, धर्म तो सुलह कराता है।

श्री अध्यक्ष——लेकिन धर्म के ऊपर विवाद नहीं है, विधेयक पर आप जरा व्याख्यान दें।

श्री सीताराम शुक्ल——मेरी गुजारिश यह है कि विधेयक में जो धार्मिक शिक्षा का जिक्र था उस पर एतराज किया गया था और यह कहा गया था कि धर्म तो शिक्षा में आ ही नहीं सकता, यह तो विधान के विरुद्ध है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर उसे शिक्षा में स्थान नहीं दिया जायगा तो पढ़ने लिखने का मकसद खत्म हो जायगा। शिक्षा का महज यही मकसद नहीं है कि दर्जा मिल जाय, सार्टिफिकेट हासिल हो जाय। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इस सम्बन्ध में अपने माइंड को जरा साफ कर लें।

मेरी गुजारिश यह है कि जहां पर ऐसे कत्लेआम शुरू हुए वहां पर यह भी याद रहे कि हिन्दुस्तान में भी हिन्दुओं ने बहुत से मुसलमानों को बचाया और अपने घरों में जगह दी और बाद में उनको आराम की जगह पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में भी जहां पर हिन्दू घिर गये थे, मुसलमानों ने उनको अपने घरों में पनाह दी और सिक्खों को भी अपने घरों में रखा, उनको हवाई जहाज तक पहुंचाया, दिल्ली तक जाकर छोड़ा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मजहब, धर्म, रोड़े नहीं अटकाता, बल्कि सहायता देता है, सहूलियत पहुंचाता है। अध्यक्ष महोदय, धर्म का यह कहना है कि "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत्" अर्थात् जो बात अपनी आत्मा को अच्छी न लगे वह बर्ताव दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस्लाम मजहब क्या कहता है?

श्री अध्यक्ष——आप धर्म के ऊपर व्याख्यान न दें। विधेयक में जो आपत्ति की गयी है कि वह संविधान के विरुद्ध है तो आप कोई संविधान की धारा पेश करते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री सीताराम शुक्ल——मेरी गुजारिश है कि संविधान में, मैं आपसे कह चुका हूं कि इसी पर आपत्ति हुई थी और हमारे नौजवानों को डर है कि धर्म का नाम सेकुलर गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए वर्ना वह सेकुलर नहीं रहेगी। वह धर्म के नाम पर एतराज करते हैं। वह यह समझते हैं कि धर्म का नाम लिया और वह..

श्री अध्यक्ष——मैं आपको धर्म पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल——अगर इजाजत नहीं है तो मैं कल अन्य पहलू पर बोल चुका हूं। आज अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें अवसर देने की कृपा कीजिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह समझता हूं कि जो विधेयक हमारे समक्ष है उसके द्वारा शिक्षा की परिपाटी में या उसके सिद्धान्तों में कोई ऐसा मालिक परिवर्तन नहीं हो रहा जिसके लिए कि उसको जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय। वैसे भी आगरा यूनीवर्सिटी की चर्चा काफी समय से हो रही है जब से वाइस चांसलर का एक साल का टर्म बढ़ाया गया उसके उपरान्त यह बिल भी काफी समय से लोगों के सामने है और जो संबंधित व्यक्ति या संस्थाएं हैं उन्होंने इस पर काफी टीका टिप्पणी भी की है। इस कारण इसमें जनमत संग्रह करने में कोई विशेष लाभ नहीं होगा और न सिद्धान्त का ही कोई सवाल पैदा होता है। बिल जो लाया गया है वह इस कारण से लाया गया है कि आगरा यूनिवर्सिटी के विधान में कुछ ऐसी त्रुटियां रहीं कि जिनके कारण कि वहां शिक्षा दूषित हुई, उसका स्तर नीचे गिरा और वहां पर और बहुत सी बुराइयां पैदा हो गयीं, जिसकी हम लोग चर्चा बहुत काफी समय से सुन रहे हैं। अगर मैं उनका थोड़ा सा परिचय दूं तो कह सकता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी में शिक्षा एक सत्ता हथियाने और पैसा कमाने का माध्यम बन गया है और टीचर पालिटीशियंस और एजूकेशन शाप्स दो चीजें हमारी आगरा यूनिवर्सिटी की विशेषताएं हो गयी हैं। टीचर पालिटीशियंस अपनी सत्ता के चक्कर में रहते थे। एजुकेशन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रह गया है इसके सम्बन्ध में सम्पूर्णानन्द कमेटी के सामने यह बयान दिया गया है कि "Agra University has become a house of intrigue and free from all scholarship"

[आगरा यूनीवर्सिटी षड़यन्त्र का घर और विद्वत्तारहित बन गयी है।]

इसी तरह से जो एजुकेशन शाप्स बनी वह ऐसी थी कि अगर वह शाप्स ही होती तो भी कोई बुराई की बात नहीं थी, वह जो माल देतीं वह तो कम से कम शुद्ध होता लेकिन सो भी नहीं हुआ। जो शिक्षा दी जाती थी वह भी एडल्टरेटेड टाइप की थी जिसकी वजह से आज उसका स्तर बराबर गिरता जा रहा है और इसका परिणाम यह हुआ कि सिर्फ फीस की आमदनी कुछ लोगों की जीविका का साधन बन गयी है। इसके लिये बहुत से कालेजेज खुले। एग्जामिनरशिप का भी यही हाल है कि वह भी एक प्राफिट मेकिंग चीज हो गई। सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ कालेजेज की सत्ता इसी पर आधारित है कि वह एग्जामिनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। इस तरह की चीजें हमारी आगरा यूनीवर्सिटी में बराबर होती आयीं। इन दोषों को दूर करने के लिये ही यह बिल आपके समक्ष रखा गया है और मैं समझता हूं कि हम इसी दृष्टि से इस पर विचार करें। एक इस सम्बन्ध में जानने की बात यह भी है कि जिन सिद्धान्तों की युनिवर्सिटी के प्रशासन में, ऐडमिनिस्ट्रेशन में बराबर दुहाई दी जाती है उनका यहां निर्बाध पालन हुआ। आटोनामी और डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से आगरा यूनिवर्सिटी में रही, इसमें किसी ने किसी तरह का कोई हस्तक्षेप कभी नहीं किया यहां तक कि जो इंस्पेक्शन का अधिकार था उसका भी प्रयोग कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी इस माने में रही कि यहां पर एलेक्शन से ही यहां की सब संस्थायें चुनी गईं। वाइस चांसलर, एक्जीक्यूटिव कौंसिल, एकेडेमिक बोर्ड ये जितनी संस्थायें थीं प्रबन्धक और शासक, उन सबका एलेक्शन निर्बाध रूप से हुआ और युनीवर्सिटी के ही जरिये से हुआ। फिर भी यह सब दोष जिनको मैंने बतलाया सब वहां फूले फले और पनपे। तो फिर हम क्या सोचें जब आज फिर उसी एटानामी की बात कही जाती है ? दूसरी बात एक यह भी कही जाती है कि टीचर्स का रिप्रिजेंटेशन कम होता जाता है या दूसरों का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। टीचर्स का भी आधिपत्य इन संस्थाओं में बराबर रहा।

एटानामी रही और टीचर्स का आधिपत्य रहा। फिर भी जो इस वृक्ष में फल लगे वह सर्वथा दूषित रहे। इस तरह से आज इन्हीं सिद्धान्तों का जिनकी दुहाई दी जाती है, अतिक्रमण होकर आज आगरा युनिवर्सिटी में शिक्षा की यह दशा हुई। फिर क्या इस गवर्नमेंट को जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है? एटानामी कोई सेक्रेड चीज नहीं है। एटानामी तो इसके लिये है कि साधारणतः हम उसके प्रबन्ध में जिसकी जिम्मेदारी दी गयी है या सेवा सुपुर्द की गई है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि वह सेवा जो कि जनता ने उसके ऊपर डाली है वह ठीक से वह करे। अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि किसी तरह का हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, तो कल को अस्पताल में किसी तरह का हस्तक्षेप न करने के लिये डाक्टर्स कह सकते हैं, जो कार्पोरेशन बने हुए हैं उनमें इंजीनियर्स कह सकते हैं कि इसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह सिद्धान्त तो किसी प्रकार उचित नहीं मालूम पड़ता। आगरा यूनीवर्सिटी की आटोनामी में किसी तरह का हस्तक्षेप अभी तक नहीं किया गया लेकिन आज जब वहां की जो अवस्था हो गई उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। उसके लिये इस सदन के जरिये से कुछ संशोधन किये जायं, इस विचार से मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को देखा जाय तो हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिये और मैं समझता हूं कि इसका स्वागत जहां तहां हुआ भी है। इसके हर एक प्रविजन से और हर एक सेक्शन से सब सहमत नहीं हैं। मैंने भी उसमें कुछ अमेंडमेंट भेजे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम देखें कि कुछ दोष दूर करने के लिये वह बिल लाया गया है तो हमको बहुत सी उन बातों की तरफ नहीं जाना होगा जो कि इस डिबेट में आयी हैं। मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमको यह भी देखना चाहिये कि अगर एक वर्ग की प्रिडोमिनेंस के कारण कुछ दोष आ गये हैं और अगर हम उसका इलाज करते हैं तो हम इसका ध्यान रखें कि किसी दूसरे वर्ग का वैसा ही प्रिडामिनेंस न आ जाय। अगर टीचर्स का प्रिडोमिनेंस होने की वजह से विकास रुक गया था तो अब नान टीचर्स का भी प्रिडामिनेंस नहीं होना चाहिये। इसका सन्तुलन उसमें अवश्य रहना ही चाहिये। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे एक्जिक्यूटिव कौंसिल है, इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि अब भी जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल बनी है उसमें टीचर्स की प्रिडोमिनेन्स रहेगी। दूसरी बात यह है कि यह भी सम्भव है कि इस कांस्टिट्यूशन के अनुसार सरकार जिस व्यक्ति को चाहे उसको ही वाइसचांसलर नियुक्त करे और दूसरों का उसमें चांस ही न हो, इस तरह की भी शंकाएं हैं। तो इस दृष्टि से भी इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। लेकिन यह चीज कि जिस तरह से राधाकृष्णन कमीशन ने इस बारे में सुझाव दिये हैं, उन्होंने अव्वल तो अफिलिएटिंग युनिवर्सिटीज का कोई स्थान ही महत्वपूर्ण नहीं समझा, वे समझते हैं कि अफिलिएटिंग युनिवर्सिटीज महज एक्जामिनिंग बाडीज है, और वे कोई सेवा नहीं करती हैं उसमें जो उन्होंने सिनेट का कांस्टिट्यूशन रखा है उसमें उन्होंने ४० प्रतिनिधि अफिलिएटिंग कालेजेज के, ४० युनिवर्सिटीज के और ४० आउटसाइडर्स रखे हैं। यहां युनिवर्सिटी के रेप्रिजेंटेटिव तो हैं ही नहीं, यहां जो केवल आफिलिएटेड कालेजेज हैं वही यूनिवर्सिटी कांस्टिट्यूट करते हैं। आगे जब यूनिवर्सिटी बने, उसमें कोई कालेज हों तो यह दूसरी बात है कि उस समय उसके कोई रिप्रजेंटेटिव हो सकें। यह इस बिल में वैसे एक त्रुटि है जो मुझे खटकती है कि एक युनिवर्सिटी जो किसी तरह के रिसर्च में, किसी तरह के टीचिंग में भाग नहीं लेती, केवल एक्जामिनेशन्स ही एक्जामिनेशन्स लेती है उसके लिये कोई ऐसी चीज नहीं लायी गयी जिससे एक यूनीवर्सिटी कालेज बन जाता। आज जो आगरा में कालेजेज हैं वे इस योग्य हैं कि उनको युनिवर्सिटी कालेज

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

बना के फिर इसकी टीचिंग अफिलिएटिंग युनिवर्सिटी कर दिया जाता। मैं एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि जहां पर एक्जिक्यूटिव कौंसिल टीचर्स के प्रिडामिनेंस में न हो वहां अकेडेमिक बोर्ड में दूसरों का प्रिडोमिनेंस नहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो ड्यूटीज और पावर्स अकेडेमिक बोर्ड की हैं वे इस बिल में निर्धारित होनी चाहिये। यह एक मौलिक चीज है जो इसमें होनी चाहिये। ऐसी दशा में मैं एकेडेमिक बोर्ड की पावर्स को इस प्रकार से विधेयक में लाना श्रेयस्कर और उचित समझता हूं। इस तरह से जो इसमें सिद्धान्त की बातें हैं उनके ऊपर हम अगर अमेंडमेंट लायें तो मैं समझता हूं कि इस बिल को हम ज्यादा उपयोगी बना सकेंगे। इसमें जो आटोनामस कालेजेज का और वर्किंगमेंस कालेज का प्रावीजन है उसका मैं स्वागत करता हूं।

एक बात अन्त में यह और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र नारायण दत्त जी ने बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटीज के हमारे सामने उदाहरण दिये कि वहां पर चीजें किसी तरह की हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वहां की आर्थिक, नैतिक और सामाजिक अवस्था हमारे यहां से बहुत कुछ भिन्न है। अगर हम भी उनके यहां के विधान को एडाप्ट कर लें तो हमारी दशा में भी सुधार हो जायगा। वस्तुस्थिति कुछ भी हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा सम्भव होता तो हम शायद सबसे उन्नत देश के विधान को लागू कर लिये होते और सुखी और समृद्ध बन जाते। विधान में तो केवल इतनी ही बात होनी चाहिये कि उसमें संस्था के विकास का मार्ग रुकता तो नहीं है, उसमें कोई रोड़ा तो नहीं अटकता। मैं समझता हूं कि हमारे यूनीवर्सिटी के रिप्रिजेन्टेटिव्ज और उन बाडीज के मेम्बर्स जिनके हाथ में कि यह प्रबन्ध जा रहा है वे अगर सचाई से कार्य करें तो कोई वजह नहीं है कि उसी तरह की यूनीवर्सिटीज का निर्माण यहां न हो सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उचित आर्थिक सहायता दे। अगर सरकार आर्थिक सहायता नहीं देती है आटोनामस कालेजेज को, तो आज क्या २० वर्ष में भी नहीं बन सकते हैं। यह सब चीजें और बातों पर भी निर्भर करती हैं। आदर्श को मूर्त रूप देना, इस विधान द्वारा जो संस्थायें बनेंगी, एक्जीक्यूटिव कौंसिल बनेगी, वाइस-चांसलर होगा और सिनेट बनेगा, उनका है और यह इस विधेयक के द्वारा नहीं हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन की बातें हैं। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक जैसा है इसको ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)— माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। हमारे मित्र नारायण दत्त जी ने विशद व्याख्या की और उनकी व्याख्या के बाद भी जो इस विधेयक के प्रशंसक हैं, मैं समझता हूं कि वह उसकी गहराई में नहीं जा पाये। अगर मैं एक वाक्य में कहूं, श्रीमन्, तो मैं कह सकता हूं कि यह विधेयक शिक्षा में उन्नति लाने का एक हिटलरी प्रयत्न है। परिवर्तन होना चाहिये, मैं इसको मानता हूं। वहां दोष थे आगरा यूनिवर्सिटी में, मैं इसको मानता हूं। उन दोषों का उद्धार कैसे होगा? उसका निराकरण कैसे होगा? अगर उसके निराकरण का प्रयत्न यह विधेयक है, श्रीमन्, तो मैं समझता हूं कि आज जो एक टोटेलिटेरियन स्प्रिट लाने की कोशिश हो रही है, स्टेट्स की ओर से उस प्रयत्न को लागू करने का यह बढ़िया क़दम कहा जा सकता है। मैं, श्रीमन्, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार सरकार की ओर से कमेटियां बैठाई जाती हैं, उसमें एक्सपर्ट्स बैठाये जाते हैं परन्तु हमने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ीं चाहे वह राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वह आचार्य नरेन्द्रदेव

कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट हो और चाहे अभी अभी जो हमारी मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, वह हो, लेकिन किसी भी कमेटी की रिपोर्ट से इस विधेयक के जरिये किस तरह से शिक्षा संस्था में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, उसका समर्थन नहीं प्राप्त होता है। मैं चाहता हूं, श्रीमन्, कि सदन के सम्मानित सदस्य इसकी जरा गहराई में जायं। यह सरकार डेमोक्रेसी के प्रति प्लेज्ड है, जनतंत्र के प्रति वफादार है, या टोटेलिटेरियन के प्रति प्लेज्ड है, एक तन्त्र के प्रति प्रतिज्ञ है, इन बातों की सफ़ाई होनी चाहिये। बहुत से सम्मानित सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और इसकी मूल धाराओं पर आघात किया तथा उसके जस्ट अपोजिट अपने सुझाव रखे हैं। यह प्रतिक्रिया यहां चल रही है इसका भी हमें खात्मा करना होगा। आटोनामी के सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी ओपीनियन्स आपके जरिये माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी १६० सफे पर जो सैडलर साहेब ने कहा है उसे देखें तो वहां लिखा है कि—

"By autonomy, when we ourselves use the word, we certainly mean neither irresponsibility nor freedom from all constitutional restraint but without certain degree of freedom there cannot be any responsibility and without such a degree of freedom we do not think the University can ever become a living and healthy organisation."

इसके क्या मानी हैं ? यह साफ कहता है कि यूनिवर्सिटी को अपने आन्तरिक कार्यों में आजादी होनी चाहिये। लेकिन इस विधेयक के हर बात में, चाहे वह वाइस-चांसलर का चुनाव हो, एक्जीक्यूटिव काउंसिल का चुनाव हो, एकेडेमिक बोर्ड का सवाल हो या फाइनेंस कमेटी का हो, हर जगह सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि सरकारी नामिनीज जाकर, वहां कंट्रोल करें और उनके जरिये सरकार अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शिक्षा संस्थाओं को प्रेरित करे और संचालित करे। राधाकृष्णन् जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि:—

"Exclusive control of education by the State has been an important factor in facilitating maintenance of totalitarian tyrannies in such institutions of higher learning controlled and managed by Government agencies who act like mercenaries promoting the political purposes of the State. They make them acceptable to an increasing number of their population, and supply them with the weapon they need. We must resist it in the interest of our own democracy."

क्या मानी हैं ? राधाकृष्णन् जी साफ़ तरीक़े से कहते हैं और जिनका नाम इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है। मैं ऐसा समझता हूं कि इन विद्वानों का नाम सरकार समय-समय पर इसलिये ले लिया करती है कि उनके नाम से जो इस सरकार की मनोवृत्ति है उस पर पर्दा पड़ जायगा; ऐसा प्रयत्न नहीं होना चाहिये। अब बातें साफ होनी चाहिये। क्या राधाकृष्णन् जी साफ तरीके से नहीं बताते हैं कि ऐसी यूनीवर्सिटीज के प्रोडक्ट्स क्या होंगे ? वे सरकार की मनोवृत्ति को प्रसारित करने के लिये पैदा किये जायंगे। देश की आबादी पर, जनमत पर, उन शिक्षकों के जरिये असर डाला जायगा और सरकार की नीति को संचालित किया जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने हिटलर की लिखी पुस्तिका मीनकैम्फ को तो जरूर पढ़ा होगा और जब वह जेल में थे तो उनके पास वह पुस्तिका थी भी। उसमें उसने यह प्रयत्न किया कि जितनी पुस्तकें थीं सब परिवर्तित कर दीं और ऐसी बातें विद्यार्थियों को सिखाई गईं कि बन्दूक में कितनी गोलियां हों ताकि शिक्षा संस्थाओं के जरिये हिटलर की छाप उन लोगों पर पड़े और उसकी कल्पना की पूर्ति के लिये नवयुवक समाज तैयार हो। क्या वही प्रयत्न माननीय मंत्री जी इस विधेयक के जरिये नहीं कर रहे हैं ?

[श्री राजनारायण]

इंसपेक्शन का अधिकार तो पहले भी था। श्रीमन्, मैं इस अधिकार के और उस समय के इंसपेक्शन के अधिकार के संबंध में तो क्या कहूं क्योंकि केवल आधे घंटे का ही समय है? इस लिये मैं चाहता हूं कि इसकी जो बुनियादी बातें हैं वह इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों के दिमाग में आजायं क्योंकि यह बहुत बड़ा विशाल भवन है और इसमें ३९० के करीब करीब सरकारी पार्टी के लोग हैं. लेकिन मैं समझता हूं कि आज की वर्तमान कैबिनेट जिस तरह से चल रही है उसी दिमाग के सब सदस्य नहीं होंगे अगर उनके सामने साफ साफ बातें कह दी जायं। इसलिये मैं श्रीमन् से कुछ समय और चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समय बढाऊंगा नहीं क्योंकि काफी समय हो चुका है। साढ़े तीन घंटे आपके एक आचार्य ले चुके हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University and its buildings, and of any affiliated college or hostel, and also of the examinations."

यह करीब करीब वही है जो छठी धारा में पुराने ऐक्ट में है। एक जगह परिवर्तन किया है। जरा उसे देखना चाहिये कि वह फिर किधर हमें ले जाता है। श्रीमन्, उसमें भी यह लिखा है कि:

"The Provincial Government shall have the right to cause an inspection."

जब प्रान्तीय सरकार को पुराने ऐक्ट में भी इंसपैक्शन (निरीक्षण) का अधिकार था तो फिर इसमें अंतर करने के क्या माने हुये। इसमें केवल एक अंतर है। इसमें जो (३) है उसमें यह था कि अगर कोई अधिकारी इंसपैक्शन के लिये जाय और यूनिवर्सिटी उसके सजेश्चन्स (राय) न माने और सरकार देखे तो वह कह सकती थी कि आपको इन सुझावों के अनुसार काम करना चाहिये। इसी को परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरे में यह है कि:

"The State Government shall communicate to the Executive Council or the Management of the affiliated college (as the case may be) its views with reference to the results of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the College thereon, require the University or the College to take such action as it may direct."

बस इतना परिवर्तन किया गया है। अब स्टेट जिस तरह से डायरेक्ट करेगी उसी तरह से यूनिवर्सिटी को काम करना पड़ेगा। परन्तु जितनी सरकार की जिम्मेदारी पुराने ऐक्ट में थी अगर वही जिम्मेदारी कहीं सरकार ने निभाई होती तो कभी भी यह दुर्दशा नहीं हुई होती। यहां की कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स उसके सदस्य थे, लेकिन क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई वहां के दोषों को हटाने के लिये या वहां की खामियों को मिटाने के लिये, कभी उन्होंने कोशिश की? मैं यह जानना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी का इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि सरकार को कितनी दूर तक कंट्रोल रखना चाहिये और कितनी दूर तक नहीं। इसके बारे में मूथम साहब ने बहुत सफाई के साथ कहा है कि—

"The University must have confidence that the State will not seek to enforce its own educational views on the University and the State must be confident that the University will discharge its duties faithfully."

उन्होंने कहा है कि दोनों में म्युचुअल कांफीडेंस (परस्पर विश्वास) हो। अगर सरकार चाहे कि वह अपने प्रतिनिधियों के जरिये यूनिवर्सिटी के ऊपर हावी हो तो इस कल्पना को तमाम शिक्षा के विद्वानों ने कंडेम किया है। उनकी ओपीनियन (राय) जानने के बाद भी जब इस तरह का विधेयक प्रस्तुत होता है मैं समझता हूं कि इसके सिलेक्ट कमेटी में जाने से इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं श्री नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थक हूं। इसमें बुद्धि विभ्रम भी फैलाने की कोशिश हुई कि इसमें जो जनमत की ओपीनियन लेने की बात हो रही है तो अपढ़ समाज क्या ओपीनियन देगा। मगर हम अपढ समाज की बात नहीं कहते हैं। सिलेक्ट कमेटी के बाहर जो एजूकेशनल एक्सपर्ट्स बचते हैं वह तो जनमत में आयेंगे इसलिये सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को ले जाने के बाद जो रेजल्ट होगा उससे अपने को संतोष प्राप्त नहीं हो पायेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि जो लोग भी इस विधेयक के बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं, प्रतिवर्धन और परिवर्तन करने की बात कह सकते हैं उन सब की राय इसके बारे में आये। अभी तक कुछ रायें आयी है और जो आयी है उन लोगों में इतना साहस नहीं कि सदन में खड़े हो कर अपनी राय के समर्थन में दो चार शब्द कह भी सकें। उनके कुछ पोलिटिकल रीजन्स होंगे और उन रीजन्स को हमसे ज्यादा अच्छी तरह वे ही जानते होंगे। वाइस चांसलर का चुनाव होगा। मैं आपके द्वारा इस सदन से पूछना चाहता हूं कि वाइस चांसलर के चुनाव की क्या पद्धति है। एग्जीक्युटिव कौंसिल चुनाव करेगी, १९ सदस्य हैं, उन १९ में ७ सरकार के हो जाते हैं और, श्रीमान्, जैसे कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी में पहले होता था कि एक जिले का मेम्बर अगर सर्व-सम्मति से न चुना जाय तो जिला कमेटी तीन नाम भेज दे और बाद में एग्जीक्यूटिव जिसको चाहेगी एप्वाइन्ट करेगी। यह तब था जब कि मास मेम्बरशिप नहीं थी। लेकिन अब जब कि पोलिटिकल आरगेनाइजेशन्स मास मेम्बरशिप कर रहे हैं तो यह सरकार वही रेस्ट्रिकशन्स लगा रही है और हुबहू वही शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं कि तीन नाम भेजे जायं। प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन में जब सरकार के ७ आदमी हैं १९ की कमेटी में तो एक नाम तो जरूर आ जायगा और उस नाम को लेकर सरकार जिसको चाहेगी उसको वहां पर नियुक्त करा देगी।

यहां पर चांसलर की बात कही गई। अगर गवर्नर महोदय चांसलर न रहते, कोई ऐसी विभूति रहती जिसको शिक्षा के बारे में लोग समझते कि विज्ञ हैं तो उन पर हम विश्वास भी कर सकते थे। श्रीमन्, मुझे जानकारी प्राप्त है कि जब यहां पर मोदी साहब हमारे राज्यपाल थे उनमें और सरकार में समय समय पर द्वन्द्व हुआ है और वह व्यक्त भी हुआ है। जब कि सरकार कहती थी कि हमारी सम्मति लेकर यह काम होना चाहिये तो कहीं-कहीं उन्होंने रेजिस्ट किया है। मगर आज तो हमें अजीब परेशानी है। श्रीमन्, मैं तो आप की रूलिंग के सामने कुछ कह नहीं सकता, नतमस्तक हूं और हमेशा नतमस्तक रहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तो हर शिक्षा संस्था में सरकार अपना हाथ रखना चाहती है। जब वहां के स्टैन्डर्ड को बढ़ाने के लिये, विद्यार्थियों में अनुशासन लाने के लिये काम करना है तो यह सवाल विचारणीय हो जाता है कि किस तरीके को अख्तियार कर ऐसा करना चाहिये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसकी ओर ध्यान दें, दूध का जला मट्ठा भी फूंक-फूंक कर पीता है। श्रीमन्, मैं तो बनारस का रहने वाला हूं और हमारे सामने उदाहरण है। बनारस के उदय प्रताप कालेज में क्षत्रिय और नानक्षत्रिय मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बर होते हैं। वहां के प्रिंसिपल साहब के खिलाफ शिकायतें होती हैं वे नहीं हटाये जाते हैं मगर उसको एक जगह से हटा कर बलिया कालेज में भेज दिया जाता है और एक क्षत्रिय को खोजने की कोशिश हो रही है चाहे वे बिहार में मिले, राजपूताने में मिले, चाहे कहीं मिले इसलिये श्रीमन्, मुझे तो डर लगा रहता है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का जो प्रयत्न होगा वह टोटेलिटेरियन पद्धति को यहां पर लाकर प्रतिष्ठित कर देंगे, उसको थोप देंगे।

फाइनेंस कमेटी, श्रीमन, बनेगी। हमारे माननीय सदस्य काटजू जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और उनका स्नेह भी रहता है हमारे ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंन्स कमेटी है तो क्या आपत्ति है। हमें आपत्ति नहीं है। मगर उस कमेटी में किसका डामिनेशन है,

[श्री राजनारायण]

यह जरा बता दिया जाय । फाइनेंस कमेटी में वाइस-चांसलर होगा और वाइस-चांसलर वही होगा जिसको सरकार चाहेगी। सरकार अपने नामिनी को इनडा रेक्ट तरीके से वहां पर लाकर रख दे। टू परसंस नामिनटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट (सरकार द्वारा दो व्यक्ति नामजद।) अब जिन दो आदमियों को सरकार नामिनेट करेगी तो वे कौन होंगे ? कोई क्वालीफिकेशन उसमें नहीं रखी गयी है, कोई शर्त नहीं रखी गयी है कि कौन दो आदमी होंगे। इस प्रकार ५ लोगों की कमेटी में ३ आदमी तो गवर्नमेंट को बैक करने वाले हो गये। अब आगे कहा गया है कि कोरम ३ आदमियों का होगा। जब वाइस-चांसलर उसमें होगा तो स्वभावतः वही चेयरमैन भी होगा। फिर इन तीन आदमियों में से एक आदमी गवर्नमेंट नामिनी अवश्य होना चाहिये तब ही कोरम पूरा समझा जायगा। जब आप तीन आदमियों का कोरम मानते हैं तो साधारण तौर पर जो कोरम माना जाता है उसी प्रकार से तीन आदमियों का ही मानिये चाहे वे तीन आदमी कोई भी हों। यह इसलिये रखा जा रहा है कि एक तो वहां वाइस-चांसलर रहेगा दूसरा एक गवर्नमेंट का नमिनी होगा, इस प्रकार दो आदमी वहां पर गवर्नमेंट की पालिसी को डिटो करने वाले होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे फाइनेंस कमेटी हो, एकडेमिक कौंसिल हो, एक्जीक्यूटिव बोर्ड हो या सलेक्शन कमेटी हो, सरकार अपनी पालिसी को चलाने के लिये उन सब क ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है। इसी कारण से हमें बहुत परेशानी हो रही है। मैं पुछना चाहूंगा कि शिक्षा संस्थाओं में जो अव्यवस्था फैल रही है उसको इस प्रकार से ही कंट्रोल किया जायगा ? मैं कहता हूं कि इस प्रकार से कंट्रोल नहीं हो पायेगा। मैं चेतावनी देता हूं कि विद्यार्थी समाज आपकी इस मनोवृत्ति से सचेत हो रहा है। साधारणतः वहां पर विद्यार्थी औसत दर्जे के होते हैं लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो हमारी आपकी बराबर योग्यता रखते हैं और किसी कारण से असेम्बली में नहीं आपातेऔर अपने भाग्य का फैसला करना समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका भाग्य बन सकेगा। ऐसे लोगों का प्रयत्न जारी है और अगर उनके ऊपर आप इस कंट्रोल को थोपना चाहेंगे तो वहां विद्रोह होगा। यह विद्यार्थी समाज वह समाज है जो सन् १९४२ में हमें जो सफलता मिली, उसकी बानीमुबानी रहा और आज भी वह उसी विद्रोह का मनोभाव अपनाने जा रहा है। उसका परिणाम हम देखेंगे, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। आज उसकी कुछ रूप रेखा हमें इलाहाबाद में दिखाई दे रही है। वे नव युवक समझ रहे हैं कि विद्यार्थियों के मनोभावों को दबाने के लिये सरकार हर तरह से प्रयत्नशील है। इसलिये विद्यार्थी विद्रोह की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

श्रीमन्, यहां टीचर्स के सेलेक्शन के बारे में ही देख लीजिये। जब किसी डिपार्टमेंट के टीचर्स का सेलेक्शन होगा उसमें हेड आफ दि डिपार्टमेंट का कोई तात्कालिक कंट्रोल नहीं होगा। पहले जब सेलेक्शन होता था तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट की उसमें आवाज होती थी लेकिन यहां पर हेड आफ दि डिपार्टमेंट की कहीं चर्चा नहीं की गयी है।

और भी खामी देखिये। आगे इसमें लिखा हुआ है कि—

(२०) मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २४ तथा २४-ए के रूप में रख दिया जाय—

"Without prejudice to the provisions of the toregoing sub-Sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examinations."

इनमें जो परस्पर विरोध है, उसकी ओर संकेत करना चाहता हूं। अब तक श्रीमन् जी मैं जो कालेज संबंधित थे उनमें ऐसा प्रतिबन्ध नहीं था फिर यह प्रतिबन्ध सरकार दो तीन बरस तक लगाना भी नहीं चाहती। सरकार का कहना है कि सन् ५६–५७ मेंजाकर जिस प्रकार की

व्यवस्था होगी उनके ऊपर यह अंकुश लगाया जायगा। मगर आगे के लिए सरकार का यह कहना क्यों है इसका हमें उत्तर मिलना चाहिये ?

इस क्यों का उत्तर अभी तक हम इस विधेयक में नहीं पा रहे हैं। इसलिये श्रीमन्, अपनी कल्पना बुद्धि लगाकर नतीजा निकाला जा सकता है और वह नतीजा यह निकाला गया है कि सरकार को डर है, सरकार को खतरा है जैसा कि श्रीमान्, अभी माननीय मंत्री जी का एक भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि आज शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की जिस द्रुत गति से वृद्धि हो रही है उससे हमें खतरा है। अगर इसकी रोकथाम नहीं हुई और कोई व्यवस्था नहीं हुई तो बहुत बड़ा विद्रोह होगा जिसको कि हम लोग नहीं रोक पायेंगे। यही १०, ५ दिन हुये जब कि माननीय मंत्री जी बनारस गये थे तो वहां अखबार के पत्र प्रतिनिधियों से उन्होंने शायद कहा था क्योंकि बनारस के अखबारों में उसकी रिपोर्ट शाया हुई थी। जब मैंने उसे अखबारों में पढ़ा तो मेरा माथा ठनका और मैं सोचने लगा कि आखिर माननीय मंत्री जी अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं ? यह तो वे सही सोच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिये जो पिछड़ा हुआ तबका है वह अपने पेट पर पत्थर बांध कर भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहा है। देहातों में नये नये स्कूल और कालेज खुल रहे हैं और वहां इंटरमिडियेट न रहेगा तो फाइनेंस की डिफिकल्टी पड़ेगी। फाइनेंस की डिफिकल्टी पड़ने पर अगर थर्ड इयर और फोर्थ इयर क्लास खुलेगा और जब थर्ड इयर और फोर्थ इयर क्लास खुलेगा तो फिफ्थ इयर और सिक्स्थ इयर क्लास भी खुलेगा। तब फिर वह यूनिवर्सिटी हो जायगी। तो इसकी इसमें कहीं भी गारंटी की गुंजाइश नहीं है। इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर इनडाइरेक्ट तरीके से अंकुश लगाने के लिये माननीय मंत्रीजी का यह प्रयत्न सराहनीय कहा जा सकता है परन्तु यहां पर जो जनता के प्रतिनिधि लोग बठे हुये हैं वे यह सोच रहे हैं कि इसी प्रयत्न के साथ, इसी प्रवाह में, इसी धारा में हमें बहना चाहिये ? सही माने में मास एजूकेशन यही है, सामूहिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था यही है क्या इसी तरह से शिक्षा बढ़ सकती है और फलफूल सकती है ? श्रीमन्, माननीय चतुर्वेदी जी ने यहां दो एक बातें बहुत अच्छी कहीं। यद्यपि उन्होंने इस विधेयक की प्रशंसा भी की है मगर उन्होंने इस बात को कहा कि हमें इस बात को देखना है कि जो परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह का परिवर्तन वे चाहते हैं वह होगा या नहीं उनकी बातों को हम मानते हैं और उनको मानते हुये हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे खुद सोचें और अपने साथियों से सोचवावें, विचार करवावें कि क्या यह विधेयक जो कि आया है और जो सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है यदि हम इसमें आमूल परिवर्तन नहीं कर सके तो क्या कहीं भी यह अव्यवस्था रुक सकती है ? माननीय चतुर्वेदी जी ने टीचर्स पोलिटिशियन का नाम लिया लेकिन जब वहां पोलिटिकल पार्टी के पोलिटिशियन चले जाते हैं तो फिर उनका कैसे उद्धार होगा। श्रीमन्, मैं यह बतला देना चाहता हूं कि टीचर्स बेचारे पोलिटिक्स क्या कर सकते हैं, उनसे तो पोलिटिक्स कराया जाता है। श्रीमन्, उसके लिये दोषी सरकार है और उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये और साहस के साथ लेना चाहिये। श्रीमन्, हमने इसी सदन में कई बार कहा कि जेनरल एलेक्शन के अवसर पर किन्हीं किन्हीं डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिये अध्यापकों को चुनाव में लगाया और उनकी रोकथामक लिये कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे माननीय मित्र सामने बैठे हुये हैं, अगर मैं उनका नाम लूं तो वे बिगड़ जायेंगे मगर उन्हीं का जिला इस मामले में सबसे आगे रहा। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह बतला देना चाहता हूं कि अगर वे हमें साफ बातें बतला दें तो सदन का समय नष्ट न हो। वे कहते हैं कि डेमोक्रेसी की यही व्यवस्था है। क्या इसी प्रयत्न से डेमोक्रेसी पनपेगी और फले फूलेगी ? नहीं फले-फूलेगी। हां, अगर वे यह कहते हैं कि शिक्षा संस्थाओं के जरिये सरकार के पोलिटिकल आबजेक्ट्स की पूर्ति होगी तो मैं इस पर बहस करने के लिये तैयार नहीं हूं। हम तो यही चाहते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो सरकारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो उसकी नीति मालूम हो जाय। लेकिन श्रीमन्, जब आप डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं तो डेमोक्रेसी का नाम लेकर आप डिक्टेटरशिप

[श्री राजनारायण]

लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इसमें बहस की गुंजायश हो जाती है। उन प्रयत्नों को करके क्या आप सही माने में डेमोक्रेसी के माने समझ पाये हैं? नहीं समझ पाये हैं? और यह प्रयत्न जो हम कर रहे हैं वह इसीलिये कर रहे हैं। तो इस बात पर जो इतने सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुये हैं उनको विचार करना है कि सरकार आज जा कहां रही है। वह निरंकुश और अनियंत्रित तरीके से उसको चलने देंगे या उसके ऊपर अंकुश लगायेंगे, उसको एक परिधि में बांधेंगे और वह परिधि क्या होगी, इसको आज ही फार एवर (सदा के लिये) डिसाइड (निश्चित) कर लेना चाहिये।

अब श्रीमन्, एक एक धारा को पढ़ने में समय लग जाता है और समय की कमी है। इसलिये मैं अपने सम्मानित सदस्यों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसकी एक एक धारा को पढ़ें, पुराने ऐक्ट को पढ़ें जिसके कारण आगरा यूनिवर्सिटी में इतना कुप्रबन्ध रहा है और अगर वह पुराना ऐक्ट उसको सुधार नहीं सका तो यह सुधारा हुआ वर्तमान विधेयक ऐक्ट के रूप में उससे भी ज्यादा उसको सुधारने में असमर्थ होगा, उससे भी ज्यादा असुविधाओं को फैलायेगा और एक बहुत बुरे तरीके की पार्टी पालिटिक्स आयेगी। वहां पार्टी पालिटिक्स निम्नस्तर की होती थी। अब पार्टी पालिटिक्स ऊपर से चलेगी सरकार की ओर से चलेगी, स्टेट के शिक्षा मंत्री की ओर से चलेगी और जो उनकी हां में हां मिलाने वाले लोग हैं उनकी ओर से चलेगी। यह एक खतरा होगा, कैबिनेट के लिये खतरा होगा। कांग्रेस सरकार के लिये भी खतरा होगा। इसलिये आज के युग में उनकी भलाई के लिये, उनके उद्धार के लिये मैं यह चाहता हूं कि वे अनार्की (अराजकता) न फैलावें। अगर यह अनार्की पनपेगी तो जिस तरीके से माननीय परिपूर्णानन्द जी ने लिखा है ऐसे विधेयक को रद्दी की टोकरी में जाना चाहिये जो अनारकी फैलावे तो उससे उनकी वही मनोभावना व्यक्त होगी और किसी न किसी समय व्यक्त होगी और वह अनारकी एक विनाश की सूचक होगी इस विधेयक के प्रति या इस सरकार के प्रति।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, दो तीन रोज से इस भवन में जो वादविवाद हमारे प्रस्ताव के संबंध में चल रहा था उसमें आज के पहले तो सिद्धांतों की बौछार थी, जितनी समितियां बैठी थीं आज तक उनकी रायों की बौछार थी, लेकिन आज तो एक दूसरी बौछार भी देखने को मिली। मैं कभी भी यह नहीं समझता था कि एक विधान सभा के विरोधी दल के नेता की ओर से इस घृणित मनोवृत्ति का परिचय दिया जायगा जो आज इस भवन में दिया गया है। उससे कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी यह कहा गया कि उदय प्रताप कालेज का नाम यहां ले आकर के कहा गया कि मैं तलाश कर रहा हूं एक क्षत्रिय प्रिंसिपल को। उसमें क्या संकेत था मैं समझता हूं कि उसको आप सब बखूबी समझते होंगे। मैं समझता हूं कि यह इस भवन का दुर्भाग्य है कि विरोधी दल का नेता इतने नीचे स्तर पर उतर सकता है यदि उसके दिल में उस विषय में कोई शंका थी, उस विषय में कोई संदेह था तो उसको चाहिये था जैसा कि दूसरे देशों में भी यही प्रणाली चलती है कि वह मेरे पास आता, मुझसे पूछता, अपने संशय मेरे सामने रखता और यदि मैं उसके संशय को दूर न कर सकता तो उसको हमेशा यह अधिकार खुला हुआ था कि वह इस भवन में और इस भवन से बाहर भी उसकी चर्चा करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब चूंकि उसकी चर्चा इस भवन में हो गई है, यद्यपि समय की कमी है और विषयान्तर भी है लेकिन फिर भी मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि उसको भी स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि उससे गवर्नमेंट से भी संबंध है या केवल आपके अपने वैयक्तिक हैसियत से संबंधित है।

श्री हरगोविन्द सिंह—गवर्नमेंट से भी उसका संबंध है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा।

श्री हरगोविन्द सिंह—उदय प्रताप कालेज के संबंध में बहुत दिनों से बहुत सी रिपोर्टें आ रही थीं। हमारे पूर्वाधिकारी के जमाने से ही वहां लड़कों की ओर से और मैनेजमेंट के दो दलों की ओर से ये आ रही थीं कि वहां पर बड़ा कुप्रबन्ध है। हमने एक कमेटी बैठाई जो ठाकुरों की कमेटी नहीं थी। उसमें कोई क्षत्रिय नहीं था तो मैंने उनकी कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने हमारे सामने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में यह लिखा कि यह कालेज एक ट्रस्ट के जरिये से बना है और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि उस ट्रस्ट के नियमों का उल्लंघन कर सके। वह ट्रस्ट भिनगा नरेश ने बनाया था और उन्होंने उसके लिये १५, २० लाख रुपया दिया था। उस ट्रस्ट में यह भी था कि इस विद्यालय में केवल क्षत्रिय बालक ही पढ़ेंगे और उसमें यह भी था कि यहां का मैनेजमेंट बिलकुल सम्पूर्णतः क्षत्रियों के हाथ में रहेगा। जाहिर है कि जो वातावरण आज है वह चीज इसके अनुकूल नहीं है। उस समय जो भी हो लेकिन मैंने यह जरूरी समझा कि उस रिपोर्ट पर निर्णय देने के पहिले मैंने उसके प्रिंसिपल को अपने अधिकारियों के द्वारा यहां पर बुलवाया और उनसे कहा कि यह इस पाठशाला के लिये श्रेयस्कर होगा कि इस पार्टीबन्दी में वह प्रिंसिपल न पड़ें और मैंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस कमेटी के मेम्बरों ने हमारे शिक्षा संचालक से यह कहा कि यह एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। जो शिक्षा विभाग के लिये शोभा की चीज हो सकती है। मैंने अपने पूर्वाधिकारी से पूछा कि उनकी राय उनके बारे में क्या है, क्योंकि मेरा उनसे परिचय नहीं था और पहली बार ही वह मुझसे मिलने आये थे और १५, २० दिन हुये मैंने उनकी शक्ल देखी तो मेरे पूर्वाधिकारी ने बतलाया कि वह तारीफ के काबिल आदमी हैं और उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। तब मैंने यह सोचा कि एक ऐसा आदमी जो डिग्री कालेज में रहा हो और डिग्री कालेज का कोई भी प्रिंसिपल वहां के मैनेजमेंट को नाराज करके रह सकता है, यह मैं मानने के लिये तैयार हूं। तो मैंने, उनके सामने यह प्रश्न रखा कि वह एक प्राइवेट डिग्री कालेज के प्रिंसिपल हैं जो अपने मैनेजमेंट को अपने बायें नहीं रख सके तो मैंने उनके सामने कुछ प्रपोजल रखे कि अगर आप जाना चाहें तो मैं प्रबन्ध कर सकता हूं। चूंकि ट्रस्ट में यह शर्त है इसलिये मुझे यह आवश्यकता पड़ी और इसके पहले अपने पूर्वाधिकारी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं यह चीज बड़ी गलत होगी। किसी को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि कोई उस ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन करे। इसलिये अच्छा होगा कि यदि इस बात की कोशिश की जाय कि कोई क्षत्रिय कहीं से मिले तो उसको प्रिंसिपल बनाया जाय। मैं पूछता हूं कि यह जानने के बाद इस सदन का कोई सदस्य राजनारायण जी को छोड़कर इस बात पर विश्वास कर सकता हूं कि जो उन्होंने कही है। मैं माननीय सदस्यगण से यह पूछूंगा कि क्या यह मेरे ऊपर आक्षेप नहीं है? इस वजह से मैंने वहां के प्रिंसिपल को हटाया कि कोई दूसरा क्षत्रिय प्रिन्सिपल वहां पर आ जाय। अगर यह कारण होता तो फिर उस क्षत्री प्रिंसिपल को ही वहां से क्यों हटाया जाता? मैंने उनसे कहा कि तुम इस पद से इस्तीफा दे दो और उन्होंने वैसा किया। यह विषयान्तर तो जरूर हो गया है और इस पर मैंने भवन का इतना समय लिया, इसके लिये मुझे खेद है और मैं भवन से माफी मांगता हूं। लेकिन चूंकि मेरे लिये यह आवश्यक मालूम हुआ इसलिये मैंने आपकी इजाजत से भवन का इतना समय लिया।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है जैसा मैंने पहले कहा कि कुल जितने सिद्धान्त भी शिक्षा के सम्बन्ध में पुस्तकों से मिल सकते थे और जितनी भी सम्मति रिपोर्ट से मिल सकती थी, वह सब नारायण दत्त जी ने हमारे समक्ष रखा, लेकिन शायद उन सिद्धान्तों को यहां पर रखते समय उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि सिद्धान्त का तो मतलब ही प्रयोग से अलग होकर बहुत कम रह जाता है। सिद्धान्त और प्रयोग का एक ऐसा अटूट सम्बन्ध है कि यदि सिद्धान्त को प्रयोग से अलग कर दिया जाय और प्रयोग को सिद्धान्त से अलग कर दिया जाय तो एक तो अन्धा हो जाता है और दूसरा भी लंगड़ा हो जाता है। इन सिद्धान्तों को भला कौन नहीं चाहता

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कि उन्हें हमारी शिक्षा संस्थाओं में बरता जाय और हम अपनी शिक्षा संस्थाओं का निर्माण उसी रूपमें और उसी उच्चकोटि तक करें जिससे देश, राष्ट्र और हमारा भविष्य जो उनसे आशा करता है वही उनसे मिले लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि यदि सिद्धान्तों को एक ओर रखा जाय, तराजू के एक पलड़े पर हम सिद्धान्तों को रखें और दूसरे पलड़े पर शिक्षा संस्थाओं में जो त्रुटियां आ गई हैं उनको रखें तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप केवल उन सिद्धान्तों की रक्षा के लिये उन तमाम त्रुटियों को अपने स्थान पर ज्यों का त्यों बना रहने देंगे। यदि आप सिद्धान्तों की रक्षा चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि आप उस भूमि को उर्वरा बनायें जिसमें उन सिद्धान्तों के विकसित होने का, बढ़ने का और ऊंचा होने का अवसर मिले। आप उन बड़े-बड़े सिद्धान्तों को ऐसी जगह में डालना चाहते हैं ऐसी भूमि में डालना चाहते हैं जहां की अवस्था बिल्कुल असन्तोषजनक है। भवन माफ करें अगर मैं यह कहूं कि वहां केवल भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है और ऐसी हालत में कहां तक, वहां उन सिद्धान्तों की रक्षा हो सकती है। अगर आप अपने विश्वविद्यालयों को उच्च बनाना चाहते हैं तो उन कमेटियों की रिपोर्टों को पढ़िये जो उन विश्वविद्यालयों की हालत के बारे में उनमें लिखा हुआ है। अब प्रश्न यह होता है कि ऐसी हालत में इस समय किया क्या जाय। स्वतंत्रता की जहां तक बात है मैं स्वतंत्रता की एक परिभाषा भी जानता हूं जो मैं समझता हूं कि कम से कम विरोधी दल के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक लाल टोपी वाले को मान्य होगी लेकिन उसका भी उल्लंघन होता है तो ताज्जुब होता है। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? इसमें शक नहीं कि यह एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई परिभाषा, आज तक यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्णरूपेण ठीक है। लेकिन फिर भी जिस पोलिटिकल आइडियालोन्गिजी को आप अपना समर्थन देते हैं उसी के दो एक बड़े-बड़े भारी नेताओं ने, एंगिल्स ने उसकी परिभाषा यह की थी कि यह समझना कि स्वतंत्रता के अर्थ यह हैं कि उसमें कोई नियंत्रण न हो उसमें कोई रिस्ट्रक्शन न हो तो यह कोई स्वतंत्रता नहीं है, वह तो पहले दर्जे की परतन्त्रता है। उन्होंने कहा था कि आवश्यकता की जानकारी आवश्यकता का ज्ञान और उसकी पूर्ति ही का नाम स्वतंत्रता है। तो यह कहना कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी खतरे में है, ली जा रही है, और इसलिये ली जा रही है कि जिससे कांग्रेस पार्टी का बोलबाला हो, यह तो चोर की बात चोर समझता है, शायद इसी मनोवृत्ति के अन्दर पड़कर हमारे माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है। मुझे सन्तोष है कि उसके पूर्व सभी वक्ताओं ने चाहे वह एक दल के रहे हों चाहे दूसरे दल के रहे हो लेकिन किसी ने इस बिल पर आक्षेप यह नहीं किया कि इसके पीछे यह मनोवृत्ति छिपी है कि हम राजनैतिक तरीके से पर्दे के पीछे से अपने राज्य को मनवाने के लिये यह बिल ले आ रहे हैं। मैं तो जब श्री राजनारायण जी बोल रहे थे, तो उपाध्याय जी के चेहरे की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि कल जो उनका भाषण हुआ और आज उनके नेता का जो भाषण हो रहा है दोनों का संतुलन वह अपने दिमाग में किस तरह कर रहे होंगे। मैं देख रहा था कि वह बेचारे थोड़ा सा दुखित भी हैं। मेरी समझ में यह बात भी आयी कि शायद इसी भ्रम में पड़ कर हमारे छात्रों को बहकाया जा रहा है कि तुम भूख हड़-ताल करो। तुम स्ट्राइक करो। तुम किसी की बात मत मानो। आज वहां के वायस-चांसलर से मेरी बात हुई। उन्होंने हमारे विरोधी दल के नेता की उत्सुकता इस हड़ताल के सम्बन्ध में कितनी है, जो आज लखनऊ या कल इलाहाबाद में हुई थी, वह मुझे बतायी। वह समझते हैं कि ऐक्ट के द्वारा हम यूनीवर्सिटियों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वह शायद लड़कों को बहकाकर यूनीवर्सिटियों को कब्जे में रखना चाहते हैं। इसीलिये शायद वह यह सब कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऐसा युवक नहीं हूं कि मैं यह समझूं कि हमेशा कांग्रेस दल ही सिंहासनारूढ़ रहेगा,

और शायद यह देश के लिये बहुत हितकर भी न हो कि हमेशा यही दल इन कुर्सियों पर बैठा रहे। आप भी प्रयत्न करें आप भी इन कुर्सियों पर आ सकते हैं। यदि इस मनोवृत्ति से आयेंगे तो बड़ा अहित होगा। लेकिन अगर आप इन कुर्सियों पर आ जायंगे तो यह ऐक्ट स्वयं नहीं बदल जायगा। आपको भी वही अधिकार मिल जायंगे। आप भी उस ऐक्ट के द्वारा विश्वविद्यालयों पर आधिपत्य रखें।

आप लड़कों बेचारों को बहकाते हैं। उनके माता-पिता पेट काट कर उनको रुपया भेज रहे हैं। उनकी आशाएं उनमें निहित हैं। वह समझते हैं कि पढ़ कर वे ऊंचे नागरिक होंगे। उनकी कुछ सेवा सुश्रूषा करेंगे। आप उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो यहां हैं। लेकिन उनका भविष्य खराब हो, यह देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिये, किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई मनोवृत्ति नहीं है। हां, तोड़-मरोड़ अगर की जाय, जैसा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं तो समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य को बोलते समय अपना स्तर ऊंचा रखना चाहिए, समझना चाहिए कि वह कार्यवाही का एक भाग होगा। आने वाली संतानें उनको पढ़ेंगी। उससे शिक्षा लेंगी। हमें अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, दुख हुआ जब राजनारायण जी ने किताब खोली और किताब खोल कर यह कहा कि विजिटेशन की पावर के लिये पहले तो कुछ नहीं था। अब संशोधन किया जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट एक डाइरेक्टिव ईश्यू करेगी और वह यूनीवर्सिटियों के लिए मान्य होगा। मैंने अभी किताब मंगवायी और देखा कि यह तो गवर्नमेंट को डाइरेक्टिव देने की पावर ऐक्ट में पहले से ही है। उसमें मैंने यह चीज नयी नहीं ली। यह कोई छिपाने की बात नहीं है और मैं छिपाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रत्येक बिल का आप अच्छी तरह से विश्लेषण करें उसको देखें अगर उसमें आपको दूषित मनोवृत्ति दिखायी दे तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप उसे बताएं और मैं पहला व्यक्ति हूंगा, अगर दूषित मनोवृत्ति का संकेतमात्र ही होगा तो उसको भी निकालने का प्रयत्न करूंगा। उसमें मैंने बढ़ाया क्या, वह भी आपको स्पष्ट कर दूं। पहले ऐक्ट में केवल यह था कि गवर्नमेंट को यह पावर है कि इंक्वायरी सेट अप कर सकती है यूनीवर्सिटी के मामले में। प्रश्न तब यह हुआ कि अगर आप यहां से आगरा तशरीफ ले जायं और यह कहें कि मैं आगरा यूनीवर्सिटी के कम्पाउंड में जाना चाहता हूं तो शायद रजिस्ट्रार के दफ्तर के अलावा आपको कोई आगरा यूनीवर्सिटी का भवन नहीं मिलेगा। तो उस दफ्तर की इंक्वायरी क्या की जाय, उसका क्या नियंत्रण किया जाय। आगरा यूनिवर्सिटी, अगर सच पूछिये तो वह संज्ञा है जो सामूहिक कालेजों से मिल करके एक संज्ञा बनती है। तो हमारे ला डिपार्टमेंट ने यह कहा कि कालिजों पर कोई अगर आप इंक्वायरी बैठाना चाहें जो आगरा यूनीवर्सिटी से संबंधित कालिज हैं, अगर गवर्नमेंट को किसी समय पता चले कि कोई कालिज ठीक तरह से नहीं चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिये, कोई परिवर्तन, कोई नियंत्रण करना चाहिये तो इस ऐक्ट में शायद वह पावर नहीं है। तो उसमें सिर्फ यूनीवर्सिटी के साथ साथ "कालिज" भी बढ़ाया गया। केवल इतना ही परिवर्तन किया गया और जो पावर जैसे पहले थीं, वैसे ही दी गयीं। लेकिन यह कोई बहुत नेतागिरी नहीं है कि असली बात तो आप भवन के सामने रखें नहीं, उसके कुछ अंश को लेकर के, तोड़-मरोड़ करके रखें, जिससे मालूम हो कि पहले तो यह कोई पावर नहीं थी और अब यह पावर ली जा रही है।

उसके बाद में, जिन-जिन बातों पर बड़ा आक्षेप किया गया है उन्हीं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वाइस-चांसलर की नियुक्ति एक बड़ा महत्व का प्रश्न है। यूनिवर्सिटीज में, वश्वविद्यालयों में, मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मेरा यह विश्वास

[श्री हरगोविन्द सिंह]

है कि वाइस-चांसलर, जो वहां का उपकुलपति होगा उसी के ऊपर ही आप विश्व-विद्यालय की प्रगति को, उसके सुधार को नाप और जोख सकते हैं और इसलिए वह बड़े महत्व का स्थान है। यही नहीं मैंने जैसा पहले कहा, फिर आपके समक्ष इसको दोहराता हूं। मेरा अपना ख्याल है कि वाइस-चांसलर के पद को लेकर ही कुल पार्टीबन्दी बनती है। तो अभी तक इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हर एक यूनीवर्सिटी में उसके दूसरे कायदे हैं। कहीं तो बम्बई यूनीवर्सिटी में सीधा कायदा है कि न सिनेट से पूछना, न एग्जिक्यूटिव से पूछना, न किसी से पूछना, चांसलर को यह अख्तियार दे दिया गया है कि वह किसी को वाइस-चांसलर नियुक्त कर दे। बनारस में एग्जिक्यूटिव को अख्तियार दिया गया है कि वह किसी को चुने और वह प्रतिनिधि बना दे। लखनऊ में यह है कि एग्जिक्यूटिव चांसलर के पास नाम भेजे और चांसलर को अख्तियार है कि वह उनको माने या न माने और अपने किसी आदमी को नियुक्त कर दे। तो कहने का मतलब यह है कि यह कहना कि कोई ऐसा एक तरीका है कि जिससे एक ही तरीका सब में लागू हो जाय, जो ऐसा तरीका हो जिसमें कोई टूट ही न हो, जो हर प्रकार से अच्छा ही अच्छा हो ऐसा तरीका आज तक कोई मिला नहीं। हमने यह नहीं किया जैसा कि नारायण दत्त जी ने समझा। इस ऐक्ट को मैंने आगरा यूनीवर्सिटी की एग्जिक्युटिव कमेटी को भेजा था। इस ऐक्ट पर उनके पूरे विचार मेरे सामने हैं। आगरा यूनीवर्सिटी के वाइस-चांसलर के बारे में क्या विचार है, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं—

'The Vice-Chancellor shall be a paid officer who will be nominated by the Chancellor after considering the recommendations of the Executive Council.'

उन्होंने मेरे पास अपना सुझाव भेज दिया था। वह यह था कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल तीन आदमियों का नाम भेज देगी। चांसलर के ऊपर यह बाध्य नहीं है कि वह उसी तीन में से ही एक आदमी को नियुक्त करे। चांसलर उनमें से या उनके बाहर किसी को भी नियुक्त कर सकता है।

"The Executive Council will recommend three names to the Chancellor who may select one of them or return the list to the Executive Council for another list of three names. If the Chancellor is not satisfied with the second list he may nominate a person directly."

तो यह तो आगरा यूनिवर्सिटी ने मेरे पास भेजा है। मेरी नीयत पर हमला है कि मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से इस यूनीवर्सिटी पर कांग्रेस दल का प्रभुत्व कायम रहे। मैंने इसको नहीं माना जिसमें कि यह आवश्यकता इस बात की तनिक भी नहीं थी कि हम एग्जीक्यूटिव कौंसिल की राय को मानें या न मानें। इसको मैंने नहीं माना। मैंने यह कहा कि नहीं, एग्जीक्यूटिव को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह अपने यहां से चुनकर के वाइस-चांसलर का नाम भेजे क्योंकि जब हम ऐक्ट में यह कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल यूनीवर्सिटी की सुप्रीम एक्जीक्यूटिव बाडी है तो यह बात ठीक नहीं होगी कि उससे राय न लेकर या उसकी राय की अवहेलना करके वाइस-चांसलर मुकर्रर कर दिया जाय। अब मैं आपसे पूछता हूं कि राजनारायण जी का भाषण एक ओर रखिये, हमारी नीयत एक ओर रखिये, आगरा यूनीवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव का रिकमेंडेशन एक ओर रखिये और इस बिल में जो प्राविजन किया गया है उसको एक ओर रखिये, आप क्या निर्णय देंगे? मैंने इसीलिये जैसा कि पहले कहा कि हम यह नहीं चाहते हैं कि एक्जीक्यूटिव के बिना और जैसा आगे राधाकृष्णन् कमीशन ने यह कहा था कि बेहतर हो कि एक्जीक्यूटिव से यह कहा जाय कि तुम एक आदमी का

नाम भेजो। यह सुझाव कि किस प्रकार से यह प्रवृत्ति भी युनिवर्सिटीज में पैदा की जाय कि एक्जीक्यूटिव के सदस्य जिसमें सम्मिलित होकर के एक ही नाम भेजें, बड़ा सुन्दर है। एक नाम होगा, एक्जीक्यूटिव के कुल सदस्यों का उसमें विश्वास होगा, वही वाइस-चांसलर होगा। इसीलिये इस बिल में यह रखा गया कि यदि एक्जीक्यूटिव एक ही नाम पर सहमत है, एक ही नाम भेजे तो चांसलर के ऊपर यह जिम्मेदारी है, वह बाध्य है, उसी नाम को मानने के लिए। उसमें न मिनिस्टर आयेगा, न गवर्नर आयेगा। बल्कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक नाम भेजेगी, चांसलर उसको अलग नहीं कर सकता। हां, अगर चांसलर उससे असहमत हो तो उसको उतना ही अधिकार दिया गया है कि उसको फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास भेजे इसलिये नहीं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल उसको बदल दे बल्कि रीकंसिडर करने के लिए, इसलिये कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल उस पर विचार कर ले और उसके बाद भी अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल समझती है कि वही आदमी आना चाहिए तो वह फिर भेजदे और चांसलर को फिर उसके बाद कोई रायजनी करने का मौका नहीं है।

अब दूसरी बात कही गई, पता नहीं कैसे, मैं और परमानन्द जी दो रोज तक बैठ कर जोड़ते रहे, लेकिन पता नहीं कैसे नारायण दत्त जी ने यह हिसाब लगा लिया और कहा कि १२०, १२५ जो सिनेट के मेम्बर्स होंगे उसमें आधे से ज्यादा अनएकेडेमिक लोग रहेंगे। मैं तो इस नतीजे पर आया कि अगर इस तरह अनएकेडेमिक कहा जाय तो ३५ आदमी उसमें निश्चित ही आ जाते हैं। लेकिन अनएकेडेमिक का मतलब क्या लगाया, यह मैं नहीं समझा। बे पढ़े लिखे आदमी आ जायेंगे यह मैं नहीं समझ सका। हां, अगर उनका यह मतलब होगा कि उस यूनीवर्सिटी के टीचर्स नहीं होंगे तो यह जरूर प्रबन्ध कर दिया गया है कि उसमें आधे से ज्यादा वह नहीं हो सकेंगे। लेकिन उसी तरह से उन्होंने यह कहा कि राधाकृष्णन् कमीशन ने १२० बताया था, ४०, ४०, ४०। मैं समझ गया कि बहुत पढ़ लेने से ही तो समझ में सब चीज नहीं आ जाती। लिहाजा उन्होंने वह नहीं पढ़ा कि राधाकृष्णन कमीशन ने उसी में और क्या कहा। उसमें एक तो रिकमेंडेशन उस यूनीवर्सिटी के लिये है जो टीचिंग कम अफिलिएटिंग है लेकिन आगरा युनिवर्सिटी वैसी युनिवर्सिटी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें ४० कांस्टिटुएंट कालेजेज के लोग हों, ४० अफिलिएटेड कालेजेज के लोग हों और ४० लोग ऐसे हों जो बाहरी समझ लीजिये या उनके शब्दों में अनअकेडेमिक यानी जाहिल समझ लीजिये। लेकिन उन्होंने कहा कि अफिलिएटेड कालेजेज के जो ४० आदमी होंगे उसमें आधे मैनेजर्स रहें उनके टीचर्स नहीं होंगे, तो ६० और ६० इस तरह से आधा आधा कर लिया उन्होंने इस तरह अजीब-अजीब बातें कही गयीं। समय मेरे पास कम है वर्ना अगर समय होता तो मैं और बातें बतलाता। एक सोशलिस्ट से मैं यह आशा करता हूं कि वह रंग और नाम चाहे जो बदले लेकिन वह ऐसी ही बातें कहेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकन युनिवर्सिटीज में बड़ी आटोनामी है। मैंने अपने दांतों के नीचे उंगली दबाई और यह कहा कि एक बहुत बड़े सोशलिस्ट हेराल्ड लास्की ने अपनी एक किताब 'अमरीकन डेमोक्रेसी' में यूनिवर्सिटी के चैप्टर में यह लिखा है कि अमरीकन युनिवर्सिटीज में कोई आटोनामी नहीं है। मैं समझता था कि नारायण-दत्त जी ने उसे जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें कही गयीं। जो सिनेट की बात मैंने कही उससे आपका भ्रम दूर हो जाना चाहिये। आपने कहा कि सिनेट तो बिल्कुल बेकार कर दिया गया क्योंकि उससे वाइस-चांसलर का चुनाव निकाल लिया गया। तो बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी का सिनेट बिल्कुल बेकार है इसलिये कि वाइस-चांसलर से उससे कोई मतलब नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है वहां भी सिनेट बिल्कुल बेकार है। दिल्ली युनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है इसलिये वहां का भी सिनेट बिल्कुल बेकार है। हां, अगर यह था कि यह अखबार में निकले कि पांच घंटे में बोला, ३ घंटे में बोला, कोई उससे सम्बन्ध नहीं था, अनर्गल सी बातें थीं।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

वह दूसरी बात है। लेकिन मैं यह समझता था कि यूनीवर्सिटी का एक ऐसा विषय है जिसमें यदि कोई यह कहे कि मैं इस पर अधिकार रूप में बोल सकता हूं तो यह उसकी मूर्खता होगी। लिहाजा इस विषय को बड़ी गंभीरता से मनन करना चाहिये और बड़ी गम्भीरता से उसकी बातें करनी चाहिये क्योंकि आप यहां जो भी कुछ भी कहते हैं वह केवल इस भवन की सीमा के अन्दर ही नहीं रह जाता है वह इसके बाहर भी निकलता है और उसका प्रभाव पड़ता है। आप एक राजनैतिक दल के हैं हम भी एक राजनैतिक दल के हैं, इसलिये हमको अपनी बातें बहुत नाप करके, जोख करके और तौल करके करना चाहिये। तो आपने देखा कि यह कहना कि सिनेट बिल्कुल बेकार हो गया है, यह ग़लत है।

अब एक्जिक्यूटिव कौंसिल पर आइये। एक्जिक्युटिव कौंसिल में इसमें सन्देह नहीं है जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा कि उसमें अब भी वहां के लोगों का बहुमत है जो युनिवर्सिटी से सम्बन्धित हैं। लेकिन मैं जरा आपसे यह कहना चाहता हूं कि उसमें जरूर तीन आदमी और रखे गये हैं, डाइरेक्टर आफ एजुकेशन आज भी वहां की एक्जीक्यूटिव का मेम्बर ऐक्ट के जरिये होता है, उसमें मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल रखा गया है इसलिये कि आगरा युनिवर्सिटी के अन्दर जो दो मेडिकल कालेजेज हैं, एक्जिक्यूटिव में मेडिकल कालेज का कोई रेप्रिजेंटेटिव न रहे यह ठीक नहीं है। ऐग्रीकल्चर कालेज का प्रिंसिपल केवल इसलिये रखा गया है कि आगरा युनिवर्सिटी के अन्दर केवल एक कालेज कानपुर में ऐग्रीकल्चर का है और बहुत से स्कूल्स ऐग्रीकल्चर के हैं, तो क्या आप इस वजह से कि वाइस-चांसलर के इलेक्शन में उनका हाथ होगा आप इतनी बड़ी फैक्टरी को यूनिवर्सिटी में रेप्रिजेंटेशन देना नहीं चाहते?

इसलिये आप फैकल्टीज को बिल्कुल उससे नेस्तनाबूद कर देंगे। अगर यूनिवर्सिटीज का निर्माण हम और आप इस बाडी से करने वाले हैं और फिर चुनाव में एक आदमी का एक वोट होगा इसलिये फैकल्टी को यूनीवर्सिटी में बन्दी कर दिया जाय, अगर इस तरह का आपका दिमाग़ है तो ईश्वर मालिक है और वह आपके दिमाग़ को बढ़ावे। यह तो एक्जीक्यूटिव का हाल रहा।

एक और बड़ी बात कही गई कि फाइनेंस कमेटी में गवर्नमेंट के दो रिप्रिजेन्टेटिव्ज क्यों हैं? इसका भी एक इतिहास है और उसे मैं आपके सम्मुख रख देना चाहता हूं। लखनऊ यूनीवर्सिटी और इलाहाबाद यूनीवर्सिटी पर जो २०, २० लाख रुपया कर्ज है। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी पर जो २० लाख रुपया कर्जा था उसी के फलस्वरूप मूथम कमेटी का निर्माण हुआ। मूथम कमेटी की रिपोर्ट आपको मिल गई होगी या दो एक रोज में मिल जायगी, आप उसको भी पढ़ लीजिये और देख लीजिये कि आपके विश्वविद्यालयों का क्या हाल है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिये कि हमारे पास रुपया नहीं है और आप इस तरह से तनख्वाह बढ़ाइये और उतने ही डिपार्टमेंट खोलिये जितने में कि काम चल जाय। यूनीवर्सिटी ने एक नहीं सुनी। उन्होंने इम्पीरियल बैंक से क़र्जा लेना शुरू कर दिया। आखिर यह किसलिये? इसीलिये कि कर्जा ले लो और तनख्वाहें बढ़ा दो और एप्वाइन्टमेंट्स भी कर लो। गवर्नमेंट अन्त में मजबूर होगी क्योंकि इलाहाबाद सिनेट हाल नीलाम तो करवायेगी नहीं और हुआ भी वही क्योंकि मुझको पारसाल अपनी बजट स्पीच में यह कहना पड़ा कि इन दोनों यूनीवर्सिटीज पर जो कर्जा है उसको गवर्नमेंट देगी। लेकिन आप बतलाइये कि क्या यह सन्तोषजनक चीज है? अगर इस दोष को देखते हुये हम इस बात पर जोर देते हैं कि बिला फाइनेंस कमेटी से निकले हुये यूनीवर्सिटी कोई खर्चा नहीं कर सकती है और उस फाइनेंस कमेटी में गवर्नमेंट के रिप्रिजेन्टेटिव रहेंगे। उस फाइनेंस कमेटी का कोरम पूरा नहीं समझा जायगा

जब तक कि कम से कम गवर्नमेंट का एक मेम्बर न हो। तो क्या कोई यह अनुचित कार्य है। मैं यह मानता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी के पास काफी धन एकत्रित होता है लेकिन शायद उसके वितरण के कारण ही उसकी यह दशा हुई। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर इतना धन न होता तो शायद वही हाल होता। अगर इलाहाबाद की तरह से कर्जा मिल जाता तब तो दूसरी बात थी वरना कर्जा भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी, मैं समझता हूं कि यह नियन्त्रण हमारे लिये, आपके लिये, मुल्क के लिये और प्रान्त के लिये जरूरी है कि उनको बता दिया जाय कि आप इस बजट के अन्दर ही अपने पैर को बढ़ाइये जब तक कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में न हो जाय कि वह आपको रुपया दे सके। इसलिये फाइनेंस कमेटी में दो व्यक्ति गवर्नमेंट के रखे गये हैं और यह भी कहा गया है कि जब तक कम से कम एक व्यक्ति गवर्नमेंट का नहीं होगा तब तक कोरम पूरा नहीं समझा जायगा इसमें कोई बदनियती नहीं है।

सेलेक्शन कमेटी में भी बड़ी बदनियती उनको मालूम हुई। सेलेक्शन कमेटी में यह किया गया है कि डिग्री कालेज अगर कोई अप्वाइंटमेंट करता है तो १५ रोज के अन्दर उसे वाइस-चांसलर के पास भेज देना होगा कि हमने इस आदमी का अप्वाइंटमेंट किया है। वाइस-चांसलर उसको देख लेगा, उसे यह अधिकार नहीं है कि वह यह कह सके कि नहीं, तुम "क" के बजाय "ख" की नियुक्ति करो। वह केवल यही कह सकता है, सेलेक्शन कमेटी की राय लेकर, कि "क" की नियुक्ति ठीक नहीं है, आप किसी दूसरे की नियुक्ति कीजिये। मैं क्या बताऊं, बड़े दुख की कहानियां हैं और ये सब प्रावीजन्स करने में मुझे कोई खुशी नहीं हुई। होगी भी नहीं। चाहे मैं घृणित हूं, कास्टिज्म का लांछन मेरे ऊपर राजनारायण जी के शब्दों में है, लेकिन कम से कम इतना तो वे मानलेंगे ही कि इस देश से और अपनी इन संस्थाओं से मुझे भी प्रेम है। मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने निकट के डिग्री कालेज के बारे में क्या यह नहीं सुनते कि कमेटी ने अपने किसी रिस्तेदार का या थर्ड क्लास को नियुक्त कर दिया है। आखिर इसका निराकरण कैसे हो सकता था? इसलिये वह सेलेक्शन कमेटी रखी गई। हां, राजनारायण जी अक्सर मुझे किसी के अप्वाइंटमेंट के लिये फोन कर देते हैं, वह बात तो दूसरी रही। लेकिन कम से कम जो सेलेक्ट कमेटी हमने बनाई है उसमें इस बात के लिये कोई गुंजाइश नहीं है कि उसके जरिये मैं किसी व्यक्ति का अप्वाइंटमेण्ट करलूं। मैंने समझा नहीं था। जिस समय श्रीमान् ने पूछा था कि कितने मिनट मुझे चाहिये और मैंने तो इसीलिये कहा था कि उन्हीं बातों का जवाब दूंगा लेकिन जब आक्षेप किये गये और स्वभाव से भी क्योंकि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूं, बरदास्त नहीं कर सका और उत्तर देना ही पड़ा। उसमें मेरा काफी समय चला गया। लेकिन मैं प्रत्येक सदस्य को यह दावत देता हूं कि यदि किसी को इस बिल के किसी अंश पर भी संदेह हो तो अभी यह संयुक्त समिति के पास जा रहा है वहां बदलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हां, इसका मैं विरोध करता हूं कि यह जनमत के लिये भेजा जाय और यह इसलिये करता हूं कि बहुत दिनों से यह बिल उन लोगों के सामने है जिनका इससे संबंध है और विश्वविद्यालयों के सामने भी यह किसी न किसी रूप में रहा है। जहां तक साधारण जनता का प्रश्न है, वह तो हमसे और आपसे यही चाहती है, जिसे राम कहते हैं कि हम और आप उसके बालकों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध करें। यदि हम और आप ऐसा कर सकने में सफल रहते हैं तो वह हम दोनों को धन्यवाद देगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ एक महीने के भीतर जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ

पक्ष में—१९
विपक्ष में—२०३,

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब इसके नाम जो हैं वह माननीय शिक्षा मंत्री जी कल तक दे सकते हैं। परिषद से यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय उसके बाद आप नाम दे दें।

श्री राजनारायण द्वारा उदय प्रताप कालेज के सम्बन्ध में अपने भाषण का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष--अब राजनारायण जी कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। इस सदन का जो रवैया है वह तो शांति से आपस में किसी के ऊपर आक्षेप न करते हुये यहां का वाद-विवाद हुआ करता है और कल ही मेरे सामने पंजाब के जो डिप्टी स्पीकर आये थे इस बारे में सदन की प्रशंसा करके चले गये। उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी शांति यहां पर देखी। हमारे यहां पंजाबी पद्धति है इसलिये जोर शोर बहुत रहता है, भाषणों में गरमी भी रहती है। यहां की विधान सभा का थोड़ा सा मुझे आज अनुभव मिल गया और मैं यही कह सकता हूं कि यहां काफ़ी शांति रहती है। कुछ मेरा भी दोष उसमें यह रहा कि मैं उस वक्त जब कि राजनारायण जी भाषण दे रहे थे यह नहीं समझा कि गवर्नमेंट के ऊपर यह आक्षेप है या माननीय शिक्षा मंत्री का तनिक भी उससे कोई संबंध है। मैं यह समझा था कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का प्रश्न है उसमें उसकी कमेटी द्वारा यह कार्यवाही हो रही है कि किसी क्षत्रिय को ही प्रिंसिपल पद के लिये खोजा जाय और ऐसा होते हुए भी गवर्नमेंट अकर्मण्य रह कर चुपचाप खड़े खड़े देख रही है। इस प्रकार का आक्षेप मेरी समझ में भाषण से प्रतीत हुआ। तो मैंने समझा कि ऐसा आक्षेप करने का अधिकार तो किसी भी सदस्य को हो सकता है क्योंकि इस विधेयक द्वारा जो अधिकार सरकार लेना चाहती है वैसे अधिकार रहते हुये भी सरकार कभी इस्तेमाल ही नहीं करती यह बताने के लिये माननीय सदस्य शायद उक्त स्थानीय संस्था के विषय में कह रहे हों ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। इसलिये मैंने उन्हें नहीं टोका और माननीय शिक्षा मंत्री ने भी मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया उनके ही कुछ किये हुये कार्य के ऊपर यह आक्षेप है इसीलिये वैयक्तिक आक्षेप थोड़ा सा हो जाता यदि मेरा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया होता तो उसी समय मैं ऐसी बात कहने से माननीय सदस्य को रोक देता। अब श्री राजनारायण जी के कहने का अर्थ अगर वही था जो मैंने समझा तो इस बात को खड़े हो कर वह कह दें कि मेरा अर्थ यही था। अगर यह अर्थ नहीं था और प्रत्यक्ष माननीय मंत्री जी के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया था तो मैं उनको मौका नहीं दूंगा कि वह पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें। अगर उनका इरादा केवल उक्त कालेज की परिस्थिति का दिग्दर्शन मंत्री जी के सामने रखने का था और यह आक्षेप था कि क्यों माननीय मंत्री जी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो वे पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि मेरा मंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप तनिक भी नहीं था। वहां की सही में जो परिस्थिति थी वह मैंने इस सदन में भी निवेदन किया और इसके पूर्व कई स्थलों पर भी निवेदन किया था और उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री से भी निवेदन किया था और श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब पहली बार विधेयक आया था तब मैंने ही कापी मांगी थी और कहा था कि इसकी क्या आवश्यकता आ पड़ी। तो मेरे पास उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी आये थे। उन्होंने सारी चीज हमको बतायी थी मगर हमको कन्विन्स नहीं कर पाये। मैं फिर निवेदन करता हूं कि मेरे कहने का तनिक भी यह मतलब नहीं था कि मंत्री जी को क्रिटिसाइज करने के लिये यह बात कह रहा हूं। मगर जो वस्तुस्थिति थी उसको मैंने रखा, इस सदन में भी मैंने रखा और बाहर भी जब मौका होगा तब मैं उसको रखता रहूंगा और ताकि आगे की व्यवस्था समुचित रूप से चले इसीलिये मैंने कहा। वहां पर एक क्षत्रिय मेम्बर्स और एक नान क्षत्रिय मेम्बर्स की मैनेजिंग कमेटी होती है और शायद मंत्री जी को न मालूम हो, हमारे पास पूरी लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष--उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण—मगर उसकी जरूरत नहीं है। इसलिये मैं कह रहा था कि जहां मूल पर कुठाराघात करना चाहिये वहां पर तो किया नहीं और पत्ते पर चले गये। श्रीमन्, मुझे पूरी जानकारी है। जब सीक्रेट इन्क्वायरी हुई तो उसकी भी जानकारी मुझे है....

श्री अध्यक्ष—आप अपनी बात कहें, सीक्रेट इन्क्वायरी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण—तो मेरा उद्देश्य श्रीमन्, केवल यही था कि वहां की अव्यवस्था को मैं बतला दूं। दूसरी बात, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कही। मेरा हाथ उसमें नहीं है कि वहां के विद्यार्थी भूखहड़ताल कर रहे हैं और मैं उनको प्रेरित कर रहा हूं। मैंने जो कुछ भी कोशिश की वह इसलिये की कि हमारा यह प्रयत्न सफल हो, वहां की परिस्थिति संभले। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि जिस भाषा का यहां प्रयोग होना चाहिये वह शिष्ट होनी चाहिये। मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि हमारी मनोवृत्ति घृणित नहीं थी, नीच नहीं थी, हम शुद्ध मनोवृत्ति से निवेदन करते रहे हैं और करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने फोन की बात कही कि फोन कर दिया करते हैं। यह एक बहुत बड़ा आक्षेप उन्होंने हम पर किया। मैंने माननीय मंत्री जी को केवल एक ही बार फोन किया था और मैं आपके सामने उस केस को रखने के लिये तैयार हूं। मैंने यह फोन इसलिये किया था कि उसमें अन्याय हुआ था। अन्याय के बारे में ध्यान आकर्षित करना यह हमारा कर्त्तव्य है। सरकार जो गलतियां करती है, सरकार के दृष्टिकोण में जो गलती है उसको बताना हमारा कर्त्तव्य है। हमारी मनोवृत्ति घृणित नहीं थी और न नीच थी फिर

जाकी रही भावना जैसी, प्रिय मूरत पायी तिन तैसी।

श्रीमन, एक बात जानकर हमें प्रसन्नता हुई और वह इसलिये कि उनको जो चोट पहुंची वह ऐसे स्थान पर पहुंची कि वे आग बबूला हो गये और उसने हमें बता दिया तथा यह साबित कर दिया कि हमारी बात सत्य थी।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री क्या कोई जवाब देना चाहते हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ताकि मैं उसका समर्थन या विरोध जो भी हो, ठीक तरह से कर सकूं।

अभी जो माननीय मंत्री जी ने विधेयक पुरःस्थापित किया है उसके द्वारा वे धारा ४ को बढ़वा रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने विधेयक पुरःस्थापित किया है तथा जो आज के ऐजेंडे में भी है, और जो इससे पहले ही आ चुका है, उसमें खंड ४ मौजूद है और वह खंड ४ बिलकुल वैसा ही है जैसा कि इस विधेयक में। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वह क्लाज पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है तो फिर इसको यहां पर फिर पुरस्थापित करने की क्या आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से नियमों के विपरीत भी होगा कि जो चीज एक बार सदन के सामने आ गयी है वह फिर दुबारा उसके सामने रखी जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं यह खुद ही अर्ज कर रहा था। यह बात सही है कि जो खंड इस बिल के जरिये पुरःस्थापित किया जा रहा है वह एक दफा की शक्ल में पहले भी पुरःस्थापित किया जा चुका है, जो इस एजेंडे में मौजूद है। वजह उसकी सिर्फ यह है कि जो बिल पहले १३ अगस्त को पुरःस्थापित किया गया था जिसमें कि यह दफा शामिल थी उस बिल में और भी बहुत सी दफायें हैं, वह बिल इससे बहुत बड़ा है, उसमें १९,२० दफायें हैं। जिस वक्त वह पुरःस्थापित किया गया था उस वक्त तो ऐसा ख्याल नहीं था लेकिन बाद को यह ख्याल हुआ कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जायगा। सिर्फ यही वजह है कि जिससे इसको नये बिल की शक्ल में लाया गया है क्योंकि उसका जल्द ही पास होना जरूरी है। इसके न पास होने से स्टेट के बहुत से पैसे का नुकसान हो रहा है। इसीलिये इस क्लाज को उसमें से सिंगिल आउट कर लिया गया कि आगे स्टेट को और ज्यादा पैसे का नुकसान न हो और नुकसान यह है, वह मैं अर्ज किये देता हूं। यह बिल जो है वह इस बात का है कि एक आर्टिकल २८६ जो कंस्टीट्यूशन का है उसमें एक एक्सप्लेनेशन है। उसका सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया है वह यह कि एक स्टेट को यह अख्तियार है कि उस स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में जो सेल हुआ हो वह माल आकर यहां कंज्यूम हो, इस स्टेट के अन्दर तो यह स्टेट उस कंजम्शन पर भी, वह सेल जो उन आदमियों के दर्मियान हुआ है बावजूद इस बात के कि वह उस स्टेट का रहने वाला नहीं है बिक्री कर लग सकता है और उन्होंने लिखा कि इस किस्म का अमेंडमेंट करना चाहिये। अपने ऐक्ट के अन्दर कि हर स्टेट उससे नफा उठा सके। तो यह जो छोटा सा बिल है जिसको हमने इस वक्त पुरःस्थापित किया है वह उस एक्सप्लेनेशन और जुडिशियल डिसीजन की रोशनी में ही है कि हम अपने ऐक्ट में तरमीम कर लें ताकि रोजाना जो बहुत से पैसे का नुकसान इस प्रदेश को हो रहा है वह न हो और जो बाकी प्रोविजंस हैं जिनकी उतनी अर्जेंसी नहीं है उनको मैंने छोड़ दिया है कि बाद में जब वह हाउस के सामने आयेगा तो उस पर अलग से विचार कर लिया जायगा। उसको मैंने डिलीट करवा दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उनके स्पष्टीकरण के बाद पूछना चाहता हूं। क्या कोई खंड एक साथ प्रस्तुत किसी एक विधेयक का अलग अंग होते हुये सदन के सामने विचार के लिये आ सकता है और पुरःस्थापित किया जा सकता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कोई नियम ऐसा नहीं है जो इस बात को रोकने वाला हो बरखिलाफ इसके एक रूल आखिर में है। रिजिडुअरी पावर स्पीकर को है और उस कायदे की बिना पर अध्यक्ष महोदय कोई रास्ता निकाल सकते हैं। यह रूल पढ़ लिया जाय। वह तो केवल जनाबवाला के लिये है और कोई कायदा इसको रोक नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण दत्त जी, आप कोई कायदा बतलावें जो उसके विरोध में हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, कायदा तो जो मैंने देखा है उसमें मैं समझता हूं कि आज तक विधान सभा के इतिहास में यह प्रश्न कहीं नहीं उठा है। मैंने स्पीकर्स की रूलिंग वगैरह देखी। एक बुनियादी बात मैंने कह दी कि जब माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि मैं सिर्फ इस पर आपकी रूलिंग जानना चाहता हूं कि "किसी बिल का कोई खंड उसी समय, उसी दिन किसी दूसरे विधेयक का खंड बन कर उसी सदन के सामने पुरःथापित किया जा सकता है और विचार के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है।" यही मेरा प्रश्न है जो आज तक किसी भी विधान सभा में नहीं उठा है और मैं समझता हूं कि यह ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन नहीं है बल्कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का भी है। न तो ऐसे प्रश्न की संभावना ही थी और मैं समझता हूं कि आपको भी इसकी संभावना नहीं होगी कि ऐसा भी कोई प्रश्न आ सकता है। इसलिये इस पर खास तौर से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—जहां तक नियमों के बारे में प्रश्न है, हमारे नियमों में ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि किसी विधेयक का जो सदन में पुरःस्थापित हो चुका है, कोई अंग यह सदन अलहदा से

लेकर स्वतंत्र विधेयक के रूप में पास न करें। मैंने जहां तक साधारण तरीका देखा है वह ऐसी अवस्था में यह हुआ करता है कि कोई बिल अगर उसे पूर्ण रूप में तत्काल पारित करने की आवश्यकता न समझी जाय तो उसे वापस लेकर तब दूसरा उसी संबंध का स्वल्प सा बिल पास कर दिया जाता है। यह तरीका कई मर्तबा बरता जा चुका है। लेकिन जो तरीका इस समय बरता जा रहा है उसमें भी नियम के अनुसार कोई रुकावट नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सदन को अपने नियम बनाने का और कोई भी कार्य किसी समय करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिये मैं सदन की राय के ऊपर ही यह प्रश्न छोड़ूंगा कि सदन यह समझता है कि माननीय वित्त मंत्री जी का यह कहना कि पहले विधेयक का इतना हिस्सा नये विधेयक के रूप में पास हो जाना आवश्यक है वर्ना इस प्रदेश की आमदनी में बहुत जबरदस्त नुकसान हो जावेगा तो, इस पर सदन विचार कर ले और अगर इस बात से सदन सहमत हो कि हां नुकसान हो रहा है और इतने अंग के विधेयक का पास करना आवश्यक है तो सदन यह मत दे सकता है कि इसको तत्काल पास कर लेना चाहिये और पहला विधेयक सम्पूर्ण सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये। माननीय सदस्य यह भी कह सकते हैं कि नहीं हम इसको आवश्यक नहीं समझते और उस सूरत में इसको नामंजूर भी कर सकते हैं। मैं सदन के ही सामने उसको रखता हूं।

(थोड़ा ठहर कर)

प्रश्न यह है कि इस द्वितीय संशोधन विधेयक पर तत्काल विचार किया जाय और पुरःस्थापन क लिये अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--(माननीय वित्त मंत्री से) आप फिर से पहले इसको इंट्रोड्यूस करें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं पुरःस्थापन का विरोध नहीं करना चाहता लेकिन मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं। इस सदन ने बहुमत के द्वारा जो पुरःस्थापन का प्रस्ताव स्वीकार किया है उससे जो पुराना बिल विचारार्थ है क्या वह बापिस ले लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा था कि सदन की अनुमति से नये विधेयक लाने पर कोई रोक न होने की वजह से मैंने सदन से चाहा कि पहले विधेयक को वह या तो सेलेक्ट कमेटी में भेज दे या इसी सदन में स्वीकार करे। वह प्रश्न तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर विधेयक पास हो जायगा तो उसकी वजह से उस पहले विधेयक में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा और जिस शक्ल में वह सिलेक्ट कमेटी में जायगा मैं समझता हूं कि शायद माननीय वित्त मंत्री उसमें कुछ उचित परिवर्तन करेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

मैं अभी अर्ज कर रहा था कि आर्टिकिल २८६ जो हमारे संविधान में है उसका एक एक्सप्लेनेशन है और जनाब की इजाजत हो तो मैं उसे पढ़ दूं : "Explanation.——For the purposes of sub-clause (a), a sale or purchase shall be deemed to have taken place in the State in which the goods have actually been delivered as a direct result of such sale or purchase for the purpose of consumption inthat State, notwithstanding the fact that under the general law relating to sale of goods the property in the goods has by reason of such sale or purchase passed in another State."

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसके माने और भी बताये गये हैं और उसमें यह लिखा है कि फर्ज कीजिये कि यू० पी० के एक साहब और बंगाल के एक साहब हैं। एक ने माल खरीदा है और दूसरे ने बेंचा है और वह माल यू० पी० में आकर खर्च होता है तो जिनमें वह दो आदमियों में सेल हुआ हो उसके सेल के ऊपर यू० पी० में टैक्स लग सकता है। इसका मतलब यह उन्होंने बतलाया और कहा कि यह जब होगा जब कि उस स्टेट का जो ऐक्ट है उसमें इसका प्राविजन कर लिया गया हो। तो हमारे यहां डीलर की तारीफ जो हमारे यहां पहले से सेल्स टैक्स ऐक्ट के अन्दर है उसकी सफाई करना चाहूंगा। इसमें एक्सप्लेनेशन में आज भी है और पहिले भी उसमें मौजूद था, वह इस तरीके पर है:

"Explanation IV.——The sale of any goods which have actually been delivered in the State of U. P. as a direct result of such sale for the purpose of consumption in the said State, shall be deemed, for the purposes of this Act, to have taken place in the said State, irrespective of the fact that the property in the goods has by reason of such sale, passed in another State."

बिलकुल यही बात जो मैंने अर्ज की है वह उसमें लिखी गई है। जो हमारा यह सेक्शन है वह डीलर की तारीफ है उसमें हम इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर जोड़ रहे हैं। इसके जोड़ने के बाद यू० पी० को अख्तियार हो जायगा कि इस किस्म के सेल्स जो बाहर हों उनपर भी हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। इतना सा यह बिल है और मुझे उम्मीद है इसको पास किया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक संशोधन के रूप में इस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है इसके उद्देश्य और कारण का मौलिक रूप चाहे जो कुछ भी हो वह तो हम बाद को व्यक्त करेंगे परन्तु इस समय मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसको इस समय पास न करे तो भी इसके उद्देश्य और कारणों की पूर्ति हो सकती है क्योंकि समाचार-पत्रों में ऐसी रिपोर्ट कई बार आयी है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस विभाग के जो मंत्री जी हैं उनके सामने भी यह बात लायी गयी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उस फैसले को मद्देनजर रखते हुये बहुत सी राज्य सरकारों ने ऐसे डिलर्स को नोटिस ईशू किया है और जब से यह संविधान लागू हुआ है तब से उन्होंने हिसाब किताब मांगा है और वह सरकार यह चाहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देदी कि राज्य सरकार को दूसरे राज्य की बनी हुयी या दूसरे राज्य में बिका हुआ सामान जिसकी किसी दूसरे राज्य में खपत होती है उसके ऊपर बिक्री कर लगाने का अधिकार है और वह जब से संविधान लागू हुआ है तब से हिसाब मांग रही है कि वह रिट्रास्पेक्टिव की मन्शा इस कानून में पूरा होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री की अगर यह बात सही है और सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन जो कि अभी वहां पर मस्विदे के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने है उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उसमें कुछ बुनियादी बाते उठती हैं। जैसा कि बिहार, है उत्तर प्रदेश है। बिहार का सामान जो बिका उसकी आकर उत्तर प्रदेश में खपत हुई तो माननीय मंत्री जी जो इस विधेयक की मन्शा है इसके मुताबिक उस सामान पर टैक्स लगाना चाहते हैं जो कि पहले नहीं लगता था। अगर यह सही है और यह टैक्स लग सकता है तो इसको जब से संविधान लागू हुआ है तब से इफेक्ट रहेगा। अगर यह विधेयक पास करते हैं तो इसका असर तो तब से ही लागू कर सकते हैं जब से कि संविधान लागू हुआ है क्योंकि जब यह बात साबित हो गयी और सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि टैक्स लगाना चाहिये तो जिस तरह से बिहार से यहां के डीलर्स के पास नोटिस आया हुआ है क्योंकि उनका माल जहां जहां पर आया है उनको नोटिस देकर तब से ही २६ जनवरी सन् ५० से हिसाब मांग रहे हैं ताकि उस हिसाब-किताब के मुताबिक उस सामान पर वह बिक्रीकर लगाने की व्यवस्था कर सकें। तो उस स्थिति में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी क्या आपत्ति है। चाहे यह विधेयक दो महीने

में पास हो या कुछ और देर लगे, जब राज्य सरकार को यह अधिकार है तो वह कभी भी पास करके पिछला वसूल कर सकती है। जो बहुत से कानून के जानकार हैं मैंने उनसे सलाह मशविरा किया तो उनका कहना भी यही है कि उनको टैक्स लगाने का बुनियादी हक हो जाता है और टैक्स हम लगा सकते हैं। तो हम आज भी टैक्स लगा सकते हैं और पिछले जमाने का वसूल कर सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था कानून में की जा सकती है। तो यह कहना कि यह विधेयक अगर आज पास नहीं होगा तो बहुत सा नुकसान हो जायगा यह ठीक नहीं जान पड़ता। श्रीमन्, इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिये कि यह सेल टैक्स एक रिग्रेसिव टाइप की चीज है मगर आज कल हर सरकार, दुनिया के मुल्कों की तमाम सरकारें सेल्स टैक्स के द्वारा राज्यों की आमदनी बढ़ा रही हैं। हमारे यहां भी राज्य सरकार सेल्स टैक्स से आमदनी बढ़ाना चाहती है लेकिन हमें कहना यह है कि सेल्स टैक्स का बर्डेन कहां जाता है। जिन लोगों पर उसका बोझ पड़ता है इस पर हमें आपत्ति है और हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स के बारे में जब आप एक संशोधन बिल ला रहे हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था भी करें कि सेल्स टैक्स उन आर्टिकिल्स पर न पड़े जिन की आवश्यकता बुनियादी जरूरतों को पूरा करने कि लिये सर्वसाधारण को पड़ती है। वह ऐसी चीजों पर लगावें जिनका इस्तेमाल धनी तबका और पूंजीशाही तबक़ा करता है। उन लोगों पर अगर इसका भार पड़े तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, उनसे सरकार अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। ऐसा कोई रास्ता या तरीक़ा सरकार को निकालना चाहिये जिससे सेल्स टैक्स का भार उन पर न पड़े जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, द्रवित हैं और ग्रसित हैं और जो उसे देने की कैपेसिटी नहीं रखते और जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह उसे पे कर सकें।

एक और बड़ी दिक्कत मैं आप के द्वारा मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। एक वैधानिक आपत्ति व्यापारियों की ओर से उठाई गई थी और कानून के जानकारों की निगाह में वह वेलिड है। जैसे बिहार का व्यापारी सामान बेच रहा है और उसका सामान यहां आयेगा तो बिहार का व्यापारी जो बिहार में रहकर अपना सामान बेच रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता या नहीं यह एक डिबेटेबिल प्वाइंट है जिस प्रसंग में फैसला हुआ है जो बम्बई के व्यापारियों को और वहां की सरकार को मालूम था और उस स्टेट के रहने वाले लोगों को मालूम था कि इस प्रकार फैसला हुआ उसमें लिखा है—

"The Supreme Court of India in their judgement in the Bombay Sales Tax Appeal case has held that the delivery State is competent to collect sales tax on goods delivered in such State for consumption. We have, however, been advised that there is authority in the Supreme Court judgemnt to hold the view that non-resident dealers who have no place of business or a Representative within a State cannot be made subject to the Sales Tax Act of that State and to pay the sales tax on the sale of goods in respect of which the despatches are made to a consignee within that State."

श्रीमन्, इसके मुताबिक मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि यह एक डिबेट का प्वाइंट है और उस पर सिविल कोर्ट को फैसला देना है। अगर बिहार का कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश में सामान बेचता है तो बिहार में रहकर ही बेचता है, यहां उस की कोई एजेंसी होगी, एजेंट होगा या कोई दफ्तर होगा, जो बेचता होगा। यह एक सवाल है कानून जो विशारदों के सामने है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रूलिंग होना है। इसलिये अगर जल्दी न की जाती और फैसला आने पर ही पास करा लेते तो अच्छा था और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलट जाता है तो उन को फिर एक संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा और उसमें फिर सदन का समय नष्ट होगा। इसीलिये मैं खोज रहा हूं कहीं एक चिट भी गायब हो गई। ८ अगस्त में डिप्टी मिनिस्टर गवर्नमेंट आफ इंडिया जो फाइ-

[श्री राजनारायण]

नेन्स विभाग के हैं उन्होंने अखबार में बयान दिया है और उन्हों ने चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत सी राज्य सरकारों में चर्चा चली है कि राज्य सरकारें कर लगायें उस समय से जब से कि भारत का विधान लागू है, तो वह कह रहे हैं कि इससे व्यापार को बहुत धक्का लग रहा है। इसलिये उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही जल्दी तमाम राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज की एक मीटिंग बुलाने जा रहा हूं । इस मीटिंग के बाद ऐसी नीति निर्धारित होगी जो तमाम भारत में समान रूप से लागू होगी। यह बयान है सरकार के वित्त मंत्री का। तो जब केन्द्रीय सरकार इसमें दिलचस्पी ले रही है और यह समझ रही है कि इसमें आगे चल कर गड़बड़ियां हो सकती हैं तो माननीय मंत्री जी उस फैसले की प्रतीक्षा करें कि फाइनेंस सेक्रेटरीज की इस मीटिंग का क्या नतीजा होता है। मैं चाहता था कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को देखते । "सेल्स टैक्स रूल्स डिफीकल्टीज" करके एक बयान निकला है ।

"Mr. M. C. Shah....."

श्री अध्यक्ष—आप क्या अखबार पढ़ रहे हैं, वह तो नहीं चलेगा। आप उसको समझा कर कहिये ।

श्री राजनारायण—वह चाहते हैं कि हर राज्य सरकार के लिये ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसी तरह की परेशानी न हो और उस परेशानी के कारण फिर आगे चल कर एक दूसरा विधेयक लाने की परिस्थिति न उत्पन्न हो, इसलिये मैं अभी यही चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इस पर गौर करें । जल्दी में आकर, अगर आप चाहें तो नोट करा दें ताकि फिर इसी पर जब संशोधन लेआयेंगे, केन्द्रीय सरकार के फैसले के बाद, तो सदन को पूरी तरह से जानकारी रहे कि बार बार विरोधी पार्टी ने कहा लेकिन अपने हठ में जड़ कर पास कर दिया। हमने कल भी यही कहा था जो दूसरा विधेयक चल रहा था और आज भी कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। सदन के समय को बार बार नहीं लेना चाहिये। है तो यह नन्हा सा विधेयक लेकिन उसमें बड़ी भारी पालिसी इनवाल्व्ड है। उसको लेकर बड़ी भारी गड़बड़ी हो सकती है। हर एक स्टेट की भिन्न पालिसी होने के कारण गड़बड़ी होती है इसी लिये केन्द्रीय सरकार दिलचस्पी ले रही है । श्रीमन् जो चिट मैं ढूंढ रहा था वह मिल गयी। अगर आप कहें तो अंतिम भाग मैं पढ़ दूं ।

"The difficulty experienced by dealers who export goods to other States will be the subject of discussion of a conference of the Finance Secretaries of the States, to be held shortly, it is learnt."

यह पी० टी० आई० की खबर है । इन तमाम बातों को रखते हुये हैं मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जल्दी न करें। जब कि वह पूरा विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं तो इस पर भी वहां चर्चा होने दें । फाइनेंस सेक्रेटरीज की जो मीटिंग हो रही है उसका नतीजा भी देखें और उसके बाद एक ऐसी पालिसी लायें जिससे फिर इस सदन के समय को उसी विषय पर लगाने की आवश्यकता न पड़े ।

माननीय मंत्री जी की खिदमत में मैं, श्रीमन्, जो तीन चार बार रूल्स आये हैं उनके बारे में जरा निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप विषय के बाहर जा रहे हैं ।

श्री राजनारायण—इसी सेल्सटैक्स पर आरहा हूं । इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का जो मामला है उसके लिये तीन बार तीन रूल्स आये। एक स्वरूप इसका २६ जनवरी, १९५० के पहले था। इसके पहले अगर कोई माल उस राज्य में है और हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में जायगा तो उस राज्य की

बिक्री समझी जाती थी। यह २६ जून, १९५० से पहले अवस्था थी अब इस अवस्था को फिर माननीय मंत्री जी के इस विधेयक के जरिये लाने की बात है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था परिवर्तित है। यह व्यवस्था परिवर्तित हुई उस विधान की कुछ धाराओं को ले करके और बम्बई के हाई कोर्ट ने इसी व्यवस्था को सही माना। बम्बई हाई कोर्ट के डिसीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और एक ही स्टेट के अन्दर रह कर ट्रांजीशन करने वालों के संबंध में फैसला हुआ है। जो हम ने प्वाइन्ट उठाया कि एक दूसरे सूबे में अपने दफ्तर को रख करके, एजेंट को रख करके व्यापार कराना और एक दूसरे सूबे में बस करके व्यापार करना, तो यह बुनियाद थी उस कानूनी अड़चन को जिसको दूर करने के लिये दूसरा विधेयक इसी सदन में लाना पड़ा कि फिर १ अप्रैल, १९५१ से अन्तर राज्य के किसी कर को राज्य के बाहर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं रह जायगी। जो कोई दूसरे राज्य से ट्रांजीशन करे उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, जो कि एक तरीके से चल रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस स्टेट वर्सेस बंगाल इम्युनिटी प्रोडक्ट्स कम्पनी, कलकत्ता राज्य बनाम बंगाल इम्युनिटी प्रोक्ट्स कम्पनी का चल रहा है जो कि माननीय मंत्री जी चला रहे हैं। इसी माननीय मंत्री जी के मंशा से ही संबंधित जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोई जल्दी न हो। इस पर विचार किया जाय और माननीय मंत्री जी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देख लें और उसको देखने के बाद अगर वह बदलने की बात करेंगे तो सिलेक्ट कमेटी से लौट करके वह बातें आयेंगी और फिर उसकी व्याख्या होगी। यह बहुत डिफिकल्ट सवाल है। इसपर एक आम बहस होगी। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह चाहेंगे कि इस बीच का रुपया राज्य सरकार ले कर रहे व्यापारियों से तो बीच के जमाने से इस ऐक्ट को लागू करते हुये, जैसा कि बहुत से विधेयकों में हुआ है उस कमी को पूरा कर सकते हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव सदन के संमुख उपस्थित किया है उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय राजनारायण जी ने कुछ शंकायें प्रगट कीं। उन से कुछ ऐसा मुझे लगता है कि जरा उन्होंने इस विषय पर समझने में कुछ जल्दबाजी की। अभी आपके संमुख जो एक कागज आया था जिस से कि वह कुछ पढ़ना चाहते थे वह तो बम्बई के साईकिल मार्केट की एक रिपोर्ट है जिसको शायद वह सदन के संमुख सुनाना चाहते थे। मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्रस्ताव वित्त मंत्री ने रखा है वह केवल निर्दोष ही नहीं है बल्कि इस उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिये भी किन्हीं अंशों में नितांत आवश्यक है। आज यह तो निश्चित बात है कि जब भी कोई किसी प्रकार का टैक्स लगाया जायगा तो टैक्स उत्पादकों के ऊपर ही नहीं, व्यापारियों के ऊपर भी पड़ेगा, तो बहुत कुछ चेष्टा इस बात की की जायगी कि अदालत के कानून की शरण ली जाय और उस से बचने का भी प्रबन्ध किया जाय। किन्तु कोई भी प्रदेश कानून के फैसले को ऐंटीसिपेट करके उसका अनुमान करके अपने विधेयकों को रोक नहीं सकता, उनको रोकने के कारण उत्पन्न होने वाली हानि को संवरण नहीं कर सकता। इस संबंध में सब से पहले बम्बई में मामला उठा। बम्बई की हाईकोर्ट ने बम्बई की सरकार के विरुद्ध फैसला दिया और उस फैसले के विरुद्ध बम्बई की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उस अपील पर फैसले को, मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय राजनारायण जी ने पूरे तौर से पढ़ा नहीं उन को उपलब्ध नहीं था। यदि वे उस फैसले को देखते तो उस में ऐसी बहुत सी बातें साफ कर दी गयी हैं जिनके कारण माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना आवश्यक था कि उन्होंने बहुत जल्दी इस मामले को हमारे सामने उपस्थित कर दिया जिससे हमारे प्रदेश की होने वाली हानि रुक जाय।

सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल था कि विधान की धारा २८६ (अ) व (ब) के कारण यह बात गलत हो तथा किसी तरह से इंटर स्टेट व्यापार में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में विचार करके अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है जिसे मैं आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

उन्होंने लिखा है—

"The expression 'for the purpose of consumption in that State' must, in our opinion, be understood as having reference not merely to the individual importer or purchaser but as contemplating distribution eventually to consumers in general within the State. Thus all buyers within the State of delivery from out of State sellers, except those buying for re-export out of the State would be within the scope of the Explanation and liable to be taxed by the State on their inter- State transactions. It should be remembered here that the Explanationdeals only with inter-State sales or purchases and not with purely local or domestic transactions."

यह उस फैसले का बहुत ही अहम वाक्य है जो कि इस सदन की सेवा में उपस्थित कर देना चाहता था। तो श्रीमन्, वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव में सबसे अहम चीज जो है वह सेल्स की व्यवस्था है। सेल्स टैक्स किस से आता है, सेल्सटैक्स लागू कहां पर होगा, कौन इसे देता है इत्यादि और सेल्स टैक्स के संबंध में रीट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट का, पिछले बकाये का जो हम जिक्र नहीं करते यह तो हमारे लिये और सबके लिये प्रशंसा की बात होगी कि हम इस मामले में बेकार का बोझा नहीं लेते। सेल्स टैक्स देता कौन है? सेल्स टैक्स जो सामान बेचने वाला है वह उस सामान के उत्पादकों के मूल्य पर इजाफा करके सेल्स टैक्स लेता है और हमने कोई सामान बेच लिया, उसके दो महीने के बाद टैक्स मांगा जाय तो उस माल के ऊपर कौन टैक्स देने के लिये आयेगा। तो यह ऐसी चीज है जिसमें पिछले बकाये का प्रश्न उठाना संभव नहीं होगा? और हमारे इसी प्रदेश में कुछ दिन पहले सेल्स टैक्स की कुछ मदों के बारे में फैसला हुआ कि यह नहीं ली जानी चाहिये थीं और वह रकमें वापस कर दी गईं। लेकिन वह रकमें खरीदारों को नहीं मिलीं बल्कि उस रोजगारी को मिलीं जिसे कि बैठे बैठाये एक अच्छा फायदा हो गया। खरीदारों को वह कैसे वापस मिल सकती थीं। तो यह एक बड़ी भारी विडम्बना सी है। एक चीज यह है कि अगर बाहर से आने वाले माल के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय तो इस प्रदेश के उत्पादकों का सामान उनके कम्पीटीशन में, प्रतिस्पर्धा में महंगा पड़ेगा और हमारे प्रदेश की पैदा की हुई चीज यदि महंगी पड़े तो हमारे प्रदेश के उत्पादकों की बहुत बड़ी हानि इसमें है और श्रीमान् अगर इस पर विचार किया जाय तो इस विधेयक की कितनी आवश्यकता आज है वह एक मालूम पड़ेगा। यदि माननीय वित्त मंत्री अपने इस साफ सेल्स टैक्स को संशोधित रूपमें लाने के लिये सेलेक्ट कमेटीमें भेजना चाहते हैं तो सचमुच में उन्होंने यह एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। उनसे मैं एक यह निवेदन कर दूं कि काज सेल्स टैक्स के कई नियमों की खराबी के कारण उत्तर प्रदेश में पैदा किये हुये बहुत से सामान बाहर से आने वाले सामानों से कहीं महंगे पड़ गये हैं जिससे हमारे प्रदेश का व्यापार चौपट हो गया है। किराने के रोजगार का बनारस और आगरे का केन्द्र टूटकर दिल्ली में चला गया है, तम्बाकू के रोजगार का केन्द्र काशी आदि से टूटकर गया में हो गया है। इस तरह से हमारे यहां के रोजगार टूटते चले जा रहे हैं। मोजा, बनियाइन ऐसी चीजें आज अगर कलकत्ते से मंगाकर बेंचे तो सस्ती पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मोजा बनियाइन की मिलों के मालिक झंख रहे हैं और रो रहे हैं कि उनका माल महंगा पड़ रहा है और बिक नहीं रहा है। ऐसी चीजों को रोकने के लिये यदि हम इस प्रस्ताव के द्वारा यह कहते हैं कि बाहर के आने वाले माल पर भी हम कोई टैक्स लगायें तो इससे न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि इससे इस प्रदेश के रोजगारियों की जो हानि हो रही है, वह भी रुक जायगी। यह चीज विचारणीय है और सेलेक्ट कमेटी के सामने और जो मामले जायेंगे उनके साथ इस पर भी विचार हो सकता है। एक बात मैं और निवेदन कर दूं। जहां तक कि बिहार और बंगाल का प्रश्न है यह उनका एक ऐसा झगड़ा है जो कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ऐन्टीसिपेट नहीं कर सके। लेकिन यह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वह किसी रूप में बदल जायगा यह सोचना भी गलत बात है। बम्बई ऐसे प्रदेश में जहां कि यह फैसला लागू हो गया, वहां की सरकार भी सेल्सटैक्स की रूपरेखा को बहुत कुछ बदलने के लिये सोच रही है। मल्टिपिल टैक्सेशन और डबुल टैक्सेशन के मामले बहुत कुछ उसके विचाराधीन

हैं, यह निश्चित बात है लेकिन इस टैक्स के लगाये जाने के बाद टाटा ऐसी कन्सर्नों ने टैक्स की वसूली शुरू कर दी है और टैक्स के वसूल करने के साथ साथ जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने अपने डीलर्स को लिख दिया है कि भाई टैक्स तो हम लिये जा रहे हैं और ले करके खजाने में जमा करते जा रहे हैं, इसलिये टैक्स तो हमको देते रहो, लेकिन अगर कभी कोई फैसला बदला तो मुमकिन है कि हमको इसको वापस करना पड़े इसलिये ऐसी परिस्थिति के लिये हम तैयार रहेंगे और टैक्स वसूल करते जायेंगे। अगर कोई बात हमारे इस निर्णय के बाद पुनः अदालत के सामने आ सकती है तो केवल यह हो सकता है कि आज का व्यापारी अपने खाते में उस रक़म टैक्स को डाल दे और इसके लिये प्रतीक्षा करे कि मुमकिन है कि कभी कोई ऐसा मौका आये जब कोई रद्दोबदल हो जाय। लेकिन जहां तक उपभोक्ता का प्रश्न है उसके सामने समस्या यह है कि उसने बाजार से सामान खरीद लिया और पैसा दे दिया, अगर कभी उसमें रद्दोबदल हो तो न वह पैसा गवर्नमेंट वापस करेगी और न उपभोक्ता को वापस मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं इसके बारे में पुनः माननीय राजनारायण जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में यह विचार हो सकता है कि किस प्रकार ऐसा टैक्स लगाया जाय जिसका बोझ सब के ऊपर न पड़े। किन्तु यह कहना कि बुरजुआ क्लास पर ही टैक्स पड़े, मैं समझता हूं कि बिलकुल बेकार है। कंज्युमर्स गुड्स एक बड़ी भारी चीज कही जाती है। हर एक व्यापारी और व्यवसायी के लिये कहा जाता है कि कंज्यूमर्स गुड्स बड़ी भारी व्यापारिक चीज हुआ करती है। इसके बारे में मैंने एक आस्ट्रेलियन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें यह लिखा था कि उत्तर प्रदेश में एक लाख से ज्यादा कंज्यूमर्स गुड्स के पर्चेजर नहीं हैं। तो केवल एक दो लाख लोगोंसे टैक्स वसूल करके कैसे कोई गवर्नमेंट चल सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में करीब दो सौ करोड़ रुपये का माल बाहर से आता है। जिस प्रदेश में इतना माल बाहर से आता हो उस प्रदेश को अपने टैक्सेशन की पालिसी ऐसी करनी होगी कि ऐसे मार्गों केद्वारा उसकी आमदनी हो जिस से प्रदेश की गवर्नमेंट की कुछ आमदनी बढ़े। जब गवर्नमेंट की इस तरह से आमदनी बढ़ेगी तो जो अनायास और टैक्स लगते हैं वे नहीं लगाये जा सकेंगे। मैं समझता था और आशा करता था कि माननीय राजनारायण जी पसन्द करेंगे और स्वीकार करेंगे इस एक मद को जिस के द्वारा हम अपनी टैक्स की सीमा ऐसी बनाने जा रहे हैं जिससे हमें शायद और टैक्सों की सीमा को लांघने की जरूरत न पड़े।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आप के सामने माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है बहुत सरल विधेयक है और मैं आशा करता था कि उसके बारे में कोई वादविवाद नहीं होगा। इसके द्वारा किसी तरह से भी कोई हानि, किसी तरह का कोई नुक्सान, यहां के रहने वालों को पहुंच नहीं सकता है और न इसके द्वारा कोई दर टैक्स की बढ़ाई जा रही है और न किसी माल पर जोकि यहां का हो टैक्स लिया जा रहा है। यह तो एक बहुत सीधा सा विधेयक है और जो २८६ धारा हमारे विधान की है उसी के आधार पर बिलकुल करीब करीब उन्हीं लफ्जों में यह विधेयक तैयार किया गया है और यहां पेश किया गया है। इस बीच में कुछ अदालतों के फैसलों की वजह से कुछ गड़बड़ी पैदा हो गयी थी और कुछ शुबहात पैदा हो गये थे। जहांतक २८६ धारा है उसमें मैं समझता हूं कि कोई शंका की गुंजाइश ज्यादा नहीं थी। मेरा भी कुछ हाथ जब यह विधान बना था, इस २८६ धारा के बनाने में और खासकर इस एक्सप्लेनेशन के बनाने में जिस को कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मान कर बम्बई के फैसले को रद्द किया है, उससे था। इरादा यह था कि जो माल दूसरे स्टेट से आया हो जिसके बारे में मुआहिदा बिक्री का दूसरे स्टेट में हुआ हो वह माल जिस स्टेट में आवे वहीं उसको खपत हो और वह वहां बिका हुआ समझा जायगा। यानी सेल की जो मामूली डिफनीशन है, जो बिक्री की मामूली परिभाषा है उसको कुछ हद तक संशोधित करके इस २८६ धारा में यह एक्सप्लेनेशन रक्खा गया था और यह एक उसूल समझा गया था कि जहां जो माल खपता है जिस स्टेट में उसके ऊपर दूसरी स्टेट को कोई खास फायदा नहीं पहुंचना चाहिये। इस वक्त जैसा कि बम्बई के कानून के बारे में वहां की हाई कोर्ट ने फैसला किया था, उसका नतीजा यह होता था कि अगर कपड़ा यहां हमारे संयुक्त प्रदेश में बने और यहां बिके उस पर तो टैक्स लगेगा मगर उसी किस्म का कपड़ा अगर बाहर से आवे तो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

यहां आने पर उसपर टैक्स नहीं लग सकता था। इसका नतीजा यह होता है कि जिस स्टेट के भीतर जो चीजें पैदा होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है और जो बाहर से चीजें आती हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है; इसीको देखते हुये कुछ उसूल आमतौर पर माने गये हैं। एक तो यह कि इंटर स्टेट ट्रेड में कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिये क्योंकि हिन्दोस्तान सारा एक है और इसमें कोई किसी तरह की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी ऐसी नहीं लगनी चाहिये जिससे एक स्टेट का माल दूसरे स्टेट में आने में रुकावट हो। दूसरे यह कि जहां तक सेल्स टैक्स वगैरह की बातें हैं, जो माल बिकता हो चाहे वह इस मुल्क के अन्दर बना हो चाहे वह बाहर से बन कर आया हो मगर जिस स्टेट में उसकी खपत होती हो उस स्टेट को उसपर पूरा हक रखना चाहिये। ऐसा न हो कि यहां के माल पर सेल्स टैक्स लगे और बाहर से आये हुये माल पर न लगे। जो माल जहां खपता हो उसके ऊपर वहीं सेल्स टैक्स उसी स्टेट को लगाना चाहिये। यह वसूल धारा २८६ में मंजूर किया है और उसके मुताबिक यह एक्सप्लेनेशन बनाया गया परन्तु इधर बम्बई में तथा कुछ और जगहों में यह फैसला हुआ कि विधान के सिलसिले में उसके इंटरप्रिटेशन में और उसके जो आर्टिकिल्स हैं उसके माने लगाने में कुछ इस तरह की बातें कहीं गयीं जिससे कि इसमें कुछ शंकायें पैदा हो गयीं और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर यह साफ फैसला कर दिया कि २८६ का जो एक्सप्लेनेशन है उसके मुताबिक हर स्टेट को अपने यहां जो माल कंज्यूम होता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार होगा। अब सीधा सवाल यह है कि हम को अपने यहां बाहर से आने वाले माल पर जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक उसपर कर लगाना चाहिये या नहीं। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है। माननीय राज नारायण जी या उस तरफ के बैठने वाले दूसरे माननीय सदस्यों को इस वसूल से मुखालिफत नहीं होगी कि हमारे यहां व्यापारियों को ही बोझा उठाने के लिये मजबूर किया जाये और जो माल दूसरी जगह से आवे वह उससे मुस्तसना हो। सिर्फ़ इसीलिये यह लाया गया है और इससे स्टेट को तो आमदनी होगी ही, उसके अलावा यहां के उद्योग धंधों को भी मदद मिल सकती है। जो ऐसी चीजें हैं जिन पर यहां कर देना पड़े और यदि वे बाहर से लाई जावें तो न देना पड़े, तो लोग यहां से ५ मील की दूरी पर उस चीज को पैदा करें या बनावें और उस पर हम टैक्स नहीं लगा सकेंगे। इसलिये उसूलन उसके बारे में कोई २ राय नहीं हो सकतीं। मैं समझता हूं कि राजनारायण जी को इससे खिलाफत नहीं है। दरअसल उन्होंने उसूल को माना है; मैं उनके इस उसूल की क़द्र करता हूं कि ऐसी वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगना चाहिये जिससे ग़रीबों पर बोझ पड़े। हमने उस पर अमल करने की कोशिश की है। मद्रास में करीब करीब १८ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से आता है जहां की आबादी हमसे कम है, शहर हमारे यहां ज्यादा हैं। बम्बई में लगभग १६, १७ करोड़ की आमदनी होती है जिसकी आबादी हमसे क़रीब क़रीब आधी है। हमारी आमदनी सेल्स टैक्स से केवल ५ करोड़ के क़रीब होती है। इससे देखा जा सकता है कि हमने किस प्रकार इस टैक्स को लगाया है। हमारे यहां वे सब चीजें जिनका ग़रीबों से सम्बन्ध है, टैक्स से बरी हैं, मसलन् अनाज, दूध, घी, लकड़ी और बहुत सी चीजें। उनकी तादाद करीब ५० और ६० के बीच में है और उन पर करीब करीब हर एक पर मदरास प्रेसीडेंसी में सेल्स टैक्स पड़ता है। हमारी कोशिश यही है कि अगर हम ग़रीबों पर बोझा हल्का कर सकते हैं तो करें। मगर आज यह सवाल नहीं है। आज तो सवाल यह है कि क़ानून के अलफ़ाज़ के साफ़ न होने की वजह से हमारी स्टेट को नुक़सान पहुंच रहा है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस बिल को स्वीकार करेगा। राजनारायण जी तो इस बिल से बहुत आगे जा रहे हैं। वह तो कहते हैं कि सन् ५० से आज तक के सब माल को जिसकी ऐसी बिक्री हुई है उस पर तुम टैक्स लगाओ। यह मैं मुनासिब नहीं समझता चूंकि उन लोगों ने उस पर टैक्स नहीं लिया जिन्होंने उसकी बिक्री की।

तो आज अगर हम उन पर टैक्स लगावें तो वे यह कह सकते हैं कि साहब, आपका क़ानून पहले ऐसा नहीं था और मैं समझता हूं कि अगर हम ऐसा क़ानून लाते तो राजनारायण जी जरूर उसका विरोध करते। परन्तु हम नहीं लाये हैं, इसलिये उनको यह सूझता है कि ऐसा हो जाय अगर वह इस तरह का नान आफीशल बिल लावें तो हम अवश्य मंजूर करेंगे। उसके लिये मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मगर जब वह १६ आने देने के लिये तैयार हैं और हम सिर्फ १ आना ही मांग रहे हैं तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वह तो हाथी देने के लिये तैयार हैं और हम केवल हिरन चाहते हैं तो वह हिरन को मंजूर करने में दिक्क़त महसूस करते हैं, बल्कि हिरन भी नहीं, खरगोश। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस बिल पर कोई बहस मुबाहसा नहीं होगा और सदन इसको मंजूर करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी का विद्वतापूर्ण स्पष्टीकरण बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जैसा उन्होंने कहा, एक कानूनी उलझन के दूर करने के लिये, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में कमी आ सकती है, यह विधेयक लाया गया है। जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि हमारा कोई उद्देश्य इस विधेयक के विरोध करने का नहीं था इस माने में कि लगातार फैसलों से इधर जब हम देख रहे हैं कि विधेयक की भाषा में कई बार परिवर्तन होता जाता है। तीन बार अभी तक परिवर्तन हो चुका है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से मामले हैं जो सेल्स टैक्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और उनके फैसले भी निकटतम भविष्य में होने वाले हैं। जब तक गवर्नर महोदय के दस्तखत हों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुछ मामलों में हो जांय तो फिर हमें अमेंडिंग बिल लाना पड़े। इसलिये बजाय ऐसा करने के यह अच्छा होगा कि जो महत्वपूर्ण मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हैं उनके फैसले के बाद हम कोई संशोधन लायें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। यह रिफंड के मामले बराबर सरकार को परेशान करते हैं।

माननीय राजनारायण जी ने तो जो रिट्रास्पैक्टिव अफैक्ट की बात कही थी तो वह तो उन्होंने एक मिसाल दी थी। अगर रिट्रोसपैक्टिव अफैक्ट की बात सुप्रीम कोर्ट कर दे तो विश्वास नहीं करता हूं। जहां सरकार के फायदे की बात आती है वहां सरकार एक दिन में पास करा लेती है। लेकिन जहां सरकार के लिये टोटे की बात आये या ज्यादा देने की बात आये वहां वह ढील करेगी ऐसी बात नहीं है। सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद चाहे लाभ की बात हो, चाहे हानि की बात हो, चाहे प्रेजेन्ट अफेक्ट की बात या चाहे रिट्रासपैक्टिव अफैक्ट की बात हो और चाहे कुछ भी बात हो सरकार ढील नहीं करेगी ऐसा मेरा विश्वास है।

इस सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने धारा २८६ की तरफ हम लोगों का ध्यान दिलाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस देश के विधान के बनाने में भाग लिया है और उनका बहुत हाथ रहा है। यह हमारे सदन के लिये शुभ सूचना है। लेकिन अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वह एक्सप्लेनेशन धारा (१) में है धारा (२) में नहीं है। इस बारे में जस्टिस बिवियन ने अपना नोट आफ डिसेंट दिया है मैं उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"286. (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —

(*a*) outside the State ;"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो यह धारा २८६ की उपधारा (ए) के लिये एक्सप्लेनेशन है—

"Explanation .—For the purposes of sub-clause (a), a sale or purchase shall be deemed to have taken place in the State which the goods have actually been delivered as a direct result of such sale or purchase for the purpose of consumption in that State, notwithstanding the fact that under the general law relating to sale of goods the property in the goods has by reason of such sale or purchase passed in another State."

तो यह एक्सप्लेनेशन है। इस विधान में भी लिखा हुआ है। यह धारा २८६–ए के लिये है लेकिन अब जो इंटरप्रेटेशन दिया गया है वह यह है कि यह एक्सप्लेनेशन उपधारा (२) के लिये लागू होता है। मैं जस्टिस विवियन साहब के नोटआफ डिसेंट को पढ़ना चाहता हूं। वह यह है कि :

"I am also unable to agree that the explanation governes clause (2) of article 286 for its limit itself in express terms to Sub-clause (*a*) of clause (1),"

इसलिये जहां हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का राजनारायण जी की ओर संकेत दे रहे हैं कि वह कोई नान-आफीशियल बिल ले आयें वहां मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधान सभा में एक प्रस्ताव लायें जिससे हम पार्लियामेंट से निवेदन करें कि वह विधान में ऐसा संशोधन करके इसको उपधारा (२) के लिये भी लागू करे और यह विधान स्पष्ट हो जाय। और इस बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक दूसरे जजमेंट की ओर दिलाता हूं जो इसी मद्रास सेल्स टैक्स के बारे में हुआ है। यह उसी तारीख को हुआ जिस दिन कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ जिसके अनुसार माननीय मंत्री जी यह बिल लाये हैं। यह फ़ैसला ३० मार्च, १९५३ को हुआ। उसमें लिखा है :

"All that Section 100(3) provides is that a law can be passed by a Provincial Legislature for purposes of the province itself. It admits of no dispute that a Provincial Lagislature cannot pass a taxation statute which would be binding on any other part of India outside the limits of the province, but it will be quite competent to enact a legislation imposing taxes on transactions concluded out side the province, provided that there is sufficient and a real territorial nexus between such transactions and the taxing province."

तो हम अगर बिहार के ट्रांजक्शन के बारे में कोई टैक्स लगायें तो यह तो होना चाहिये कि सफ़िशियेंट टेरीटोरियल नेक्सस हो। मेरा निवेदन यह है कि इस फ़ैसले की ओर अगर माननीय मंत्री ध्यान दें तो जो विधेयक वह लायें हैं वह अपर्याप्त है। आगे चल कर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कहता है :

"If, therefore, in the Madras Sales Tax Act the basis adopted for taxations is the location of the place of business or of the goods sold, within the province of Madras, undoubtedly it will be a valid piece of legislation to which no objection on constitutional grounds could be taken."

तो यहां पर आन दि प्लेस आफ बिजनेस इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दूसर फैसलों की ओर भी ध्यान देने से हमारा यह निश्चित विचार है कि यह जो एक्सप्लेनेशन की डेफ़ीनिशन माननीय मंत्री जी ने और उनके विभाग ने तैयार किया है यह अधूरा है और मैं समझता हूं कि इससे जितनी क़ानूनी उलझन से वह बचना चाहते हैं उतना नहीं बच पायेंगे।

इसके अतिरिक्त अन्त में मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से इस विधेयक को जल्दी पास करने का प्रोसीजर एडाप्ट किया गया है उससे

मुझे बहुत सख्त विरोध है कि आज ही एक बिल इन्ट्रोडयूस हो, आज ही उस पर विचार हो, और आज ही क्लाजवाइज विचार होकर पास भी हो जाय। श्रीमन्, आपके नेतृत्व में हमने इस सदन की मर्यादा को निभाने की बहुत कुछ कोशिश की है और सरकार से भी हम इस बात की आशा रख सकते हैं कि कम से कम इतने बड़े नियम की वह विडम्बना तो न करे। ऐसा हो सकता था कि जो विधेयक आज यहां प्रस्तुत किया गया है वह पहले आज कौंसिल में पेश किया जाता और यहां पर सेल्स टैक्स ऐक्ट में जो क्लाज डिलीट करना है उसके डेलीशन का प्रस्ताव मंत्री जी रखते और सदन से मंजूर करवा लेते। कल कौंसिल से वह यहां आ जाता और यहां पर हम उस पर विचार कर लेते। अब इस पर आप यह कहेंगे कि यह चूंकि मनी बिल है इसलिये कौंसिल में नहीं जा सकता। तो यह किसी बिल की बात नहीं है लेकिन अगर आगे को कोई बिल माननीय मंत्री जी को लाना हो तो नियमों की मर्यादा का पालन अवश्य किया जाना चाहिये जिसके बारे में बार बार हमसे कहा जाता है। हमारी तरफ से भी ग़लतियां हो सकती हैं लेकिन सरकार को भी ऐसी ग़लतियां नहीं करनी चाहिये कि एक ही दिन में जितना प्रोसीजर है सब पूरा हो जाय।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, जो विधेयक कि मैंने पेश किया था उस पर जो बहस हमारे दोस्त राजनारायण साहब ने की थी उसका जवाब तो सम्पूर्णानन्द जी और चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया। उन्होंने अपनी तकरीर में जो प्वाइंट उठाये थे उनका जवाब उनके जरिये से मिल चुका है और मेरे ख्याल में इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस बहस को खत्म करते वक्त कुछ और कहूं सिर्फ सदन की जानकारी के लिये कुछ बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था उससे यह बात तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नया इंटरप्रिटेशन दिया है उसके मातहत स्टेट्स के लिये यह बात रखी गयी है कि अगर कोई शख्स कोई माल खरीदकर दूसरी स्टेट में भेजता है तो वहां उसके ऊपर टैक्स लग सकता है और इसी वजह से यह तरमीम इस हाउस के सामने लायी गयी है ताकि हमें इस बात का अख्तियार हो जाय।

सबसे पहली बात जो मैंने कही थी वह यह है कि इस स्टेट का नुकसान होता है लेकिन मैंने उस वक्त यह नहीं कहा कि वह नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है। जाहिर है कि इस ट्रांजेक्शन में टैक्स लगाया नहीं गया है। इसलिये उनका कोई कैलकुलेटेड फीगर तो मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर कोई सही एस्टीमेंट दिया जा सकता हो कि इतना नुकसान हुआ लेकिन जो अन्दाजा है और लफ्ज अन्दाज की जो बात एक आदमी के दिमाग में आती है उसको अगर अपने दिमाग में रखते हुए हम समझें तो मैं यह अर्ज करूंगा कि मेरी मालूमात यह है कि तकरीबन १० हजार रुपया रोज का यू० पी० को नुकसान है। इस सेल के डेफिनिशन में तरमीम न होने से और इस बिल के पास न होने से। मुमकिन है कि इससे कम हो या मुमकिन है कि इससे ज्यादा हो। मगर यह एक वैसे ही अन्दाजा देने के लिये मैंने फीगर दिया और जो मालूमात कि इस वक्त मुझे है उससे यह ख्याल हो सकता है। अगर यह बात सच है तो कम से कम तीन लाख रुपये माहवार का नुकसान है और उस नुकसान को बरदाश्त नहीं करना चाहिये। मेरे दोस्तों ने जो तकरीरें कीं और जो मशविरा दिया, मसलन यह कि हम इस बिल को आगे कभी लाते और उसको रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट देते और इस जमाने में सेल हुए माल पर भी सेल टैक्स वसूल करते।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

उसका जवाब चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत माक़ूल दिया कि यह सबको मालूम है कि सेल्स टैक्स माल बेचने वाला खरीदारों से ही वसूल करता है। तो जिन आदमियों ने जिन चीजों की बिक्री पर टैक्स वसूल नहीं किया है जिस समय कि उन्हें वसूल करना चाहिये तो फिर उनसे इन ट्रांजेक्शन का टैक्स वसूल करना कहां तक ठीक होगा। मैं मानता हूं कि यह ठीक है लेकिन मेरे दोस्तों को मालूम नहीं है कि जब से यह इंटरप्रिटेशन हुआ है गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह खास तौर से हिदायत करदी है कि कोई स्टेट अपने यहां लेजिस्लेशन को रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट न दे। यह उन्होंने एक सरक्यूलर जारी करके मना कर दिया है। जब हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट नहीं दे सकते तो भी तीन, चार, छः महीने या साल भर के बाद भी यह चीज आती तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान बढ़ जाता। न तो यह माकूल ही है और न यह मुमकिन ही हो सकता है। एक भाई का यह ख्याल है कि वह स्टेट टैक्स ले और उस पर हम भी टैक्स लेने के लिये मुस्तहक हैं। मसलन बंगाल में दो आदमियों ने आपस में लेनदेन किया, एक ने दूसरे के हाथ माल बेचा इसलिये कि यू० पी० में आवेगा और यू० पी० में इस कानून की रू से हक है कि वह उस पर सेल्स टैक्स ले लेकिन वहां की स्टेट भी सेल्स टैक्स लेती होगी तो यह बात नहीं है, वह नहीं ले सकती है। सिर्फ यहीं टैक्स लगेगा। वहां की स्टेट अपने आदमियों से टैक्स वसूल करेगी। जिस जजमेंट की बिना पर यह कार्यवाही हो रही है और यह तरमीम आ रही है जिसमें यह लिखा हुआ है..... मैं मेम्बरों की जानकारी के लिये उसे पढ़ देता हूं। जिन साहबान की तबियत हो और जिन साहबान का उससे ताल्लुक हो वे इसे सुन सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है—

"We are, therefore, of opinion that article 286 (1) (a) read with the explanation prohibits taxation on sales or purchases involving another State .....except the State in which the goods are delivered for the purposes of consumptions. "

सब स्टेट्स को उस माल पर टैक्स लगाने का हक नहीं है। सिर्फ उस स्टेट को हक है जिस स्टेट में जाकर वह माल कन्ज्यूम होगा। तो यह डबल टैक्सेशन नहीं होगा। अगर कोई माल बंगाल का यहां पर कन्ज्यूम होता है तो कलकत्ते वाले अपने यहां उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। अब जो बातें कही गई हैं उनका जवाब दिया जा चुका है इसलिये उनमें जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक मोटी सी बात मैं रखना चाहता हूं। बम्बई ने जो सेल्स टैक्स ऐक्ट में तरमीम किया है उसको पढ़ कर आप देख लें मेरे पास मौजूद है। अब यह बात पैदा हो गई है कि बम्बई में जो माल यू० पी० में सेल होने के लिये खरीदा जायगा तो उसपर वहां टैक्स नहीं लगेगा और हमारे यहां से जो बम्बई कन्ज्यूम होने के लिये जायगा उस पर हम नहीं वसूल कर सकते वह वसूल करेंगे। अब इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि हम तभी उस माल पर वसूल कर सकते हैं कि जब अपने यहां के ऐक्ट को तरमीम कर लें। अब अगर हम नहीं करते हैं तो बम्बई वाले तो वसूल करते रहें और यू० पी० वाले बम्बई से न वसूल करें यह कहां तक मुनासिब है यह मैं नहीं कह सकता अब कल को यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय में तरमीम कर लें। लेकिन आज तो उन्होंने जो जजमेंट दे दिया वह दे दिया। माकूलियत के हिसाब से यह ख्याल हो सकता है कि वे अपनी राय पर कायम रहेंगे और अगर वह अपनी राय बदलेंगे तो हम भी बदल जायेंगे। यू० पी० भी बदल जायगा। अब इसमें रुका जाय ऐसी कोई बात नहीं है। फर्ज कीजिये कि १० हजार रुपये यू० पी० का नुक़सान हो तो इसलिये कि सुप्रीम कोर्ट आज से ४ वर्ष या तीन वर्ष बाद अपनी राय

बदल न जाय हम अपने हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें और बम्बई से वसूल होने दें और हम वसूल न करें यह बात ठीक नहीं मालूम होती। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आप हमीं पर इल्जाम लगाते कि कैसा वित्त मंत्री बन कर बैठा है जो यू० पी० को लुटवा रहा है और यू० पी० के लिये वसूल करके नहीं लाता। तो यह कोई कंसीडरेशंस नहीं जिन पर इस बिल को न पास किया जाय। यह बहुत माकूल बात है और आपका नुकसान हो रहा है जिसको इस बिल के जरिये से रोका जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे मंजूर करेंगे क्योंकि यह बहुत ही माकूल बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब धारा २ में उन्होंने डीलर की परिभाषा की है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो फिर इसमें जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा है उससे क्या फायदा होगा। डीलर्स पर ही केवल टैक्स लग सकता है और वह डीलर्स केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है तो फिर बिना उसकी डेफिनिशन के बदले किस प्रकार से यह सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। यह कृपया माननीय मंत्री जी बतलायें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—डेफिनिशन क्या है इसको अगर वह फिर से पढ़ेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि यह सवाल जो उन्होंने उठाया है यह उठता है, या नहीं।

अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, अभी हम लोगों ने नेता विरोधी दल से इस बात पर विचार किया और समय कम होने की वजह से हम इस पर संशोधन नहीं दे सके तो अब इसके ऊपर विचार करके कुछ संशोधन देना चाहते हैं। यह बिल आज ही पुरःस्थापित हुआ है इस वजह से इसके ऊपर संशोधन देने का समय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक ही कापी है उससे सरकार भी काम कर रही है और हम भी उससे काम कर रहे हैं। इस कारण हम यह चाहते हैं कि संशोधन देने में कुछ समय लगेगा तो इस विधेयक को कल के लिये स्थगित कर दिया जाय और १२ बजे सब से पहले ही इसको ले लिया जाय।

अधिष्ठाता—मैं तो यह समझता हूं कि जो संशोधन का प्रश्न आपने इस समय उठाया है वह बहुत देर से उठाया है। कल तो नानआफिशियल रेज्योल्यूशन का दिन इस कारण कल के दिन इसका लेना मुश्किल है। इस वास्ते मैं यह निर्णय देता कि यह संशोधन का प्रश्न इस वक्त नहीं उठ सकता है।

खंड २

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २ के खंड (ज) में "स्पष्टीकरण (३)" के बाद निम्नलिखित "स्पष्टीकरण (४)" के रूप में बढ़ा दिया जाय :— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन।

"स्पष्टीकरण (४)—किसी ऐसे माल की बिक्री जो उक्त बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में उपभोग के लिये उक्त राज्य में वस्तुतः दिया गया हो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त राज्य में की हुई समझी जायगी, चाहे, ऐसी बिक्री के कारण उक्त माल का स्वत्व हस्तान्तरण किसी दूसरे राज्य में हुआ हो।"

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन करने का

विधेयक

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई०।

यह आवश्यक है कि इसमें आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, खंड १ और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यसूची का क्रम बदलने पर आपत्ति

अधिष्ठाता—सातवां आइटम मुख्य मंत्री जी का है वह अभी यहां नहीं हैं और नवां फिर आपका है आप चाहें तो ९ को ही ले लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह क्या हो रहा है कभी आइटम ९ और कभी ७ लेने की बात हो रही है। इस तरह से एजेंडे के क्रम को बदलना मुनासिब नहीं है और इस पर हमें आपत्ति है।

अधिष्ठाता—मैंने सोचा था कि माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं और अभी इसी बिक्री कर बिल पर बहस हो चुकी है इसलिये मैंने सोचा कि इसी को पहले ले लिया जाय लेकिन अगर आपको आपत्ति है तो मैं कहूंगा कि आइटम ७ ही पहले ले लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपत्ति तो है।

अधिष्ठाता—तो ७ ही ले लीजिये ।

*उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने के) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय ।

जनाबवाला, इस स्टेट में डिसिप्लिनरी कमेटी की सिफारिश पर लोगों के खिलाफ इलज़ाम लगने पर जो कार्यवाही होती है और उस पर जो कमेटियां तहकीकात के लिये बैठाई जाती हैं उनको गवाही लेने की जरूरत होती है और इस बात की भी जरूरत होती है कि वह डाकुमेंट्स व काग़ज़ात भी मंगवाये । जिस तरह से अदालत को अख्तयार है कि वह गवाही के लिये किसी को तलब कर सकती है और अगर वह न आये तो उसके खिलाफ वह कार्रवाई भी कर सकती है । इस तरह का कोई कानूनी अख्तयार इन कमेटियों को नहीं है । इसलिये यह जरूरी समझा गया है कि जिन सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ जो कार्रवाईयां होंगी और उन पर जो कमेटियां बैठेंगी और उनको जो शहादत की जरूरत होगी और पेश करने वाला पेश करेगा या जिन डाकुमट्स की जरूरत होगी उनको हासिल करने के लिये यह हकूक लिये जा रहे हैं कि वह कमेटी गवाहों को बुला सकें और फाइल्स काग़जात या डाकुमेन्ट्स को भी तलब कर सकें ताकि तहकीकात में मदद मिले और ठीक तहकीकात हो जाय । सिर्फ इतना सा इसका मक़सद है जिसके लिये यह बिल पेश किया गया है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जो माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से था और जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसके उद्देश्य और कारणों पर हमें ज़रा गौर करना चाहिये कि इन उद्देश्य और कारणों की पूर्ति पहले किसी प्रकार से हो पाती थी या नहीं । कहते हैं कि किसी सरकार का नाम, निर्माण और नियंत्रण का अध्ययन सरकारी सेवकों से किया जा सकता है । उद्देश्य और कारणों में है कि राज्य सरकार के नियम निर्माण-नियंत्रण के अधीन सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में प्रायः विलम्ब होता है । इसका कारण यह भी है कि कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जिसके अनुसार जांच करने वाला अधिकारी अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गैर-सरकारी साक्षियों की उपस्थिति और उनके द्वारा लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य कर सके । परिणाम यह होता है कि इस प्रकार के साक्षी प्रायः विभागीय कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं होते और जांच को पूरा करने में विलम्ब और कठिनता होती है । इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि जांच करने वाले अधिकारियों और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को साक्षियों की उपस्थिति और लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने के निमित्त, उसी प्रकार के अधिकार दिये जायं जो पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, १८५० के अधीन उक्त अधिनियम के अनुसार नियुक्त कमिश्नरों को प्राप्त हैं । श्रीमन्, मैं चाहता था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये । अगर हमारे सामने कोई ऐसा आंकड़ा उपस्थित होता जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचते कि ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जिनसे विभागीय अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों को दण्ड देने में कठिनाई हुई है । तब तो उद्देश्य और कारण बिल्कुल स्पष्ट हो जाते । श्रीमन्, मैं तो अक्सर यह देखता

*५ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री राजनारायण]

हूं कि जब-जब किसी सरकारी विभाग के बारे में कोई समुचित शिकायत की गयी है और उसकी जांच हुई है तो उसकी जांच के फलस्वरूप जो उस अधिकारी को दंड मिलना चाहिये था उस दंड में अगर रुकावट पड़ी है तो वह सरकार की नीति के कारण पड़ी है। बाहर के व्यक्तियों के आने न आने से कोई रुकावट नहीं पड़ी है। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में इसको पेश करना चाहता हूं कि, चूंकि यह विधेयक उनके द्वारा प्रस्तुत हुआ है, कैबिनेट के किसी और सदस्य ने प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिये और जरूरत थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे सामने पूरा नक़शा रखते और बताते कि फलां केस में फलां बाहर का आदमी नहीं आ सका, या उसके पास फलां डाकूमेंट था, उसको, उसके द्वारा प्रस्तुत न होने के कारण उसे दंड नहीं दिया जा सका और फलां अधिकारी इसलिए दंड से बरी हो गया। मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारियों को संरक्षण देने की सरकार की जो मनोवृत्ति है वही इसका मूल कारण है कि किसी दोषी कर्मचारी को दंड न मिल सके।

श्रीमन्, मैं इस सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मेरे पास ऐसे अनेकों प्रमाण हैं और ऐसे बड़े-बड़े प्रमाण हैं और मैं समझता हूं कि जिनके बारे में आपको भी जानकारी होगी। चंदौली तहसील में एक तहसीलदार साहब थे जिनके बारे में इनक्वायरी होते-होते, सरकार और वहां के जिलाधीश से लिखते-लिखते तीन महीने हो गये। उसके बाद किसी तरह से आदेश हुआ कि वहां से वह हटाये जायं। और उनके बारे में जांच की जाय। यह गजट में भी प्रकाशित हो गया। मगर क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के लिखने के कारण उसका तबादला जो गजट में प्रकाशित हो चुका था उस तबादले को उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर, श्री हुकुम सिंह ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में दो कथन हैं, एक श्री कमलापति त्रिपाठी का और दूसरा श्री बीरबल सिंह का। दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। आज एक सरकार के मंत्री हैं और दूसरे पार्लियामेंट के सदस्य हैं। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस केस में कौन सा ऐसा बाहरी व्यक्ति था या डाकूमेंट था जिसके न आने के कारण ऐसा हुआ। सारी कार्यवाही उसकी प्रोसीडिंग्ज में तैयार थी। मगर उसको यह कह करके रुकवाया गया जिसको उस समय के माननीय मंत्री जी ने कबूल किया। इस समय चाहे वह सदन में न कहें। मगर ईमानदारी की बात हो तो उन्होंने कहा था कि जब तक एलेक्शन है तब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। एलेक्शन के बाद उसका ट्रांस्फर हुआ, लेकिन उसको कोई दंड नहीं दिया गया। उसकी तनज्जुली नहीं की गयी। जब कि वहां सभी अधिकारी इसमें एकमत थे कि उसको दंड मिलना चाहिये।

श्रीमन्, एक फोटो मेरे पास है। मैं इसको माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में पेश कर सकता हूं। इसको देखा जाय कि अगर यह अधिकारी जो कि एक पे बिल है, उस पे बिल में एक नाम लिखता है जो कि सर्विस में इनगेज्ड नहीं है, उसकी पे ड्रा करता है और उसे एकाउंट बुक में चढ़ाता है। तो क्या सरकारी कर्मचारी दन्ड नहीं पा रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति के गवाही में न आने के कारण ? यह सवाल जरा मुख्य मंत्री जी को समझना चाहिए और मैं इसको उनकी खिदमत में देने के लिए तैयार हूं। यह बिल्कुल वहां का फोटो लिया गया है। ये श्रीमन्, इरिगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। इनका एक ड्राइवर है, उसको सर्विस में इन्होंने रखा और उसकी तनख्वाह जो इनको खुद देनी चाहिए थी, उसे न देकर डिपार्टमेंट से दिलाने की कोशिश की और इस पर अंगूठे का निशान, श्रीमन्, लगा हुआ है। इसकी जांच भी हुई है और जब इसकी जांच हुई तो पूरे का पूरा सारा मामला कागजी दुरुस्त किया गया। मगर एक बात मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इसमें

जो थम्ब इम्प्रेशन है, जो अंगूठे का निशान है, वह नहीं चेंज हुआ है। दूसरे आदमियों को पकड़ करके, भिन्न-भिन्न आदमियों के अंगूठे का निशान लगवाया करते थे। लेकिन आज जब कि उनके पुराने अंगूठे का निशान मौजूद है और वहां के उस कागज को लिया जाय जिस पर दूसरे का निशान लगा हुआ है तो वह उनका निशान जो है उसमें और उन दूसरे निशानों में फर्क है। इसी के साथ-साथ श्रीमन्, मेरे पास और पोथा है। कानपुर का मामला है। कानपुर में श्रीमन्, भुवनेश्वर नाथ पांडेय, वहां के चीफ राशनिंग इंस्पेक्टर हैं। इनका मामला सालों से डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है और उसकी कोई जानकारी हमें नहीं हो पा रही है। कौन सा ऐसा बाहरी आदमी उसकी सफाई के लिए वहां आवे या गवाही के लिए आवे, तब उसको दंडित किया जा सकेगा, जब कि उसी कागज में सारा प्रमाण मौजूद है, उसमें इतना काफी प्रमाण है कि उसका भी फोटो हमारे पास मौजूद है। इसी फोटो से अन्दाज लग सकता है कि वह कितना ...

अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस बिल का इससे क्या ताल्लुक है, जो फोटो आप दिखला रहे हैं इससे बिल का क्या ताल्लुक है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इन बातों से यह साबित करना चाहता हूं कि जितने सरकारी विभाग हैं, उनमें जितनी खामियां हैं, जितनी त्रुटियां हैं, तो किसी खामी की वजह से, किसी त्रुटि की वजह से ही तो किसी सरकारी कर्मचारी को दंड दिया जा रहा है, तो सरकारी कर्मचारी को दंड दिये जाने की जो व्यवस्था है, वह आज की व्यवस्था में भी दंडित हो सकता है। मगर वह इसलिये, दंडित नहीं हो पाता। इस विधेयक में एक बात जोड़ी जा रही है, ठीक है, जोड़ी जाय। मगर यह जोड़ा जाना भी अपर्याप्त होगा। उससे माननीय मुख्य मंत्री का जो मकसद है वह कामयाब नहीं होगा, एक क्लाज जोड़ देने से, कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि गाजीपुर का मामला हुआ, जिसमें कि इन्क्वायरी हो रही है। डी० वाई० एस० पी०, इन्क्वायरी कर रहे हैं। डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० के अगेंस्ट क्या बयान देगा। उनको तो यह कम्पेल किया जा सकता है कि आपको बयान देना ही पड़ेगा। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि उतने से कोई काम बनने वाला नहीं है क्योंकि ऐसे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। जिनको हम माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। यह जो सरकारी कर्मचारियों में आज भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है, रिश्वतखोरी की वृद्धि हो रही है, आज सरकारी कर्मचारियों में जो अनियन्त्रण बढ़ता चला जा रहा है, इसका कारण यह नहीं है जो कि इस विधेयक के जरिये हम करने जा रहे हैं बल्कि इसका कारण यह है कि आज गवर्नमेंट की पालिसी स्ट्रांग नहीं है, गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग नीति से डील करती तो इस तरह की गड़बड़ियां न होतीं। श्रीमन्, आपको मालूम है, दो मामले हैं, एक से ही हैं। एक मामला बनारस का है, एक आजमगढ़ का है। एक ही पर्टीकुलर ईशू पर जिलाधीश बनारस कहते हैं कि मुझे अधिकार है, जितनी रांग एन्ट्रीज हैं, मैं उनको ठीक करूंगा और आजमगढ़ के जिलाधीश कहते हैं कि तुमको सिविल कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।

एक स्टेट में दो जिलों के जिलाधीश वहां की राजनैतिक पार्टियों के साथ दो तरह से डील करें, यह क्या शोभा की बात है। मैं समझता हूं कि आजमगढ़ के जिलाधीश के बारे में बहुत सी शिकायतें माननीय मंत्री जी की खिदमत में आयी होंगी और अब भी बहुत सी शिकायतें आने वाली होंगी। अगर उन पर कोई इनक्वायरी बिठलायी जाय तो इस बात के कहने के लिये मैं भी तैयार हूं कि आजमगढ़ का जिलाधीश आजमगढ़ के जिले को किस तरह से चौपट कर रहा है। आजमगढ़ में जो सत्याग्रह चल रहा है, वहां जो परेशानियां हो रही हैं जिनकी चर्चा इस सदन में भी कई बार हुई है उस सम्बन्ध में क्या

[श्री राजनारायण]

सरकार की नीति है और वहां के जिलाधीश की क्या नीति है। तो उस जिलाधीश की इनक्वायरी होनी चाहिये, उस जिलाधीश पर डिपार्टमेंटल इनक्वायरी होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में वहां के जिलाधीश की गड़बड़ी बतलाई जा सकती है, सबूत दिया जा सकता है। जो लैंड रिकार्ड्स का मामला चलता था वह हमने आपके सामने अर्ज कर दिया, इसलिये अर्ज कर दिया कि यह जो आड़ ली जा रही है, और जो बाहरी व्यक्तियों पर आक्षेप किया जा रहा है, इससे मुझे थोड़ी सी चिढ़ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई आंकड़े दिये नहीं, इस सदन को इससे अवगत कराया नहीं कि कितने ऐसे केसेज बिगड़े जिनमें बाहरी व्यक्ति गवाही में नहीं आये। इसलिये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह जानता हूं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत से जिलों के जिलाधीशों के सम्बन्ध में सिविल सप्लाइज विभाग के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में बयान देने के लिये तैयार हैं मगर उनका बयान सरकार लेना नहीं चाहती, उनके बयान को ले करके सरकार कुछ करना नहीं चाहती। यह सरकार उनके बयान को ले करके अगर कुछ करती तो क्या आज सरकार को इसी तरह से काले कानून बनाना पड़ते। जो काला कानून अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में सरकारी कर्मचारियों के कांडक्ट के बारे में नहीं बना वह काला कानून क्या आज बनाना पड़ता? श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख होता है जब यह बात सुनने को मिलती है कि आज सरकारी कर्मचारियों के लिये क्या रूल्स आफ कांडक्ट हैं। उनके कांडक्ट के लिये नियम बनाये गये हैं कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रित भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। अगर सरकार की अलोचना सरकारी कर्मचारियों के आश्रित करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की होगी। श्रीमन्, यह काला कानून है। यह अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में भी नहीं था। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस जनतांत्रिक सरकार के जमाने में जो ये अमेंडमेंट होते चले जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट सरकार के ऊपर, जनमत के ऊपर और जनतांत्रिक प्रणाली के ऊपर एक कलंक हैं। यह क्यों हुआ है, इसके लिये मैं जरा निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत जमाना देखा है, बहुत से अप्स एंड डाउंस देखे हैं, और बहुत सी अनुभूतियों को लेकर वे हमारे सामने विद्यमान हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जरा अपनी तमाम उन अनुभूतियों को जागरूक करें और जो तमाम शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान करने के लिये आगे बढ़ें, तब जा करके काम बन सकता है, वरना काम बनने वाला नहीं है। श्रीमन्, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस समय जब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, माननीय गृह मंत्री जी नहीं हैं, मैजिस्टीरियल इनक्वायरी हुई, डिपार्टमेंटल इनक्वायरी हुई लेकिन करीमुद्दीन का मामला दफना दिया गया। हमारे यहां अभी पश्चिम की तरफ जालौन में भोरे सिंह का मामला चला। भोरे सिंह के मामले में भी इनक्वायरी हुई थी और इसी सदन में बयान किया गया था कि मैजिस्टीरियल इनक्वायरी हो गयी। श्रीमन्, वहां के थानेदारों ने गोली कलेजे में मार दी और यह कह दिया कि सेल्फ डिफेंस में गोली मारी। आज मौका है, जब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की अव्यवस्थायें इस स्टेट के अन्दर हो रही हैं, इस तरह से जान व माल खतरे में पड़ता चला जा रहा है। इस स्टेट में यह सब क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्या कोई बाहरी आदमी बयान नहीं देता, या जो उसके पास डाक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं पेश करता? बात इसके बिल्कुल उल्टी है। इस बात को सुधारने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को आगे जाना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी को आगे बढ़ना चाहिये। श्रीमन्, आप भी यहां अधिष्ठाता हैं। आप भी पहले बनारस स्टेट में स्पीकर के पद को सुशोभित कर चुके हैं। आप जानते हैं इन बातों को कि सेल्फ डिफेन्स में किसी को गोली चलाने का अधिकार है। मगर वह अधिकार कमर के नीचे है, ऊपर नहीं। मगर इस तरह की बातों को जब ऊपर से थोपा जायगा और उसके

लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जायगी और उसकी विधेयक में भी संशोधन की कमी पड़ती जायगी तब तो मुझे ठेस लगेगी। आज मैं समझता हूं कि हमारे साथी और हमारे सम्मानित सदस्य मिर्जापुर जिले के जो, यहां पर उपस्थित हैं, खड़े होंगे। मिर्जापुर जिले के जो माननीय सदस्य वहां पर हैं उनमें से कुछ के नाम तो मैंने पैम्फलेट में देखे हैं। उन्होंने मिर्जापुर के अधिकारियों की दुरव्यवस्था के बारे में और वहां के अधिकारियों के दमनचक्र के बारे में एक परचा छपाया। उसकी एक कापी मेरे पास भी आई। जहां तक मेरी जानकारी है वह प्रमाण देने के लिये तैयार थे। मगर क्या माननीय मुख्य मंत्री जी की कैबिनेट के एक रिस्पांसिबिल मेम्बर ने मिर्जापुर जिले में जाकर के आम पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की छीछः लेदर नहीं कर दी। उनसे कहा गया कि अगर कोई बात थी तो पहले हमसे कहना चाहिये था। इस तरह से उन पर अनुशासन का अंकुश लगाया जाता है। श्रीमन्, यही वजह है कि बाहर का कोई आदमी नहीं आ पाता है। आज बाहर से लोग प्रमाण देने के लिये तैयार हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिये प्रमाण देने के लिये तैयार हूं।

श्रीमन्, जब मैं पढ़ रहा था तो आपने कहा कि इसके पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं उसके बारे में आपसे अर्ज करता हूं कि यह जो हमारे भूनेश्वर नाथ पांडे हैं इनका एक खत जाता है, उसमें लिखते हैं :—

"Goat has not reached so far in-spite of definite promise."

[निश्चित वचन देने के बावजूद भी बकरा नहीं पहुंचा।]

एक इनके सबार्डिनेट आफिसर हैं, उनसे, इनसे किसी मामले में सांठगांठ होती है। इसको आप देख सकते हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है :—

"I am not coming any more for it. Don't bother about the subject."

[मैं इसके लिये अब नहीं आ रहा हूं। इस विषय के लिए आप परेशान न हों।]

श्रीमान्, वह आफिसर जोकि एक विभागीय कर्मचारी के बारे में लिखित आरोप लगाता है और उसके ऊपर भी अगर आप फैक्ट्स मांगते हैं तो वह भी मेरे पास मौजूद हैं। हमारे पास जो मामले हैं, उसके आधार पर श्रीमन्, हम कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाय और अगर गलत साबित हो या सही साबित हो तो उसके अनुसार काम किया जाय। मेरे पास राइटिंग मौजूद है हालांकि ओरिजनल तो नहीं है। श्रीमन्, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं और हर समय हम प्रमाण देने के लिये तैयार हैं। मैं फिर अदब के साथ और निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें। हम जो कुछ कह रहे हैं वह सिर्फ विवाद के लिये नहीं कह रहे हैं। इस तरह की हमारी मनोवृत्ति नहीं है। हम जानते हैं कि डिमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज और फंक्शन्स होते हैं और जो अपोजीशन की ड्यूटीज और फंक्शन्स होते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि जहां आप सुप्तावस्था में जायं, वहां हम आपको जागृत करें।

श्रीमन्, हमें बड़ी खुशी हुई श्री कमलापति त्रिपाठी जी के एटीट्यूड से कि जब हमने उनसे कहा कि उनके महकमे उन्नाव जिले में गबन पकड़ा जा सकता है, उन्होंने फौरन यहां से अपने आदमियों को भेजने की व्यवस्था की और हमारे साथी भी वहां गये। उन्होंने ११ बजे रात को आकर हमें बताया कि वहां एक दूसरे अफसर को १०,११ दिन पहले से चार्ज हो रहा है, इसलिये मामले की पूरी जांच नहीं हो पाई। चाहे यह विधेयक पास हो या न हो यह भले ही ताक पर रखा रह जाय, अहरौरा बांध मिर्जापुर जिले में बह गया, इसको अगर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी इनक्वायरी करावें और हम १ नहीं, १०, १० और ५०, ५० गवाह

[श्री राज नारायण]

देने के लिये तैयार हैं कि वहां क्या गड़बड़ी हुई। लिखित खत माननीय मंत्री जी के पास आये हैं और अखबारों में उनका पूरा ब्योरा छपा है। माननीय कमलापति जी को लिखा गया कि वहां पर गड़बड़ी हुई है। सीमेंट वहां १ और ८ का लगाया गया और मिट्टी मिलाकर उसे काम में लाया जा रहा है। उसके लिये यह हो रहा है कि जिन व्यक्तियों के पास उसके डाक्यूमेंट्स हैं वे नहीं आ पा रहे हैं।

श्री व्रज बिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—यह सब गलत बयान कर रहे हैं। वहां सीमेंट इस्तेमाल ही नहीं किया गया।

श्री राजनारायण—गलत बयानी अगर हो रही है तो मेरे मित्र को जब मौका मिलेगा उसे सुधार देंगे। ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैं उनके ऊपर दोषारोपण करूं और वह भी दोषारोपण से उत्तर दें। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज स्टैंडिंग कमेटी होने वाली है मैं उसमें ये सब बातें कहूंगा ही मगर मैं यह इसलिये यहां कह रहा हूं कि फैक्ट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर आप फैक्ट्स को मना करेंगे तो वस्तुस्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। मैं केवल जनरल बैकग्राउन्ड के और जो आज तक की प्रणालियां रही हैं उनके बारे में कह कर बैठना चाहता हूं और शिक्षा विभाग की तो मैं चर्चा क्या करूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं। शिक्षा विभाग में १ नहीं, ५० गड़बड़ियां मैं बता सकता हूं। दूसरे लोग और हम अपने बयान देने के लिये तैयार हैं अगर माननीय मुख्य मंत्री या शिक्षा मंत्री या माननीय वित्त मंत्री हमारे और दूसरे लोगों के बयान लेकर जो स्वतंत्र हैं, जिनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, कोई कार्यवाही करेंगे। हमने पारसाल, जहां तक मुझे याद है, एस्टैट डिपार्टमेंट के बारे में खुद माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में जाकर कुछ लोगों के बारे में शिकायतें दी थीं परन्तु आज तक हमें जानकारी नहीं हो सकी कि उनके बारे में क्या हुआ। इसका बहुत बुरा असर पड़ा। वह यह कि हमारे कौंसिलर्स रेजीडेन्स का जो कमरा है वहां आदमी जब पहुंचता है जबकि सब जगह प्रबन्ध हो जाता है। हमने एक एक अफसर के बारे में बताया कि स्टेट प्रापर्टी को वह अपने निजी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में लिखित दिया तो कम से कम वह हमें बतलाते कि फलां अफसर की शिकायत ठीक है या नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास शिकायत गलत आई हो मगर माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिये था कि उसके बारे में हमें जानकारी कराते। श्रीमान्, इसका नतीजा यह हो रहा है कि एस्टेट अफसर अपने मन में बुरा मान रहा है और वह इस फिराक में है कि वह दूसरे सबार्डिनेट कर्मचारियों को फंसायें। उनका ख्याल है कि अगर वह राजनारायण जी को खबर न दिये होते तो उनको इतनी डिटेल्स में कैसे पता लगता। आपसी तनाव भी हो गया और हमें मालूम भी नहीं हुआ कि इसके बारे में क्या हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जैसा है और माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं वह इसको पास करायें। हमें इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं और बार-बार दोहराकर निवेदन करना चाहते हैं कि हम इसलिये नहीं है कि झूंठा आरोप लगाकर सरकार का रोज क्रिटिसिज्म करें। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जो अव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है उनके बारे में यह कहना चाहते हैं कि इस वर्तमान विधेयक से काम चलने वाला नहीं है बल्कि ड्रास्टिक स्टैप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिये। क्या गवर्नमेंट इसके लिये तैयार है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं। अभी अभी एक इंक्वायरी हुई है। मैं चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट सामने आ जाय। बनारस में उदय प्रताप कालेज के बारे में जो इंक्वायरी हुई है उसकी रिपोर्ट सबके सामने रखी जानी चाहिये। इसमें जो डिसीशन लिया गया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इंक्वायरी कमेटी के मेम्बरों ने कहा है—

"The Principal of that college is an asset."

[प्रिंसिपल के कालिज में रहने से उसकी महत्ता बढ़ जाती है।]

यह माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुखारबिन्द से शब्द निकले हैं अगर ऐसा है तो फिर, "Why he is going to be transferred"

[उनका स्थानान्तरण क्यों हो रहा है।]

हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है। हर चीज तख्ते के ऊपर फैली हुई है जिसका जी चाहे देख ले। लेकिन अगर देखना नहीं चाहेंगे तो श्रीमन्, हम क्या करेंगे।

हमने पहली बार सुना और एक्सपर्ट लोगों से पूछा कि फोइनेंस डिपार्टमेंट में .....

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि यह सब बातें आप स्टैंडिंग कमेटी में माननीय मुख्य मंत्री जी से कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी उदारता के साथ इन बातों का ख्याल करें और कोई भी दृष्टिकोण हो हम भी उसको अपनाने के लिये तैयार हैं, तत्पर हैं। रात दिन जाग जाग कर करप्शन और निपोटिज्म को दूर करने के लिये हम तैयार हैं। मुख्य मंत्री जी अगर हमारा सहयोग लेने के लिये तैयार हों तो हम उसके लिये तैयार हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय चेयरमैन महोदय, यह छोटा सा विधेयक जो माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करते हुये माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं हैं मैं उनकी वह बातें सुनकर चकित रह गया कि रेलीवेंसी भी कोई चीज है। भाषण देने का माप यह नहीं है कि जितनी भी बातें हों सब कह डाली जायं चाहे उनका विषय से कोई संबंध हो या न हो। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं इस बात को समझूं कि दरअसल वह क्या कह रहे हैं। आपने बहुत सी स्पैसीफिक इंसटान्सेज दीं और आपने फोटो भी बतलाये और कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिनके खिलाफ बहुत से चारजेज रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपने यह भी कहा कि यह गवर्नमेंट स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट को ड्रास्टिक स्टैप्स लेने चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी पर दोषारोपण किया कि आप कमजोरी दिखाते हैं अहलकारों और अधिकारियों पर कार्यवाही करने में। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कोई स्ट्रांग कार्यवाही किसी के प्रति की जाती है तो आपको ऐतराज होता है। मुझे याद है कि इसी सदन में एक डिप्टी कलेक्टर का मामला था और शायद उनका नाम भी ओम प्रकाश था जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिसमिस कर दिया था। उनके खिलाफ बहुत ही सीरियस चार्जेज थे। उन्हीं के केस को टेक अप करके श्री राजनारायण जी .....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हो चुकी है। मैं फिर भी तैयार हूं और वह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। उस मामले की अगर आप कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो आप बलिया के माननीय सदस्य से पूछें।

श्री व्रजविहारी मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय राजनारायण जी ने मुझे बतलाना चाहा कि मैं ठाकुर राधा मोहन सिंह से और पंडित कन्हैयालाल मिश्र से पूछूं। उसका जवाब तो इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी दे चुके हैं और माननीय राधा मोहन सिंह भी दे चुके हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं तो वह व्यक्ति आपके लिये ईश्वरी दूत हो जाता है कि जिसके लिये आप खड़े होकर इस भवन में बार बार-कहते हैं कि बड़ा भारी जुल्म किया गया है और ज्यादती की गई है। मैं तो एक कदम और आगे जाता हूं। पटवारी बहुत खराब थे हमारे समाजवादी भाइयों की दृष्टि में। लेकिन जब पटवारियों ने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया यद्यपि वे डिसमिस नहीं किये गये, तो आप की दृष्टि में सरकार हमारी बड़ी खराब हो गई, माल मंत्री बड़े खराब हो गये। यह तो आपकी मनोवृत्ति है और हमारी मनोवृत्ति पर आप अटैक करते हैं। अगर हम किसी सरकारी कर्मचारी

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

के खिलाफ ऐक्शन लें अगर वह कोई ज्यादाती करता है, तो वही व्यक्ति बाद में आपके लिये अच्छा हो जाता है। मेरे मित्र मुझे माफ़ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि हमारे विरोधी दल की नीति तो यह हो गई है कि चोर से कहें कि चोरी करो और शाह से कहें जागो। तो यह हालत है आपकी समझ में नहीं आता कि कौन सा कदम उठायें। आप जबानी जो बहुत कहते हैं कि मुख्य मंत्री के क़दमों पर उनके बुलाने पर आ सकते हैं और उनको सहयोग दे सकते हैं। इस छोटे से विधेयक का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत से गवाह जो आ नहीं सकते हैं उनके लिये जो ट्रिब्यूनल है और जो इन्क्वायरी आफिसर है, उनको अधिकार दिया जाता है कि वह उन गवाहों को समन कर सकें, डाक्यूमेंट्स जो पेश नहीं करते हैं उनको समन कर सकें। इस पर भी आपको विरोध इसलिये हो रहा है कि आपके कहने के मुताबिक गवर्नमेंट स्ट्रांग ऐक्शन नहीं ले रही है सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ। अगर गवनमेंट स्ट्रांग ऐक्शन लेती है तो वह खराब हो जाती है और हम जो कानून बनाते हैं वह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक होता है। आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में यह बात कही गई है कि वह बहुत खराब है। हमारे श्री राजनारायण जी आजमगढ़ के रहने वाले नहीं हैं, मैं वहां का रहने वाला हूं। आजमगढ़ के कलेक्टर, जब तक उनकी मोटर में समाजवादी एम०एल०एज० और कार्यकर्त्ता घूमते थे, जब तक उनके कहने के मुताबिक सारा काम वे करते थे, तब तक वह बहुत अच्छे थे और ईश्वरीय व्यक्ति थे। लेकिन जब से उन्होंने ऐसा करना बन्द कर दिया और जो दरख्वास्तें दी गई उनकी उन्होंने छान बीन कराई तो मुश्किल से १५, २० फीसदी सच निकली जो मंजूर हुई तो वह बहुत खराब व्यक्ति हो गये। अगर सब मंजूर कर लेते तो बहुत अच्छे हो जाते और उन्होंने क्या खराबी की? जो सत्याग्रह का स्वांग रचा गया था उसमें उन्होंने लोगों को सजा दी इसलिये वे और खराब हो गये। बनारस के कलेक्टर के बारे में मैं नहीं जानता। बनारस के कलेक्टर दूध के धोये हुये होंगे। वह आपसे मिला होगा और आपके कहने के अनुसार चलता होगा इसीलिये वह अच्छा है और आजमगढ़ का कलेक्टर आपके कहने के अनुसार काम नहीं करता है इसलिये वह बुरा है। वह स्ट्रांग ऐक्शन लेता है इसलिये बुरा है। डी० एम० की वही हालत है और एस० पी० की भी वही हालत है। आप चाहते हैं कि सब आपके कहने के मुताबिक ही काम किया करें। देवरिया के एस० पी० की शिकायत नहीं है क्योंकि वहां पर एक कांग्रेसी आदमी मारा गया है जिसके जांच में बड़ी ढीली कार्यवाही हो रही है और सही कलप्रिट का पूरा-पूरा पता नहीं लग पा रहा है, इसलिये वह अच्छा है, लेकिन आजमगढ़ का कलेक्टर सोलहो आना उनके कहने के मुताबिक काम नहीं करता है इसलिये वह बुरा है। मुझे आज की उनकी बहस को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ हमारी गवर्नमट की तथा मुख्य मंत्री जी की हमेशा यही मंशा रहती है कि रीयल कल्प्रिट को सजा जरूर दी जाय। आपने श्री ओमप्रकाश के मामले में ठाकुर राधा मोहन सिंह का जिक्र किया। वे तो यहां मौजूद ही थे। उन्होंने उस समय की परिस्थितियां बयान कर दीं जिन परिस्थितियों में उन्होंने वह बयान दिया था। श्री कन्हैयालाल मिश्र ऐडवोकेट जनरल का भी जिक्र किया गया लेकिन हमारी तारीफ तो यही है कि अगर हम किसी को रोयल कल्प्रिट पाते हैं तो बड़ेसे बड़े आदमियों की सिफारिशों का ख्याल नहीं करते। ऐसी स्थिति में यह अवश्य ही बड़े आश्चर्य की बात है कि भवन में ऐसी असंगत बातें कही गयीं और उसकी रेलेवेंसी तक का ख्याल नहीं रखा गया। विधेयक तो यह था कि इंक्वायरी आफिसर यह अधिकार दिया जाय कि वह गवाहों को समन कर सके और जो कागजात वह चाहता है उनको वह मंगा सके जिससे "रीयल कल्प्रिट माइट बी ब्राट टू बुक" लाये जा सकें अर्थात् उनको सजा हो सके। यह छोटा सा विधेयक था लेकिन आपने उसमें तमाम असंगत बातें कह डालीं। यदि आप चाहते हैं कि गुनहगार लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले तो जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने कहा, कि अगर आपको को शिकायत थी तो आपको स्टैंडिंग कमेटी में करना चाहिये था यहां उसके कहने का क्या अर्थ था। यहां यह कहना कि गवर्नमेंट बिलकुल खराब है, मुख्य मंत्री कुछ काम नहीं करते हैं उनकी ढीली नीति है इस किस्म की बातें करने से आपका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप यहां भवन में सुनायें और बाहर अखबारों में आपका प्रोपेगेंडा हो। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और विरोधी दल से प्रार्थना करता हूं कि वह इस किस्म की बातें इस भवन में न कहा करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बिल इस समय सदन के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समर्थन इसलिय करता हूं कि उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की नीयत अब यह है कि जिन सरकारी अफसरों क खिलाफ शिकायत है उन पर सरकार गौर करेगी और गौर करने के लिये उसको किसी रिकार्ड की जरूरत है या उसको किसी गवाह के पेश कराने की जरूरत है तो उसके लिये उसे इस बिल की आवश्यकता पड़ी है। हमें यह अच्छा लगा कि सरकारी अफसरों की खराबियां दूर करने के लिये वे उद्यत हैं। अधिष्ठाता महोदय अगर माननीय ब्रज-बिहारी मिश्र जी ने माननीय राज नारायण जी को ध्यान से सुना होता तो उनको मालूम होता कि उन्होंने भी इस बिल का विरोध नहीं किया बल्कि इस बिल का समर्थन ही किया था। उन्होंने तो यह भी कहा कि इसके लिये अगर आवश्यकता होगी तो इस किस्म की शिकायतों को दूर करने के लिये वे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता मंडल के एक दूसरे सदस्य, श्री मलखान सिंह पीठासीन हुये।)

इसलिये यह गलतफहमी जो उनकी है उसे उन्हें दूर कर लेना चाहिय। मैंने देखा है कि इस मामले में आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बातें भी आयी हैं। क्योंकि बनारस के हमारे माननीय नेता हैं और आजमगढ़ के श्री ब्रजबिहारी मिश्र जी हैं और उनकी यह भी शिकायत है कि आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं वे पहले सोशलिस्ट पार्टी के असेम्बली के मेम्बरों को अपनी मोटर में बैठाया करते थे और जब तक वे उनकी बात सुनते थे तब तक तो वे अच्छे थे और जब से उन्होंने उनकी बात सुननी बन्द कर दी हैं तब से वे बुरे हो गये हैं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह तो मालूम नहीं है और न मैंने देखा है लेकिन मालूम यह पड़ता है कि वहां के कलेक्टर साहब के पास बेबी आस्टिन होगी जिसमें श्री ब्रज बिहारी जी नहीं बैठ पाते हों। अगर वे भी मोटर में बैठते तो शायद ऐसा न कहते। मैं यह नहीं जानता कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं। यह तो एक ऐसी बात है कि एक अच्छा कहता है किसी को और एक बुरा कहता है। खैर इसमें न मैं जाना चाहता हूं और न जाना है लेकिन जो नीयत आज सरकार की है वह यह है कि वह दोषी को कुछ सजा देना चाहती है। लेकिन हमारा पुराना तजुर्बा कहता ह और हमारे विरोधी दल के नेता ने साफ कहा तथा बहुत सी मिसालें भी सबूत में सामने रख दीं जिससे ये ख्याल होता है कि जिन सरकारी अफसरों के खिलाफ शिकायत की जाती है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिष्ठाता, महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां पर हमें बतलावें और इस सदन के तथा सारे प्रान्त के लोगों को भी यह मालूम हो जाय कि जो शिकायतें सरकारी अफसरों के खिलाफ की जाती है उनके ऊपर कार्यवाही किस तरह से होगी तथा किस प्रकार से उनको सजा मिलेगी। यह बात मैं मानता हूं कि आज लोग जागृत हो गये हैं और सरकार के पास हजारों के तादाद में रोज शिकायतें आती रहती हैं, जरा भी किसी अफसर के खिलाफ किसी की कुछ शिकायत हुई वह झट शिकायत लिख कर भेज देता है, जरा भी कोई अफसर किसी के साथ गलत तरीके से पेश आया कि उसकी शिकायत पंडित जवाहर लाल जी तक पहुंच जाती है। बहुत सी शिकायतें हमारे प्रान्त के माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी आती रहती हैं और जगह जगह से उसकी एक कापी माननीय विरोधी दल के नेता के पास भी आती रहती हैं। डाक तो अवश्य बढ़ गई है लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ह। आज सरकार यही समझती है कि लोगों की इस तरह की शिकायत तो रोज आती ही रहती है कहां तक उसको पढ़ें, इसलिये उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे प्रांत की आम जनता को हिदायत कर दी जाय कि वह जितनी भी शिकायत करे वह बिलकुल ठीक हो। उन शिकायतों में कोई तथ्य है या नहीं है उसकी प्राइमाफेसी को प्रूव करने के लिये भी कोई रास्ता निकालना चाहिये। मैंने देखा है कि सैकड़ों चिट्ठियां सरकार

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

की तरफ से एक, दो, तीन महीने और कभी साल साल भर के बाद आती हैं कि जो आपने शिकायत की थी उस संबंध में हमने इनक्वायरी की लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं है इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि सरकार कोई ऐसा तरीका तो निकाल सकती है कि जो आदमी शिकायत करे उसे बुलाया जाय और उससे सबूत मांगा जाय और अगर वह सबूत गलत हो, वह आदमी झूठा हो तो यह मैं जरूर चाहूंगा कि उस आदमी को भी सजा मिले। उसके खिलाफ दफा १८२ का मुकदमा चले और जो रास्ता हो वह सरकार अख्तियार करे। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे प्रान्त के अन्दर सरकारी अफसरों के खिलाफ जो शिकायतें रोज होती हैं वह भी कम हो जायेंगी और साथ ही साथ सरकारी अफसरों को भी मालूम हो जायगा कि हमारे खिलाफ जो शिकायत की जायगी उनके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जायगी इसलिये काफी होशियारी से वे काम करेंगे। अगर किसी पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो थानेदार साहब तुरन्त उस गरीब सिपाही को निकाल देते हैं लेकिन जब किसी बड़े अफसर के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसके सुनने के लिये कोई तैयार नहीं होता है। सारे सरकारी अफसर उसका साथ देने के लिये तैयार हो जाते हैं इसलिये कि वह बड़ा अफसर है और उसका बड़ा असर है। तो मैं यही चाहता हूं कि इस बिल के बहाने हमें यह मौका मिला कि हम माननीय मंत्री जी से अपने प्रांत के गरीबों के लिये भी कुछ कह सकें। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे सब सरकारी अफसर खराब हैं लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि आइन्दा के लिये जितने भी सरकारी अफसर हैं वे सब अपने को जनता का सेवक समझें जैसे कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अपने को जनता का सेवक समझते हैं। इस तरह से अगर सरकारी अफसर अपने को जनता का सेवक समझेंगे तो उससे हमारे प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन का स्तर ऊंचा होगा। एक छोटी सी मिसाल राजनारायण जी ने जालौन की दी। मैं यह जानता हूं कि जब कभी किसी सरकारी अफसर के खिलाफ कोई बात आ जाती है तो सरकार भी अपना फर्ज समझ लेती है कि उसकी रक्षा की जाय। इसलिये उसको पहले ही ऐसी मदद मिल जाती है कि उसमें कुछ कार्यवाही न की जाय जब यहां पर उरई का जिकर आ चुका है तो मैं भी उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक थानेदार थे उन्होंने जाकर भूरेसिंह को गिरफ्तार करना चाहा। भूरेसिंह के भाई से उनकी दुश्मनी थी। उनको गिरफ्तार करने के सिलसिले में जब वे अपनी छत पर चढ़ गये तो उनकी छाती में थानेदार ने गोली मार दी। उस थानेदार की पहली गोली ही उनकी छाती में लगी और वे मर गये। अगर वह गिरफ्तार होने के लिये तैयार न होता तब तो थानेदार का काम था कि वह गोली मारता पर किसी और हिस्से पर मारता। यह बात बिलकुल साबित हो चुकी है कि थानेदार ने जो गोली मारी वह उनकी छाती पर मारी और वह पहली गोली से मर गया। जब इसकी इन्क्वायरी हो गयी तो यह प्रश्न इस सदन के सामने पेश हुआ और सरकार ने कह दिया कि हमने इन्क्वायरी की और वहां पर वे लोग हमला करने के लिये आये थे और पुलिस को मारने के लिये आये थे। लेकिन किसी भी पुलिस वाले को चोट नहीं आयी। न किसी को लाठी की चोट आयी और न किसी को ढेले या पत्थर की कोई चोट आयी है। एक आदमी को वे गिरफ्तार करने के लिये गये और वह बेचारा पुलिस की गोली का शिकार हो गया। और सरकार ने पुलिसवालों को बचाने की पूरी कोशिश की। पुलिस वाले जो वहां पर गये थे वे गिरफ्तार करने के लिये गये थे, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया इस वास्ते उनको गोली मारदी गयी यह सरकार का कहना है। तो आज इस प्रांत की जनता यह समझने लग गयी है कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। किसी पुलिस वाले से सड़क पर चलते हुये जनता डरती है। सरकार तो यह कह देती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलायी और सेल्फ डिफेंस में उसने यह काम किया है। उसने किसी और जगह से उसको घायल नहीं किया छाती में सीधी गोली मारी और फिर भी उसने सेल्फ डिफेंस में यह काम किया। इस बात को माननीय मंत्री जी ने उस दिन स्वीकार किया था। आज भी वह थानेदार उस इलाके में हावी है और आज भी कहता है कि अगर कोई कुछ कहेगा तो गोली मार दी जायगी आज भी उसने

जालौन के अन्दर आतंक फैला रखा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी सारी प्रांत की जनता का सहयोग चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे प्रांत के अन्दर एक अच्छी व्यवस्था हो और हमारे प्रांत के अन्दर जितने सरकारी कर्मचारी हैं या दूसरे अफसर हैं यदि वह अपने को जनता को सेवक समझें तो हमारे प्रांत का ऐडमिनिस्ट्रेशन डेवलेप हो सकता है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ हैं और हम कभी भी इस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी को परेशान नहीं करेंगे कि कोई गलत बात उनके सामने लायें। अगर हमें मालूम हो जाय कि सही बात है तो वह जरूर उनसे कहेंगे। और अगर उनको यह मालूम हो जाय कि हम गलत बात कहते हैं तो हमारे ऊपर फिर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां कहीं से ऐसी शिकायत आवे और जो भी उचित कार्यवाही उसके ऊपर करना चाहते हों तो वह जरूर की जाय। हम चाहते हैं कि हमारे प्रांत का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भी उनके साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रांत का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो और यह भी चाहते हैं कि जो सरकारी अफसर किसी तरह कानून के खिलाफ बात करे तो उनके ऊपर भी सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिये, लेकिन सरकार सहयोग लेना चाहती है ? अब सवाल यह है कि जब किसी अफसर के खिलाफ कोई शिकायत आती है, हमारे पास भी आती है और बहुत से माननीय सदस्यों के पास भी आती होंगी, हम उन्हें सरकार के पास भेज देते हैं। हम समझते हैं कि सरकार को उन्हें बुलाना चाहिये जिन्होंने शिकायत भेजी है लेकिन यह न करके एक तरफा इंक्वारी करके भेज दिया जाता है कि साहब इसका कोई सबूत नहीं है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मैं अधिष्ठाता महोदय यह निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रखने में हमारा पूरा पूरा सहयोग मुख्य मंत्री जी के साथ है और जिस नीयत से आज यह बिल हमारे सामने आया है हम उसकी कद्र करते हैं और हम समझते हैं कि आज सरकार इस बात पर तैयार है कि जितने भी आफिसर्स हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की हो जिनके खिलाफ कुछ ऐसी शिकायतें आती हों उनको वह सुनेगी। हमारे पास प्रांत भर के हजारों ऐसे केसेज हैं। मुझे दुख है कि हमारे माननीय ब्रज बिहारी मिश्र जी बहुत नाराज हो गये और उन्होंने बलिया आजमगढ़ का किस्सा शुरू कर दिया लेकिन हम तो सारे प्रांत की ओर से बात करते हैं। आज होता क्या है। छोटे-छोटे पुलिस के कर्मचारी या छोटे-छोटे सरकारी अफसरों के खिलाफ तो कार्यवाही होती है लेकिन बड़े बड़े सरकारी अफसर जो होते हैं और जिनको कहीं पहुंच होती है उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है यही नहीं कि कार्यवाही नहीं करती है बल्कि पहले ही सरकार उनका साथ दे देती है। आज मुख्य मंत्रीजी भी यहां पर हैं। जो भी करप्शन हों हम उनके दूर करने के लिये अपना सहयोग देना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रांत से भ्रष्टाचार को उतना ही दूर करना चाहते हैं जितना हम करना चाहते हैं। हम मुख्य मंत्री जी का भार भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं उनके समय को भी बर्बाद नहीं करना चाहते लेकिन जब कभी ऐसे मामले आ जाते हैं तो हमारा भी फर्ज हो जाता है कि हम उन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार के पास रखें। यह जनता की सरकार है, पापुलर गवर्नमेंट है। इस बहाने से कि बहुत सी चिट्ठियां आती हैं उन पर कार्यवाही न की जाय ठीक नहीं है। उनसे बयान हल्फी ली जा सकती है और भी शहादतें ली जा सकती हैं। लेकिन आज तो दिक्कत यह पड़ती है कि न सरकार कोई कार्यवाही करती है और जब हम सरकार से इजाजत मांगते हैं कि मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी जाय तो इजाजत भी नहीं दी जाती अफसरों के खिलाफ शिकायतें होती हैं और वह अफसर उसी जगह रहते हैं। मैं जानता हूं कि शिकायत आने पर उनका तबादला करा दिया जाता है। इस प्रकार ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला नहीं है। हम यह चाहते हैं कि जिस किसी अफसर के खिलाफ शिकायत हो और किसी गवाही या शहादत को इकट्ठा करने के लिये सरकार की ओर से उस आदमी को मदद

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

की जरूरत हो तो सरकार को उसको वह मदद जरूर देनी चाहिये । चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजीशन वाले ही गवर्नमेंट में आ कर बैठें लेकिन अगर इस तरह की बात है तो ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। जब ऐसे केसेज आ जाते हैं तो उस शिकायत भेजने वाले का दफा १६४ में हलफिया बयान ले सकते हैं और उनको साफ-साफ बताया जा सकता है कि अगर तुम्हारी शिकायत गलत हुई तो तुम्हारे खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जावेगा । अगर ऐसा हो तो ठीक शिकायतें आवेंगी और उन पर कार्यवाही होगी, हमारे प्रांत का ऐडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक हो जावेगा ऐसा मेरा विश्वास है और नहीं पूंछा जाता है कि क्या हुआ। हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की रेवेन्यू बढ़े और हमारे यहां रिश्वतखोरी कम हो । हो सकता है कि जो पार्टी आज अपोजीशन में है वह अगर पावर में कभी आये तो उसको भी यही दिक्कत हो सकती है इसलिये हम भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और यह नहीं चाहते कि सरकारी अफसर गलत तौर पर फंसाये जांय और उस पर उनको सजा दे दी जाय । इतनी स्वतंत्रता तो कर्मचारियों को भी देना ठीक ही है जिस हद तक उन्होंने कोई शरारत न की हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आज हमारे प्रदेश में जो पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और रिश्वतखोरी बढ़ रही है उसकी तरफ हमें बहुत गौर से कदम उठाना है। आज सरकारी अफसर कुछ परवाह ही नहीं करते हैं वह तो समझते हैं कि सरकार हमारे साथ है ।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह एक ही चीज को बार-बार न दोहरावें ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अधिष्ठाता महोदय, मेरी कोई सरकार को कन्डेम करने की इच्छा नहीं है। मैं कोई पर्सनल केस लेकर नहीं कह रहा हूं जो बातें मुझे मालूम हैं उन्हींको मैं बताना चाहता हूं। मैं प्रांत के सरकारी अफसरों का हामी हूं, लेकिन जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनका तो मैं दुश्मन हूं। हम कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देते। और न हम झूठ मूठ बातें और इलजाम लगाते हैं, न हमारी यह मंशा है हम तो केवल यह चाहते हैं कि हम अपने तजुर्बे से ऐडमिनिस्ट्रेशन को थोड़े दिन में रोल अप कर दें। अभी काफी हमारी उम्र है आज यह पार्टी पावर में है कल दूसरी पार्टी आये इसलिये हम भी नहीं चाहते कि ऐडमिनिस्ट्रेशन लूज रहे और वह गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती कि जिसका ऐडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं है माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे प्रांत के बहुत योग्य व्यक्ति हैं । यह बड़े गर्व की बात है। अगर उनके रहते हुये प्रांत में करप्शन है घूसखोरी है और सरकारी अफसर ठीक से काम नहीं करते तो बड़े खेद की बात है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने सदन का इतना समय लिया । हम चाहते हैं कि जो भी रिश्वत लेने वाले या ठीक काम न करने वाले सरकारी अफसर हैं उन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय क्या इसमें सरकार भी हमारा साथ देगी ? हम कभी नहीं चाहते कि गलत तरीके से किसी को भी सताया जाय लेकिन जो शरारत करते हैं उनको जरूर सजा दी जाय उसमें हम सरकार के साथ हैं जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा हमारा सहयोग हमेशा इस मामले में सरकार को मिलता रहेगा । इसलिये ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये जो विचार मैंने रखे हैं उनको कार्यान्वित करने में आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को एतराज न होगा ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह ख्याल है कि पब्लिक सर्वेंट्स इन्क्वायरीज ऐक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें सारे प्रांत का अनुशासन संबंधी प्रश्न बड़े महत्व का है इसलिये इस पर विचार के लिये कुछ थोड़ा और समय माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें तो बहुत अच्छा होगा।

अधिष्ठाता—श्री वीरेन्द्र शाह बोल लें उसके बाद मैं इस प्रस्ताव को ले लूंगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—सभापति जी, जो विधेयक भवन के सामने है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक पर कार्यवाही करते समय सरकार को उसको काम में लाने के लिये बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा।

जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ हम यह समझते थे कि हमारे राज्य कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलेगी। कुछ बदली भी लेकिन जितनी हम आशा करते थे उतनी वह आशा पूरी नहीं हुई। श्रीमन् मैं बतलाना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है, या देश का दुर्भाग्य समझिये उसमें इतने जोर से बदलाव नहीं हुआ।

जहां तक अफसरों का ताल्लुक है यह देखने की आवश्यकता है कि वे अपने कार्य को निस्वार्थ भावना से, देश के हित में, प्रांत के हित बिना किसी दलबंदी में पड़े हुये करते हैं। आज हम यह देखते हैं कि जिस पार्टी की सरकार है ज्यादातर अफसरान उसी तरफ झुकते हैं जितनी शिकायतें आज सामने आती हैं उनका एक मुख्य कारण यह भी है कि पक्षपात होने का लोगों को बड़ा भय है और पक्षपात होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अफसरों में इस तरह का प्रचार करना चाहिये कि वे जनता के स्टेट के सेवक हैं, कोई भी पार्टी हुकूमत करती हो उनको इससे प्रयोजन नहीं होना चाहिये। जो प्रांत के, देश के हित में हो, जो ठीक हो उसको वह करें। तभी वह अपनी ड्यूटी पूर्ण रूप से वह अंजाम दे सकेंगे।

मैं आपको बतलाऊं कि यहां, इस सेक्रेटेरियट के एक अफसर हैं, ऐस्टेट आफिसर। उनको एक कमेटी में शहादत देने के लिये बुलाया गया। उन्होंने उस कमेटी में जिस तरह से बयान दिया और जिस तरीके से वह पेश आये वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं। उन्होंने उस कमेटी की तौहीन की। कमेटी की तरफ से यह लिख भी दिया गया। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस तरीके से कोई सुपीरियर आफिसर आया हुआ है और बयान दे रहा है। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि इस शब्द के क्या मानी हैं। आपने कहा, डिक्शनरी में देख लीजिये तो जो अफसर प्रत्यक्ष रूप से तौहीन करता है अगर उसको केवल इतना दंड दिया जाय कि वह माफी मांग ले तो यह काफी नहीं होगा। चूंकि सेक्रेटरियट में रोज इस बात की चर्चा हुआ करती है कि जनता के साथ राज्य कर्मचारियों का कैसा व्यवहार होना चाहिये, इसलिये उसी सेक्रेटरियट का कर्मचारी अगर इस तरह की जुर्रत करता है तो मैं कह सकता हूं कि यही एक कारण है जिससे ऐसे बिल लाने पड़ते हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब तक कठोरता से नियंत्रण नहीं होगा जब तक यह चीज जारी रहेगी और इस तरीके की शिकायत और उधर के मेम्बरों की भी शिकायत आपके पास आती रहेगी। इससे कोई प्रांत का या जनता का कोई बड़ा हित नहीं होता कि हम अपने प्रांत के कर्मचारियों को बदनाम करें, या उनके प्रति इस तरह की भावना पैदा करें कि वह इस तरह की मनोभावना रखते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं श्रीमन् दूसरी बात में यह बतलाना चाहता हूं कि आज जो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो मोटर वेहिकिल्स की चेकिंग करने वाले अधिकारी हैं उनका चेकिंग का तरीका एक इस तरीके का होता है जिस तरह कि कोई मालिक अपने नौकरों की गाड़ियों की चेकिंग करता हो। वह बैठे रहते हैं मोटर में श्रीमन्, एक कांस्टेबिल को भेज देते हैं कि जाओ बुला लाओ परमिट दिखाने को ड्राइवर लाइसेंस ले आओ और उनको बैठे-बैठे चेक करते हैं। श्रीमन् हर मुल्क में यह

[राजा वीरेन्द्र शाह]

कायदा होता है कि प्राइवेट कार और टैक्सी कार में फर्क होता है । उनको यह चाहिये कि वह उनके पास जायं उस कार के चलाने वाले के पास जायं और तब वह उस चीज को इनक्वायर करें। तो यह जो तरीका है उससे हम लोगों को बड़ा असंतोष है। इसके लिये सरकार जो यह बिल लायी, वह सरकार ने बड़ा अच्छा किया कि इस कानून के द्वारा वह इन चीजों पर नियंत्रण करना चाहती है। इसकी हमें खुशी है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस चीज को समझते हुये इस तरीके का कार्य करेगी जिससे यह खराबियां दूर होंगी।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब इस प्रश्न पर बहस समाप्त करके इसे उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सिलसिले में बहुत सी बातें कहीं गईं और उन बातों से मैं फायदा उठाने की कोशिश करूंगा । वह पूरी तरह से इस विधेयक से ताल्लुक रखती हों या न रखती हों मगर मुझसे ताल्लुक रखती हैं और मैं चाहता हूं कि चाहे गैर मुताल्लिक बातें भी कोई हों, उनसे भी कोई फायदा मिल सके तो उसका फायदा उठाना चाहिये। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है कोई विरोध यहां मालूम होता नहीं। राजनारायण जी ने, मदन मोहन जी ने, वीरेन्द्रशाह जी ने तीनों ने इसका समर्थन किया है। मगर बात यह है कि विधेयक को मंजूर करते हुये भी उन्होंने बहुत सी बातें कहनी जरूरी समझी जो कि जब विधेयक को मंजूर करते थे तो फिर उनको किस बात के समर्थन में कहने की जरूरत थी, वह मैं समझ नहीं सका । अगर विधेयक जो पेश किया गया उसके संबंध में जो सुझाव मैंने दिया उसके समर्थन के लिये वह बातें कही गईं तब तो ठीक है, अगर उसके समर्थन में नहीं बल्कि उसमें कुछ शंका प्रगट करने या उसको स्वीकार करते हुये दिमाग से, दिल से ठोकरें खाने के लिये कहीं तब दिमाग की बात ज्यादा जरूरत की रहती है।

श्री राजनारायण---समर्थन में ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---समर्थन में ही है, मैं इसके लिये कृतज्ञ हूं और शुक्रिया अदा करता हूं । कुछ यह कहा गया तब भी, मंजूर करते हुये भी कि हमारे सामने कोई वजहात नहीं रखे गये । मैं बतलाना चाहता हूं कि इस सदन को मालूम होगा कि एक डिसिप्लिनरी इनक्वायरी कमेटी मुकर्रर की गई थी और उस कमेटी में गैर सरकारी सदस्य भी थे, पब्लिक सरविस कमीशन के मेम्बर्स भी थे और सरकारी जिम्मेदा अहलकार भी थे। उन सबने तजवीज की और यह राय की कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के सामने ये बातें जाती हैं और जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की कार्यवाही होती हैं उनमें जरूरत से ज्यादा देर हो जाती है और यह अच्छा नहीं है कि इस तरह देरी हो। हमारी भी ख्वाहिश है और मैं समझता हूं कि सदन के हर एक सदस्य की यह ख्वाहिश होगी कि ऐसे मामले में जितनी जल्दी से जल्दी हो फैसले होने चाहिए। क्योंकि जब देरी होती है तो एक तो फैसले का नैतिक प्रभाव कम पड़ जाता है और दूसरे यह कि वह किसी के लिये एक अच्छी बात नहीं है। न वह जो आदमी मुल्जिम साबित हो या जो बेकसूर साबित हो, इसलिये जल्दी होनी चाहिये, इसके लिये कई तजवीजें उस कमेटी ने कीं और इसी सिलसिले में उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि इस देरी को दूर करने के लिये क्या करना चाहिये--

"Another source of delay is the difficulty in securing the attendance of witnesses in departmental proceedings. At present the enquiring officer has no authority to compel the attendance of any witnesses and it happens

frequently that witnesses are unwilling to appear in departmental proceedings We recommend, therefore, that the power to compel the attendance of witnesses in departmental proceedings should be given by Law to the enquiring officer or authority on lines similar to the Provision in Section 8 of the Public Servants (Enquiries) Act, 1850. The provision in this behalf may be made in the Legislation for enacting of which we recommend in the next paragraph."

आप देखेंगे कि यह सिफारिश काफी सोच विचार कर की गयी और यह उनको अच्छी तरह से साबित हुआ कि देरी का एक खास कारण यह है कि गवाहियां नहीं आती हैं, दस्तावेज पेश नहीं होते हैं। कानूनन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसलिये उन्होंने यह सिफारिश की कि ऐसा कानून बनना चाहिये। इसके बारे में अगर कोई सिफारिश न भी होती तब भी यह जाहिर सी बात है कि जब कानूनन आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते हैं तो वे आकर शहादत देना पसंद नहीं करते, तकलीफ की बात होती है, अफसरों को नाराज करना कोई बेजा तरीके पर पसन्द नहीं करता और इसके अलावा अगर वैसे भी कोई कानून में अधिकार न हो तो कोई आदमी ऐसी चीजों को खुशी से करता नहीं है। तो वैसे ही जाहिर सी बात है कि ऐसे कानून का होना जरूरी है, मगर इसके काफी वाकयात पेश आये और उनके मुताबिक इसको यहां लाना जरूरी समझा गया। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई दो रायें नहीं होनी चाहिये और हैं भी नहीं।

कुछ बातें कही गयीं इस बारे में कि जो सरकारी अहलकार होते हैं उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाती। आपको बतलाना चाहता हूं कि हमने अपने जमाने में करीब पांच हजार सरकारी अहलकारों पर डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया है या कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं। उनमें से करीब १२ सौ से ज्यादा को सजा मिली है। या तो अलग किये गये, या रेड्यूस किये गये या अदालत से सजा मिली। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह इस बात को दिखलाता है कि हमारी तरफ से कुछ गफलत रहती है? मैं यह कहना गैरमुनासिब नहीं समझता कि जहां तक हमारा ताल्लुक है हम चाहते हैं कि हर एक सरकारी अहलकार ईमानदारी से, सच्चाई से, बेतरफदारी से और सेवाभाव से जनता की सेवा करे। अगर कोई आदमी बेईमानी करता है, बेजा बात करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। हमारी तरफ से बार-बार यह बात साफ की गयी और सरकारी अहलकारों को काफी हिदायतें दी गयीं और जो मैंने आपको आंकड़े बतलाये हैं उससे आप देख सकते हैं कि इस बात की जो भी कोशिश हो सकती है वह की जाती है। जो कोई भी हमारे पास शिकायतें आती हैं उनमें से हर एक के ऊपर जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाती है और जहां पर भी यह मालूम होता है कि कुछ भी किसी ने ज्यादती या गलती की तो उसके ऊपर कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह मुमकिन है कि बाज मौकों पर में यह साबित नहीं होता है चाहे आदमी ने जुल्म किया हो और यह भी मुमकिन है कि बाजे मौकों में गलत शिकायतें की गयी हों और वह आदमी बिलकुल बेकसूर हो। यह दोनों बातें मुमकिन हो सकती हैं। मगर बगैर सबूत के तो कोई चीज हो नहीं सकती है। इन्साफ होना जरूरी है और हर एक के साथ होना जरूरी है चाहे वह सरकारी आदमी हो चाहे गैर सरकारी आदमी हो। आज हमको यह समझना है कि आज हमारे सूबे में शान्ति और अमन हो और वह रहे इसलिए हमें अमन और शान्ति की कीमत को जानना चाहिए। बाजी चीजें जब खो जाती हैं तब हम उनकी अहमियत को समझते हैं। जरा भी अमन में खलल पड़ जाने से सारी प्रोग्रेस रुक जाती है, सारे रचनात्मक कार्य रुक जाते हैं। ऐसी हालत में हमको देखना चाहिए कि हमारी पुलिस के थोड़े से आदमी यहां इन्तजाम करते हैं और वह अपनी तरफ से जो कुछ भी उनके अपने फर्ज हैं उनको अदा करते हैं। आप देखते

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए मोटरों को इधर उधर किया करते हैं। मान लीजिये कि वह न हों तो मुमकिन है कि दसियों मोटर लड़ जायं। इस तरह से जब तक शान्ति और अमन बना हुआ है और जब तक सब काम नारमल तरीके पर चलता है तब तक आदमी उसकी कदर नहीं करता। मैं यह सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपको इन्तजाम की जिम्मेदारी को भी समझना है। इसके अलावा जिन लोगों से हमें काम लेना है, उनमें से जो कुसूरवार हों, उनकी सजा होनी चाहिए मगर जो बेकसूर हों, उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस सदन का कोई भी आदमी यह नहीं चाहता कि जो आदमी कुसूरवार न हो उसको तंग किया जाय या परेशान किया जाय या उसके ऊपर ख्वामख्वाह इस तरह की कार्यवाही की जाय जिससे वह अपने काम को खूबी के साथ करने के काबिल न हो। यह देखना है कि जो आदमी बेकसूर हो वह सजा न पाये और वह काम करने के लायक रखा जाय। अगर उसके साथ ऐसा बरताव हो कि आम पब्लिक में वह फिर खड़ा न हो सके तो फिर वह अपनी जिम्मेदारी को कैसे अदा कर सकेगा। इसलिए जब इन बातों पर गौर किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि ६ करोड़ ३३ लाख आदमी इस सूबे में रहते हैं, और उनमें सरकारी मुलाजिमों की तादाद बहुत थोड़ी है। उनको हमें इस तरीके पर रखना चाहिए कि वह ईमानदारी से काम कर सकें मगर हर एक यह भी समझे कि इस सदन के सदस्य उनकी जिम्मेदारी को समझते हैं और अगर उनके साथ मुहब्बत नहीं करते हैं तो नफरत भी नहीं करते हैं! इस लिए बगैर किसी कुसूर के किसी को टोंका नहीं जा सकता है और अगर इस वसूल को मान लिया जाय तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मैं माननीय राजनारायण जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वह हमारे साथ सहयोग करेंगे। मैं उनका इसके लिए स्वागत् करता हूं। जहां पर भी कहीं वह कोई स्पेसिफिक बात जिम्मेदारी से कहें और उसकी जिम्मेदारी लें तो मैं जरूर उसको कराने के लिए तैयार हूं। अभी माननीय राजनारायण जी ने एक तस्वीर दिखलाई और कहा कि इस तस्वीर से साबित हो गया कि जुल्म किया गया तो तस्वीर से तो कोई जुल्म साबित हो नहीं सकता है।

दूसरी बात उन्होंने ओम प्रकाश के मामले की, की। उस मामले में कई आदमियों ने तहकीकात की। अंग्रेजी जमाने में भी उस वक्त के कमिश्नर ने तहकीकात की। ओम प्रकाश जी ने खुद बहुत सी बातें कबूल कीं जो कि हाउस को याद होंगी, कि वह कैसे कहां रहते थे और किन को अपने साथ रखते थे। आज से १० साल पहले उनको सजा हो गयी थी। उसके बाद हमने फिर सारे मामले को देखा और पाया कि जरूर यह सजावार हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि यह ऐसे हैं। इतना होने पर भी राजनारायण जी समझते हैं कि वह बेगुनाह हैं और हमसे कहते हैं कि हम तस्वीर दिखाते हैं। मान लो कि उनको फांसी हो गयी है। आप ही सोचिये कि तस्वीर कौन सा स्टैन्डर्ड आफ एविडेंस है। जिस मामले के बारे में कम से कम १५ आदमियों ने तहकीकात की हो और फिर उसे ठीक पाया हो और अब राजनारायण जी यह कहें कि हम तस्वीर दिखलाते हैं, तो यह बात समझ में नहीं आती कि उनकी सबकी तहकीकात गलत होगी। प्रूफ का कोई स्टैन्डर्ड होता है। उससे काम लिया जा सकता है। सिर्फ यह कहना कि हमने चौराहे पर एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना कि किसी ने यह कहा है कि कल को उसका खात्मा होने वाला है और उसकी दादी ने उससे कहा था कि मैं पेशिनगोई करती हूं कि जब तू २५ बरस का होगा तो कोई नुकसान होगा इसलिए अपनी एहतियात करना और हम उसके ऊपर कोई संगीन का पहरा लगा दें, तो इस तरह से किस्सों पर किस तरह से चला जा सकता है? दादी के किस्सों से काम नहीं चल सकता। वाकयात पर चलने से काम चलता है। उन्होंने कहा था कि किसी मामले में उन्होंने मुझे लिखा और मैंने उनको रिपोर्ट नहीं दी। वह जानते हैं कि उस मामले में कार्यवाही की गयी और वह छोटी सी बात थी और जितनी बात उसमें हो सकती थी वह की गयी। हम लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं है, यदि हम जरा ठंडे दिल से देखें।

माधोशाही मारा गया, उसका जिक्र यहां कई दफा हुआ। अगर वह सोशलिस्ट पार्टी का आदमी होता तो यही कहा जाता कि चूंकि वह ऐसा था इसलिए मारा गया

और सरकारी अफसरों ने उसमें हिस्सा लिया। मगर आज चाहे कोई इन्स्पेक्टर हो या सब इन्स्पेक्टर हो, किसी के उसमें हिस्सा लेने की कोई बात नहीं है। चाहे कोई सफेद टोपी पहने या लाल टोपी पहने, उसकी वजह से कायदे कानून दो तरह के नहीं हो सकते। सदन को मालूम है कि कांग्रेस के कई आदमियों पर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने उनमें इनक्वायरी की और वे हमारे सबार्डिनेट हैं और उन अदालतों से भी हमारा सम्बन्ध है मगर वे मामले चल रहे हैं। क्या यह नहीं दिखलाता कि हम कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? मैं आप से कहता हूं कि अगर यही लोग सोशलिस्ट पार्टी के होते तो यह कहा जाता कि चूंकि वे सोशलिस्ट पार्टी के हैं इसलिए उनको फांसा गया है। हम चाहे कितना ही करें, मगर आप उसको यही समझेंगे कि यह ठीक नहीं हुआ और आपको शंका रहेगी। आप यही कहेंगे कि चूंकि वह सोशलिस्ट था और उसने पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दी या खुशामद नहीं की, इसलिए वह पकड़ा गया। मगर हमको तो जुर्म को देखकर काम करना होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी डिस्पैशनेटली हम मामलों को देखते हैं, और उतना ही आप भी देखेंगे, तो कोई फर्क हमारे और आपके बीच में नहीं रहेगा।

हम चाहते हैं कि इन्टैगिरिटी हो, एफिशियेंसी हो हाई स्टैण्डर्ड हो और स्प्रिट आफ सर्विस हो। हम आपसे ज्यादा कोशिश करते हैं,करने की, अगर नहीं होता है,तो हमारी बदनामी होती है। हमारी जिम्मेदारी है और आपको मौका मिल सकता है। हम चाहते हैं कि आपको कुछ कहने का मौका न मिले। इसलिये हमारी ख्वाहिश आप से कम नहीं हो सकती है। मगर हम बेगुनाह आदमी को झोंक दें इसलिए कि आप शायद खुश हो जायं? लेकिन आप खुश नहीं होते। पटवारियों को आप रोज गालियां देते थे। हमने उन सब को अलग कर दिया। लेकिन अब आप कहते हैं इससे ज्यादा अत्याचार हो नहीं सकता। जो आफिसर डिस्मिस हो जाता है, वह आपकी बिरादरी का हो जाता है। जिस वक्त डिस्मिस हो जाता है तो आप कहते हैं कि बड़ा अत्याचार हुआ। इस तरह से कैसे ठीक तरह से कार्यवाही हो सकती। लेकिन ऐज ए सिटीजन इन चीजों को देखना चाहिए।

यहां पर यह भी कहा गया कि इतना करप्शन पहले कभी नहीं था, जितना कि आजकल है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह गलत है। उतना करप्शन नहीं है जितना कि पहले था। मैं यह नहीं कहता कि करप्शन नहीं है। करप्शन है। मैं यह कहता हूं कि आज हमारे यहां एक भी एस० पी० डिसआनेस्ट नहीं है। डिप्टी कलेक्टर्स ९९ प्रतिशत आनेस्ट हैं और डी० वाई० एस० पी० ९८ प्रतिशत आनेस्ट हैं और सब डिपार्टमेंट्स में गजेटेड आफिसर्स मोस्टली आनेस्ट हैं। यह हमारे लिए बड़े लांछन की बात होगी कि आजादी के बाद जब लोगों को इतने हुकूक मिल गये हैं तब भी हमारे यहां के लोग इतने गिरे हुए हैं कि पहले से ज्यादा रिश्वत देते हैं। यह चीज नहीं हो सकती है। आप यहां मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। हमारा और आपका जनता से सम्पर्क है और छोटी-छोटी बातें हमारे और आपके कानों तक पहुंचती हैं तो इन सब बातों के होते हुए करप्शन कैसे बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता है। हां, यह मैं मानता हूं कि जो करप्शन है इसको हमें दूर करना चाहिए।

आपने भूरे सिंह के मामले का जिक्र किया उसको माननीय गृह मन्त्री जी देख रहे हैं। आपको यदि दर्द होता है तो हमें दर्द के साथ शर्म भी आती है। लिहाजा हम किसी चीज को होने दें यह हमारी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारा और आपका ध्येय यही है कि शासन अच्छी तरह से चले। छै करोड़ आदमियों की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। लोगों को यह भरोसा बना रहे कि हमारे यहां सब काम ठीक तरह से होगा। इसके लिए तमाम सरकारी अहलकारों को नफरत की नजर से देखकर जिनसे हमें काम लेना है उनको खोखला न करें। यह हमारे लिये नुकसान की बात है। अगर सरकारी अहलकार समझें कि जब तक हम सरकारी काम करते हैं तब तक वह लोग नफरत करते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं हैं और जब निकल जाते हैं तो मुहब्बत हो जाती है, तो यह तो अच्छा नहीं है।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक उसूल का बात है हमारे और आपके बीच में कोई फर्क नहीं है। जहां तक सहयोग की बात है, मैं उसका स्वागत् करता हूं। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन को ऊंचा करने की बात है हमने कोई दकीका छोड़ा तो नहीं है। आज भी कई कमेटियां बनी हुई हैं। मेरा दावा है कि हम किसी से क्लीनलीनेस, एफिशियेंसी और स्प्रिट आफ सर्विस में पिछड़े हुए नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने के) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—५ड

२—इस अधिनियम की प्रवृति उत्तर प्रदेश के कार्यों के सम्बन्ध में जन-सेवा (Public Services) तथा पदों (Posts) पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सभी विभागीय जांचों (Departmental enquiries) में होगी।

परिभाषा

३—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में जब तक कोई बात प्रतिकूल न हो—

(क) "ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल" का तात्पर्य डिसिप्लिनेरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल) रूल्स, १९४७ के अधीन संघटित ट्रिब्युनल से है।

(ख) "सरकार" का तातपर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ग) "विभागीय जांच" (Departmental enquiry) का तात्पर्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जांच से है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन बने किसी विधि या नियम अथवा अनुच्छेद ३१३ के अधीन जारी रक्खे गये किसी नियम के अधीन और अनुसार, की जाय।

(घ) "जांच करने वाले अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो किसी व्यक्ति के आचरण (Conduct) के सम्बन्ध में विभागीय जांच के परिचालन के लिए सरकार द्वारा या सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी (Authority) द्वारा नियुक्त किया गया हो, और इसके अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिसको अन्यथा इस प्रकार जांच करने का अधिकार हो।

जांच करने वालेअधिकारी के अधिकार और प्रसर (Process)की आज्ञा पालन न करने के लिये शास्ति (Penalty) ऐक्ट ३७, १८५०।

४—(१) साक्षियों को बुलाने और लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए वाध्य करने में जांच करने वाले अधिकारी अथवा ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के वही अधिकार होंगे, जो पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, १८५० की धारा ८ के अधीन कमिश्नर को प्राप्त हैं।

(२) उक्त ऐक्ट की धारा ९ के उपबन्ध जिनमें प्रसर (Process) की आज्ञा पालन न करने के लिए शास्ति (Penalty) की व्यवस्था है, ऐसे प्रसर को भी, जो जांच करने वाले अधिकारी अथवा ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल द्वारा जारी किया गया हो, उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जिस प्रकार वे उपर्युक्त कमिश्नर द्वारा जारी किये गये इस प्रकार के प्रसर को प्रवृत्ति होते हैं।

नियम।

५—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) विधेयक, १९५३

सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाहियों में साक्षियों की उपस्थिति तथा लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए वाध्य करने का

विधेयक

प्रस्तावना।

उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में जनसेवा तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाहियों में साक्षियों की उपस्थिति और लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए वाध्य करने के निमित्त उपबन्ध करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम प्रवृत्ति तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी कार्य-क्रम के सम्बंध में सूचना

वित्त मन्त्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—यह गुजारिश है जनाब से कि अगर मुनासिब हो तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का जो बिल है उसे पहले ले लिया जाय और बाद में यह ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी इस समय सदन में हैं। अगर हमें कुछ आगे का प्रोग्राम मालूम हो जाय कि सदन कब तक बैठेगा तो हम भी अपना प्रोग्राम उसी प्रकार बनावें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—दो बिल हैं। आज अगर ये खत्म हो जायं, तब तो फिर कल नानआफिशल डे होकर खत्म हो जायगा। फिर इस तरफ बैठक नहीं होगी। यह सेशन खत्म हो जायगा। अगर आज कुछ रह जाय तो कल फिर नानआफिशल खत्म होने के बाद ५ बजे से ७, ८ बजे तक जब तक बिल खत्म न हो जायं, तब तक हम और बैठेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—शनिवार को न बैठ जायं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—बिल कोई झगड़े के नहीं हैं। मैं समझता हूं आज ही खत्म हो जायंगे।

*उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, सरकारी इलाकों में तथा कालोनाइजेशन क्षेत्रों में कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से जमीनों पर कब्जा कर लिया है। कुछ तो इस प्रकार कि जितनी जमीन उनको पट्टे पर दी गयी उससे अधिक रकबे पर कब्जा कर लिया। कुछ ऐसे भी हैं, कि पट्टा किसी दूसरे को दिया गया, लेकिन कब्जा किसी दूसरे ने कर लिया और कुछ ऐसे हैं कि पट्टे के अन्दर जो शर्तें दी गयीं उनका पालन न करके उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो ऐसी हालत में उन जमीनों से उनको बेदखल कर के उनसे कब्जा ले लिया जाय, इसके लिए आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि इस प्रकार का विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया जाय, कि उन जमीनों से उन्हें जल्द से जल्द बेदखल किया जा सके। वैसे कानून के अन्दर अब तक जिस प्रकार के बेदखल करने की बातें हैं उनको अगर अमल में लाया जाय तो बहुत समय लग सकता है। इसलिए जनहित का ध्यान करते हुए कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बेदखल कर दिया जाय यह आवश्यक है कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाय। इसके लिए जहां तक उसूल की बात है, वहां पहले ही इस सदन ने सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ में इसी प्रकार का एक कानून पास किया है जिसके जरिये से अगर सरकारी इमारतों पर कोई नाजायज तरीके पर कब्जा कर लिया हो तो उससे कब्जा लिया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया भी उन सरकारी मकानों की भांति होगी जिन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, उसके लिए जो अधिनियम इस सदन द्वारा पास हो चुका है, उसमें उसकी प्रक्रिया है। उसमें मकानों की बात है और इसमें जमीन की बात है। इसकी प्रक्रिया भी उसी के समान है। इस लिए इस आशय से कि जिन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है उन पर से लोगों को बेदखल किया जाकर कब्जा हासिल किया जाय, यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय नारायण दत्त जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री गेंदा सिंह (जला देवरिया)— माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। इस प्रस्ताव को रखने के लिए मैं इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि मैं यह समझता था कि जब माननीय राजस्व मन्त्री जी इस विधेयक को सदन के सामने उपस्थित करेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार वे हमें पूरी जानकारी इस बात की देंगे कि यह विधेयक क्यों लाना पड़ा है, लेकिन जो भाषण हमने माननीय राजस्व मन्त्री जी के सचिव महोदय का सुना उससे यह बात स्पष्ट नहीं हुई। हम यह नहीं जान सके कि कहां पर सरकारी जमीनों पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, और कब कब्जा किया है तथा किसे बेदखल किया जा रहा है, येसब बातें हमें नहीं बतायी गयीं। जब सदन को कोई बात ही नहीं बतायी जाती है तो सदन के माननीय सदस्यों को अंधेरे में टटोलना पड़ता है। हम यह नहीं कह सकते कि यह जौनपुर में हुआ है या कि नैनीताल जिले में हुआ है जैसा कि माननीय सचिव के संकेत से मालूम हुआ है आशा है माननीय नारायण दत्त जी

*२५ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

को मेरी इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। केवल इतनी बातों से काम नहीं चल सकता। बेहतर तो यह होता कि हमें इस प्रकार की सूचना दे दी जाती कि सरकार किस प्रकार जमीन से बेदखल की गयी है। हमें इस बात को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि सरकार बेदखल हो रही है और अफसोस भी। ऐसी मजबूत उत्तर प्रदेश की सरकार और जिसके राजस्व मन्त्री माननीय चरण सिंह जी जैसे हों ऐसी सरकार की जमीन बेदखल होती चली जा रही हो, यह जानकर आश्चर्य होता है। बेदखल जो लोग थे और जिनको जमीन मिलने की कोई आशा नहीं थी, माननीय राजस्व मन्त्री जी की कृपा से उनको जमीन कानून बना कर दिलवा दी गयी है और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जमीनों से बेदखल की जा रही है, यह सुन कर आश्चर्य होता है। हम जानना चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून क्यों बनाया जा रहा है। पहले जब कोई कानून बना तो राजस्व मन्त्री ने हमें यह बताया कि कुछ मुकदमों के सिलसिले में अदालतों के कुछ फैसले हुए हैं उनकी वजह से यह कानून बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार में हमें कोई ऐसी बातें नहीं बतायी गयीं।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अंधेरे में टटोलना शुरू करता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मामला नैनीताल जिले का नहीं है? नैनीताल के जिले में मैंने सुना है कि कुछ लोग बाहर से आकर के कब्जा कर लिया और वे काफी वर्षों से कब्जा किये बैठे हैं। उसकी जानकारी सरकारी अधिकारियों को थी, लेकिन इस बीच में अधिकारी चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। और आज इतने वर्षों बाद इस प्रकार का क़ानून बना कर सरकार उन्हें केवल बेदखलकरना चाहती है। हम नहीं जानते कि वे किस प्रकार के लोग हैं। शिकायत हमने भी सुनी है कि कुछ और सूबे के लोग आ गये हैं और उन्होंने वहां के पुराने वाशिन्दों को निकाल बाहर किया और उनकी जमीनें उनसे छीन लीं। मैं नहीं समझता कि उस वक्त इस उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती रही? क्या उस वक्त कोई अमलदारी नहीं थी? क्या उस वक्त वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी? क्या उस वक्त वहां के नैनीताल के कलेक्टर साहब और नैनीताल व किछा के इलाके में जो कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट है वहां के अफसर नहीं थे? उन्होंने क्यों क़ब्जा होने दिया? हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार रांड तो नहीं है? रांड और बेवा की जमीन पर भी कोई क़ब्जा नहीं करने पाता है। सरकार उसका पहरेदार बनती है। लेकिन सरकार की जमीन पर उन्होंने तीन चार व क़ब्जा कर लिया है और अब तीन वर्ष के बाद सरकार इस तरह का एक विधेयक लाकर उनको बेदखल करने का अधिकार चाहती है, क्या मजाक है? मैं नहीं जानता कि जो पांच सात वर्ष से बस हुये हैं और वहां पर खेती करते हैं, वहां पर बाल-बच्चे पैदा करते हैं और वे अपने को समझते हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं और अब अगर उनको ५ वर्ष के बाद बेदखल करने की बात सोचते हैं तो उनको शिकायत हो सकती है और वे कह सकते हैं कि आप हमें क्यों बेदखल कर रहे हैं। शायद माननीय राजस्व मंत्री जी को याद होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सारे हिन्दुस्तान के लिये एक कुमारप्पा इंक्वायरी कमेटी, ऐग्रीकल्चर के संबंध में बैठायी थी और उस कुमारप्पा इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सबसे अधिक जोर इस पर दिया कि ६ वर्ष से अधिक किसी का किसी जमीन पर क़ब्जा होने पर उसे उस जमीन से बेदखल नहीं करना चाहिये। तो अगर ६ वर्ष पूरा हो गया है काबिज हुए, तो इस तरह का विधेयक आप क्यों लाते हैं? हमें माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह भी नहीं बतलाया कि वे ६ वर्ष से, ८ वर्ष से बैठे हुये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि जब वे खानबदोशों की तरह सूबे को पार करके आये, नैनीताल, मुजफ़्फ़रनगर और सहारनपुर जिले को पार करके आये तब तो उनसे किसी ने पूछा नहीं, इतना ही नहीं वहां आकर के जब उन्होंने जमीन पर क़ब्जा कर लिया तब किसी ने नहीं पूछा और जमीन पर क़ब्जा करके इस वक्त तक वे उस पर फ़सल पैदा करते रहे तब भी किसी ने नहीं पूछा। अब मालूम हुआ है कि उनसे लगान लेना है, इसलिये उनको बेदखल करने की बात आती है। अफसोस होता है मुझे यह कहते हुये कि वे लगान भी नहीं

[श्री गेंदा सिंह]

देते हैं, मालगुजारी भी नहीं देते हैं। अगर उन्होंने मालगुजारी नहीं दी तो यह सरकार का मालगुजारी विभाग क्या कर रहा है ? क्यों नहीं मालगुजारी वसूल हुई ? जो किसान हाथ जोड़कर कहता है कि हम आज नहीं कल मालगुजारी देंगे, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि आज दे सकें, हमें इजाजत दे दीजिये क्योंकि हम आज नहीं दे सकते हैं इसलिये एक महीने का, दो महीने का मौका दीजिये, हमारे बच्चे घर में भूखों मर रहे हैं इसलिये मेहरबानी करके मौका दीजिये तो हमारा राजस्व विभाग कुछ सख्ती करके, सब धाराओं और नियमों का उल्लंघन करके उसको कैद करता है, उसे गिरफ्तार करता है और उसे बन्दर की तरह घुमाता है। लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से कहता हूं कि जो लोग इतने वर्षों से कब्जा किये हुये हैं और मालगुजारी भी नहीं देते, उसके लिये कहां कानून है, उसके लिये कहां अमन है और उसके लिये कहां ला ऐंड आर्डर है ? तो मैंने किसी तरह से सुन लिया है कि राय बख्शी लोग नैनीताल में माननीय नारायणदत्त जी के इलाक में बस गये और उन्होंने कुछ जमीन पर क़ब्जा किया है। मुझे इस बात की सख्त शिकायत है कि जिस वक्त वह आये सरकारी जमीन पर क़ब्जा किया उस वक्त तो सरकार सोई रही और अब जब ४,५ वर्ष उन्हें आबाद हुये हो चुके और उनकी अब खाना-बदोशी नहीं है तो उनको उस जमीन से हटाने की आज समस्या है और उसके लिये हमारे सामने सरकार एक विधेयक लाती है। कल सरकार कहेगी कि अब ये हटाने से नहीं हटते और इनके उजाड़ने के लिये कोई विशेष कानून बनाओ और कोई उपाय किया जाय या उनको वहां से हटा कर किसी दूसरी टेरीटरी में रखा जाय। क्या इस तरह के कानून की हम उम्मीद करें और अगर इस तरह से कानून आया करें तो सरकार के लिये यह शोभा की बात नहीं है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह सुना है कि कुछ पोलिटिकल सफरर्स को जमीन दी गयी और सही है पोलिटिकल सफरर्स को जमीन देने के लिये ही वहां पर जमीन आबाद करायी गई और ग्रो मोर फूड कैम्पेन के सिलसिले में लाखों करोड़ों और मालूम नहीं कितना रुपया खर्च किया गया और जमीन को आबाद कराया गया और उसमें बहुत से लोगों को जो पोलिटिकल सफरर्स का सर्टीफिकेट हासिल कर सके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से उनको वह जमीन मिली। मैंने यह भी सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने फर्जी पोलिटिकल सफरर्स के सर्टीफिकेट्स बना लिये। उसी तरह से टाइप करा लिया और उसी तरह से दस्तखत करवाये दूसरे लोगों के सर्टीफिकेट्स को देख करके और सर्टीफिकेट के आधार पर लोगों ने जमीन हासिल कर ली। वे पोलिटिकल सफरर्स भी कई कैटिगरी के थे। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सच-मुच पोलिटिकल सफरर्स थे और ऐसे लोग भी थे जो पोलिटिकल सफरर्स नहीं थे। और वे सन् ५२ के पोलिटिकल सफरर्स थे क्योंकि सचमुच उन्होंने सन् १९५० में उसी वक्त पोलि-टिकल सफरर्स होने का सर्टीफिकेट हासिल कर लिया था। उनकी एन्क्वायरी करायी गई या नहीं कराई गई लेकिन वह मान लिये गये कि पोलिटिकल सफरर्स हैं और उनको जमीन दे दी गयी यह सब कुछ हुआ। यह सब होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यह बात कोई आज हम इस सदन के सामने नहीं कह रहे हैं। मालूम नहीं कितनी मरतबे इस सदन में भी और इससे बाहर भी माननीय सदस्यों के मुंह से मैंने सुना है। लेकिन इसके बाद भी कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट का जो डाइरेक्टोरेट है वह तमाशा देखता रहा और जो इस तरह से पोलिटिकल सफरर्स ग़लत लोग थे न उनको सही करने की कोशिश की और न उस जमीन को लेने की कोशिश की।

श्री अध्यक्ष—असंगत हो रहा है।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मजबूरी है। हम तो अंधेरे में टटोल रहे हैं कि कहां है यह जमीन ? अब मैं क्या करूं। इतना मुझे जरूर मालूम होता है कि मामला उसी तरफ का, पहाड़ का ही और इसीलिये मैं उसी तरफ की चर्चा कर रहा हूं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये विधेयक की आवश्यकता पर मैं कोई झगड़ा नहीं करता लेकिन हमको यह डर लगता है कि आगे अंधेरा है।

जब मैं सोचूं तो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचूं कि जो लोग जा करके किसी तरह से आबाद हो गये और उनके जीवन का कोई दूसरा जरिया नहीं है उनको उखाड़ने का यह थैंकलेस बड़ा भारी काम सरकार लेने जा रही है। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को बदखल कर के आज सरकार कोई बहुत बड़ा काम कर लेगी। मैं अगर यह समझ पाऊं कि उनके वहां पर आबाद होने से कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, उनके वहां आबाद होने से सूबे की इकानामी बिगड़ती है या जमीन के बटवारे में गड़बड़ होती है या ला ऐन्ड आर्डर में गड़बड़ी होती है तो फिर इस बात पर विचार किया जा सकता है कि उनको वहां पर रहने दिया जाय या नहीं। एक बार आबाद हुये और बल्कि ला ऐन्ड आर्डर तो तब गड़बड़ होगा जब उनको वहां से उजाड़ा जायगा और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यह कहा जाता है कि जो बहुत देर से आये वहां पर अमन बिगाड़ने के लिये भेजे गये इसलिये उनके लिये यह विधेयक पास किया जा रहा है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इस विधेयक के जरिये से कुछ ऐसे लोग भी इसके शिकार हो जायं जो सचमुच डिजर्व करते हैं कि उनकी मदद की जाय। इस बिल के अन्दर अगर कोई सफाई होती तब तो मुझको शक करने की गुंजायश नहीं होती, लेकिन इस विधेयक में इसकी कोई सफाई नहीं है। मैं नहीं जानता कि किसी खास जाति के नाम पर या किसी खास कम्युनिटी के नाम पर कोई कानून बनाया जा सकता है। यह तो कानून के जो पंडित हैं वही बतला सकते हैं लेकिन मैं इस विधेयक का स्वागत करता यदि हमको यह विश्वास हो जाता कि जो लोग इस प्रदेश के वहां पर जाकर बसे हुये हैं वह पोलिटिकल सफरर हैं। या गलत पोलिटिकल सफरर हों उनको उजाड़ा नहीं जायगा। उनको वहां से उजाड़ कर कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। इस लिये इस विधेयक को अधिक समझने की आवश्यकता है और यह भी हो सकता है कि और बातों की वजह से भी इसका स्वागत किया जाय लेकिन यह तभी हो सकता है कि जब उसके ऊपर विचार करने का अवसर हो और वह विचार यहां पर सदन में नहीं हो पाता है यह हमारा अनुभव है। सरकार के लिये बड़ी परेशानी होती है अगर वह किसी संशोधन को यहां पर स्वीकार कर ले। इसलिये सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद कुछ संतोष के साथ और उदारता के साथ विचार करने का अवसर मिलता है और वह विचारपूर्वक हो सकता है। हो सकता है कि प्रवर समिति से आने के बाद कोई संशोधन न हो और कोई विवाद न हो और यह विधेयक पास हो जाय। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी बातों पर विचार करें। हो सकता है कि हमारी बातों से उनका मूड कुछ खराब हो गया हो, लेकिन मैं फिर भी उनसे निवेदन करूंगा कि आप भावुकता में न जायं। इसलिये मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह एक ऐसा बिल नहीं है कि जो कोई रुपये पैसे का मामला होता और जिसको जल्दी ही पास करने की जरूरत होती। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इसको वह प्रवर समिति में जाने दें और मैं यह समझता हूं कि फिर बहुत विवाद कम हो जायगा और हम लोगों का शक कम हो जायगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे माननीय मित्र ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि मेरे कथन के बाद वह मुझसे सहमत हो जायंगे। बेशक, अगर जिस समय यह प्रस्ताव पेश हुआ था उसी समय कुछ और तफसील के साथ अर्थात् यह कि वह कैसी जमीन है, किस इलाके में है और क्यों इस कानून के लाने की नौबत पेश आई यह अगर तफ़सील के साथ बतला दिया जाता तो मैं समझता हूं कि जो आशंका पैदा हो गई है वह शायद न होती।

जहां तक इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सवाल है मुझे इसमें भी कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस बिल का जो आशय है वह खब्त हो जायगा। पूरी तरह डिफ़ीट नहीं होता, लेकिन दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जितनी ही हम इसके बनाने में देर करते हैं, वर्ना मुझे कोई आपत्ति नहीं थी इसको प्रवर समिति में भेजने में।

जहां तक उस जमीन का संबंध है जिससे यह ताल्लुक़ रखता है वह जमीन ज्यादातर नैनीताल जिले में वाक़े है गवर्नमेंट स्टेट में और कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट में। कालोनाइजेशन विभाग में कुछ ऐसी जमीन है जिसको ट्रैक्टरों से तोड़ा गया था और उस पर ऐलाटीज क़ब्जा नहीं कर पाये

[श्री चरण सिंह]

और उस पर दूसरे लोगों ने क़ब्ज़ा कर लिया और अब उसको नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे भी कुछ गांव हैं पांच गांव, वहां के काश्तकार थे और वहां के वाशिन्दे मुसलमान लोग थे। सन् ४८ की बेचैनी के जमाने में वह पाकिस्तान चले गये थे लेकिन जब वह फिर वहां से लौट कर आये तो लोगों ने उनकी जमीन पर क़ब्ज़ा कर लिया था और वह उसको वापस नहीं दे रहे हैं। वह जमीन सरकार की है और वह सरकार के काश्तकार हैं लेकिन वह लोग जो पाकिस्तान से वापस आये उनका हक़ उस जमीन को वापस पाने का है क्योंकि गवर्नमेंट की नीति है और आदेश भी हैं कि उनको जमीन वापस दिलाई जाय लेकिन जिनका उस पर क़ब्ज़ा है वह उसे वापस नहीं दे रहे हैं। तीसरे लोग इस क़िस्म के हैं कि जो जमीन तोड़ी गयी थी वह उनको एलाट नहीं हुई थी और वह बिना एलाटमेंट के ही क़ब्ज़ा किये हुए हैं। इस तरह से काफ़ी लोग हैं। उनमें से ऐसे भी लोग हैं जो पंजाब से आये हुए हैं लेकिन वह रिफ्यूजीज की केटेगरी में नहीं आते हैं बल्कि ऐसे हैं जो ईस्टर्न पाकिस्तान से नहीं आये हैं बल्कि वेस्टर्न से आये हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वह वेस्टर्न पाकिस्तान से ही आये हों और उनका रेजिस्ट्रेशन न हुआ हो। गवर्नमेंट आफ इंडिया से हिदायतें हैं कि उन्हींको मदद दी जाय जो रिफ्यूजी रजिस्टर्ड हैं इसलिये भी उनको कोई हक़ वहां हासिल नहीं है। जहां तक गवर्नमेंट स्टेट का संबंध है वहां ऐसे भी लोग हैं जिनको जमीन बिना अख्तियार के प्रधानों ने दे दी है जब कि वह अख्तियार केवल सुपरिन्टेन्डेंट खाम को ही था। अब वह लोग भी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे पटवारियों ने लगान भी ले लिया है जब कि उनको वह नहीं लेना चाहिये था। कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं कि जिनको कालोनाइजेशन विभाग ने एलाटमेंट कर दिया है जब कि उन लोगों को भी यह अख्तियार नहीं था बल्कि वह अख्तियार जैसा कि मैंने कहा सुपरिंटेंडेंट खाम को ही था। हो सकता है कि कुछ और क़िस्म की भी जमीनें हों जो इस वक्त मेरे बयान से रह गई हों। सवाल यह है कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत हुई और क्यों न उनसे जाब्ते से अदालत के जरिये से क़ब्ज़ा ले लिया जाय या गवर्नमेंट तो नागरिकों के मुकाबले में काफी पावरफुल है। हर सरकार उनके मुकाबले में शक्तिशाली होती है तो क्यों न उनसे जबरदस्ती क़ब्ज़ा ले लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब कोई शख्स किसी की जमीन पर क़ब्ज़ा कर लेता है तो फिर उससे क़ब्ज़ा जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। जो कि लाफुल ओनर है वह ट्रेसपासर को जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। कोई भी शख्स ट्रेसपासर से अपने स्वत्व की रक्षा में फोर्स इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे को उसकी जायदाद पर क़ब्ज़ा लेने से रोक सकता है। इसी तरह से जब आदमी किसी पर हमला करे तो अपनी जान की हिफाजत में हमलावर को मार सकता है। तो यह उसी वक्त है कि जब क़ब्ज़ा करे या हमला करे। लेकिन एक दफ़ा क़ब्ज़ा हो जाय तो फिर लाफुल ओनर उसको जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। जहां तक हमारे देश का संबंध है जो कानून किसी व्यक्ति के लिये है वही गवर्नमेंट के लिये है। चूंकि गवर्नमेंट की जायदाद और उस पर किसी ट्रेसपासर ने क़ब्ज़ा कर लिया है इसलिये गवर्नमेंट को अख्तियार हो कि वह पुलिस का दस्ता या फौज भेज कर क़ब्ज़ा कर ले यह नहीं हो सकता। कानून ऐसा नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट को भी अदालत दीवानी में, १८० की नालिश करनी होगी। जिसका मतलब यह है कि सब नालिशें अलग-अलग होंगी क्योंकि सब में वाक़यात और तारीखें अलग-अलग होंगी। इस तरह से सैकड़ों नालिशें गवर्नमेंट को करनी होंगी और उनमें अलग अलग शहादतें भी देनी होंगी। इस तरह से गवर्नमेंट के अफ़सरों का काम बहुत बढ़ जाता। इस तरह स पांच-पांच, छः-छः साल लग सकते हैं। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा और अफसरान का कितना वक्त जाया होगा और वैसे भी जमीन को वापिस लेने में बहुत देर लग जायगी। इस वजह से यह विधेयक पेश किया गया है।

मौर्य जी ने इधर कुछ संकेत किया था, मैं उसको और स्पष्ट करना चाहता हूं। यह विधेयक जिस आधार पर आश्रित है वह नया नहीं है। वह तो हाउस में पहले स्वीकार कर लिया गया है। मसलन सरकारी इमारतों पर किन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया था। मान लिया वहां

कोई राजकर्मचारी जाता है औरतें सामने आ जायं, बच्चों को सामने पटक दें, रोना धोना शुरू कर दें, उसके लिये गवर्नमेंट ने एक विधेयक यहां पेश किया था और उसको इस सदन ने मंजूर किया था। जिन उसूलों के मातहत वह विधेयक पास हुआ था बिलकुल वही उसूल हैं इसके। धारा ८ से लेकर १२ तक जो उसमें प्रोसीड्योर दिया गया है इस विधेयक में कहा गया है कि वही प्रोसीड्योर इसमें भी रहेगा। फर्क केवल इतना है कि वह इमारतों के लिये था और यह जमीन के लिये है। इसलिये यह कोई नया उसूल नहीं है। इस उसूल को विधान मंडल पहले ही मंजूर कर चुका है। तो अगर यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाता है तो उसमें यह होगा कि पता नहीं हाउस कब बैठे, मैं समझता हूं कि नवम्बर के आखिर में या दिसम्बर में बैठे तो इसके ऐक्ट बनने में देर हो जायगी और इतने में एक फसल और निकल जायगी। राज्यपाल जी के दस्त-खत होने में दो-चार महीने लग जाते हैं। ऐसी हालत में जब कि सदन इस उसूल को पहले ही मंजूर कर चुका है, मैं आपके जरिये इस सदन से अपील करूंगा कि इस पर अभी विचार कर लिया जाय और इसको पास कर दिया जाय। प्रवर समिति को यह मामला जाता तो मुझे खुशी होती, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि एक बिल जिस पर दोबारा ग़ौर करने की जरूरत थी उसके लिये गवर्नमेंट की तरफ से मोशन हुआ था कि इसको प्रवर समिति को फिर सुपुर्द किया जाय। यह कोई छिपाने की बात नहीं है, और मेरे मन में यह हरगिज नहीं है कि मुझे प्रवर समिति में भेजने में आपत्ति है। मुझे आशा है कि इन बातों से माननीय गेंदा सिंह जी को संतोष होगा और मुझसे सहमत होंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं क्योंकि आज यह प्रश्न नैनीताल ही में नहीं है बल्कि प्रान्त भर में है। जहां पर कि हमारे पोलिटिकल सफरर्स को सरकार ने जमीन दी है वहां पर भी जो विशेषाधिकारी लोग हैं, लठैत लोग हैं, उन्होंने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया है, और कोई कानून ऐसा नहीं है, जिससे हम उनसे जमीन लेकर उन ग़रीबों की मदद कर सकते। हमारे माननीय भाई गेंदा सिंह जी ने कहा कि मैं अंधेरे में टटोलता हूं, मैं उनको प्रकाश में लाना चाहता हूं कि जहां वह हमारे क्षेत्र में पहुंचते हैं, मांझा में मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज भी लठैतों ने लाठियों के जोर से सरकारी जमीन पर, जहां कि सरयू नदी बहती है, क़ब्ज़ा कर रखा है। यह जमीन सरकार की थी, पर आज वह सरकार के हाथ में नहीं है, और न हमारे गरीब हरिजनों के हाथ में है, न पोलिटिकल सफरर्स के ही हाथ में है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर अमल किया जाय और अगर पता लगाया जाय तो प्रत्येक जिले में हजारों बीघा जमीन ऐसी निकलेगी आज हमारे कितने हरिजन बन्धु हैं जिनके पास जमीन नहीं है। वह जमींदारों की जमीन जोतते थे। आज जमीदार उन्हें अपने दरवाजे से दुरियाते हैं कि हमारी जमींदारी चली गई, हमारे पास जमीन नहीं है कि हम तुमको दें। जो जमीनें गांव सभाओं को मिलनी चाहिये थीं उन पर आज लठैत लोग अपनी लाठियों के जोर से क़ब्ज़ा किये हुए हैं। गांव सभाओं के पास भी वह जमीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें गांव सभाओं का सवाल नहीं है।

श्री शिवनारायण—जी हां, मैं सरकारी जमीनों के लिये ही कहना चाहता हूं। हमारे बस्ती में भी एक बड़ी भारी जगह ऐसी है जो सरकारी जमीन है पर जिसे कुछ और लोग जोतते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उनसे वह जमीन ले ले और सही माने में जो गरीब आदमी हैं उनको वह जमीन जोतने के लिये दे। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं चाहूंगा कि मांझा के इलाके में भी जो जमीन सरकारी है सरकार उस पर क़ब्ज़ा कर के ग़रीबों को बांटे। इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत से लोगों ने लगान नहीं दिया है। गेंदा सिंह जी सुन लें, कानून जरूर बना हुआ है लेकिन अगर वह लगान नहीं देते तो उनके लिये गवर्नमेंट की निगाह होना जरूरी है और इसलिये यह बिल बहुत आवश्यक है। माननीय तिवारी जी को तो और भी खुश होना चाहिये कि उनके नैनीताल के लिये जो ग़रीब लोग नैनी-

[श्री शिवनारायण]

ताल में हैं उनको इससे जमीन दिलाने की कोशिश की जायगी। मैं समझता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बिल बहुत ही उचित है और आवश्यक है और ठीक समय पर आया है। इसमें देर करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रवर समिति में भेजने से यह साल भी चला जायगा और इससे जो लाभ होने वाला है उसमें और भी देर होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज तक एक साधारण व्यक्ति की बेदखली के लिये वही नियम हैं और सिविल प्रोसीज्योर कोड और यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के मुताबिक़ उसके लिये यह लाजिमी था कि उसकी शरण में जाकर नियम के अनुसार किसी को बेदखल कर सके। लेकिन सरकार इस विधेयक द्वारा एक ऐसा प्राविजन चाहती है जिससे कि नैनीताल के कुछ लोगों को अगर पुलिस और फ़ौज द्वारा उनको बेदखल न किया जाय तब भी एक तरह से जबर्दस्ती से और एक दूसरे रास्ते से उनको बेदखल किया जा सके। श्रीमन्, कुछ आश्चर्य होता है कि नैनीताल एक ऐसा जिला है कि जहां पर उसमें कुछ न कुछ विशेषता हुआ करती है। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी का हमारे नारायण दत्त जी इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि ऐसी भूमि नैनीताल ही में है तो क्या ऐसी छोटी सी चीज के लिये यह मुमकिन नहीं है कि वह दफ़ा १८० द्वारा किसी नियम के अधीन ऐसा कर सकें। यह मैं मानता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर पास करना हो तो अभी पास कर दें या रिजेक्ट कर दें। प्रवर समिति में समय नष्ट होगा। प्रवर समिति में भेजने से तो सिवाय समय नष्ट होने के और कोई लाभ नहीं हो सकता।

परन्तु जहां तक इसके सिद्धांतों का प्रश्न है मैं उनके विरोध में हूं और माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि वे यह क्यों भूल जाते हैं कि जब वे एक जगह यह कहते हैं कि नियम जो है वह सरकार के लिये और साधारण व्यक्ति के लिये एक है तो फिर और नियम बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी है, उसी नियम से आप भी बेदखल कर सकते हैं। इसके क्या माने हैं कि जिससे आपके हितों की पूर्ति नहीं होती है उसके विरोध में आप बीसों दलीलें पेश करते देते हैं। यह ठीक है कि आप बड़े वकील रह चुके हैं और इस प्रकार की दलीलें देने में माहिर हैं और जो चाहें वह साबित कर सकते हैं। परन्तु इसकी कोई वजह नहीं मालूम होती कि एक तरफ आप एक चीज कहें और दूसरी तरफ आप दूसरी चीज कहें यह दोनों बातें असंगत हैं।

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, कि अगर यह समाप्त नहीं होता है तो कल असरकारी कार्य के बाद पांच बजे यह लिया जायगा, क्या मैं यह समझूं कि यही राय कायम है, या माननीय सदस्य इस वक्त यह चाहते हैं कि इसको आज ही समाप्त कर दिया जाय। माननीय राजनारायण जी की क्या राय है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, आज हम लोग १० बजे से बैठे हुए हैं, आज तो कुछ होना नहीं चाहिये। कल अगर आवश्यक समझा जायगा तो इस पर विचार किया जायगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, शायद कोई दूसरी परिस्थिति पैदा हो जाय, इसलिये कल के लिये कुछ अभी भी तय न किया जाय तो अच्छा है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं जनाब के जरिये यह याद्दिहानी कराना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यह शायद फरमाया था। उपाध्याय जी

उस वक्त तशरीफ रखते थे, राजनारायण साहब शायद नहीं थे कि यह जो दो बिल बाकी हैं यह अगर आज खत्म नहीं होते तो कल नानआफिशल बिजिनेस खत्म होने के बाद दो घंटे या तीन घंटे जितनी देर भी बैठना पड़े, बैठा जाय और इनको खत्म किया जाय। यह मामला उनके फरमाने के मुताबिक किसी फैसले पर मुनहसिर नहीं है। जहां तक उपाध्याय जी का ताल्लुक है उन्होंने उस बात को स्वीकार भी किया था जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इरशाद फरमाया था। तो मैं यह समझता हूं कि यही फैसला है क कल हम पांच बजे के बाद जब नानआफिसियल बिजनेस खत्म हो जाय तब इन बिलों को खत्म करके उठें।

श्री अध्यक्ष—जो उन्होंने फरमाया था वह तो मालूम ही है लेकिन, अगर आज खत्म करना हो तो वैसी राय मालूम हो जाय।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—अगर आप की और श्री राजनारायण जी की राय हो तो हमें एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपकी राय नहीं है कि आज ही कार्य समाप्त हो तो वह जो पहले राय थी वही रहेगी। कल माननीय मुख्य मंत्री जी और विरोधी दल के नेता बात करके कोई और अन्य तजवीज निकालें तो वह बात दूसरी होगी और आप उसे कल पेश कर सकते हैं। आज बहरहाल आप नहीं चाहते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२७ अगस्त, १९५३।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ व १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६९ पर)

गन्ने के मूल्य में छूट का विवरण

क्रम-संख्या	मिल का नाम	गन्ना सेन्टर का नाम	छूट की दर प्रति मन	किस तारीख से छूट दी गई	बचत जो मिलों को हुई
१	काशीपुर	१—पिपलसना २—रोशनपुर	०—४—०	२८—४—५२	१७,९४८—८—०
		३—जसपुर	०—२—०	२३—४—५२	
२	बरेली	१—गेट २—रसोइया ३—ऐसुआ ४—पीताम्बरपुर ५—बिलरपुर	०—४—०	२९—४—५२	६,२१४—३—०
		६—कटरा ७—तिलहर	०—४—०	३०—४—५२	
३	मसोधा	१—सफदरगंज २—रसोम्बली	०—३—०	१६—४—५२	२७,७२१—१५—६
४	धामपुर	१—शेरकोट २—मुबारकपुर ३—खिजरपुर ४—पहा	०—४—०	२८—४—५२	४,५३३—४—०
५	सिवारा	१—कांठ २—मलतबपुर ३—अधवानपुर	०—४—०	२८—४—५२	७,०७९—४—१
६	मोबीनगर	१—गेट	०—३—०	१५—४—५२	१,२६,७८६—१०—०
		२—गुलधर ३—दसना ४—ककरा	०—४—०	,,	
		५—ईसापुर	०—३—०	,,	
		६—फरीद नगर	०—४—०	,,	
७	सिधौली	१—गेट (५६ गांवों के लिये)।	०—४—०	२५—४—५२	२९,४४०—१०—६
		२—गढ़ (११ गांवों के लिये)।	,,	,,	
		३—कुभसार (६ गांवों के लिये)।	,,	,,	

विधान सभा

क्रम-संख्या	मिल का नाम	गन्ना सेंटर का नाम	छूट की दर प्रतिमन	किस तारीख से छूट दी गई	बचत जो मिलों को हुई
८	डौराला	१—गेट २—सरधना ३—कलांद ४—नानूं ५—भूनी	०—६—०	२५—४—५२	७४,९२४—१४—९
९	महीउद्दीनपुर	१—गेट (२० गांवों के लिये)	०—४—०	१५—४—५२	२१,२६८—४-००
१०	सलोती टांडा	१—गेट (३० गांवों के लिये)	०—४—०	१३—४—५२	४३,५००—०—०
११	रामपुर	१—मोंदा पांडेय २—दलपतपुर	०—४—०	२८—४—५२	१४,७३७—१०—०
		३—भिटमा ४—धनेता ५—नगरिया सावत	०—४—०	२९—४—५२	
१२	बिसवां	१—महमूदाबाद २—पैंतापुर ३—फतहपुर	०—४—०	२३—४—५२	१०,८६६—१४—०
१३	बहेरी	१—गेट	०—४—०	२९—४—५२	८,४५०—९—६
		२—भोजीपुरा	०—४—०	२८—४—५२	
		३—आटामांडा	०—४—०	,,	
		४—देवरानियां	०—४—०	,,	
१४	जरवल रोड	१—सरयू	०—३—०	२६—४—५२	३,४८६—३—०
		२—कर्नेल गंज		१०—४—५२	
		(नवाबगंज फैक्ट्री का)	०—२—०		
१५	अमरोहा	१—हकीमपुर	०—४—०	२८—४—५२	—
		२—कैलाशा	,,	,,	
		३—कुफुर पुर	,,	,,	
		४—गजरौला	,,	,,	
		५—शेरपुर	,,	,,	
		६—बनामा	,,	,,	
		७—कंकाठेर	,,	,,	
		८—बुरहानपुर	,,	,,	
		९—जनकपुर	,,	,,	
		१०—हसनपुर	,,	,,	
		११—मालीपुर	,,	,,	
		१२—बिलना	,,	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	मिल का नाम	गन्ना सेन्टर का नाम	छूट की दर प्रति मन	किस तारीख से छूट दी गई	बचत जो मिलों को हुई
१६	बिलारी	१. संभल	०–४–०	२८–४–५२	६,९२८–४–०
		२. सिरसी	,,	,,	
		३. कुन्दरकी	,,	,,	
		४. जनगांव	,,	,,	
		५. अफरोली	,,	,,	
		६. सेवन्दरा	,,	,,	
		७. डोंघर	,,	,,	
		८. चंदौसी	,,	,,	
		९. मझौला	,,	,,	
		१०. बहजोई	,,	,,	
		११. गचरिया	,,	,,	
		१२. मनगांव	,,	,,	
		१३. आसफपुर	,,	,,	
		१४. डबतारा	,,	३०–४–५२	
		१५. करोंगी	,,	,,	
			कुल		४०३,८८७–२–४

GOVERNMENT GAZETTE OF THE UTTAR PRADESH
PUBLISHED BY AUTHORITY

EXTRAORDINARY

LUCKNOW, SATURDAY, MAY 24, 1952.

OFFICE OF THE CANE COMMISSIONER UTTAR PRADESH
No. 2885

Dated Lucknow, May 24, 1952.

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of clause 3 read with clause 11 of the Sugar and Gur Control Order, 1950, and in exercise of the powers delegated to me by the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, Notification no. SV-101(1-1)/51-52 dated April 15, 1952, and for the reason that a substantial quantity of cane remained standing and unsold on the 1st of May, 1952. I, A.D. Pant Cane Commissioner, Uttar Pradesh, hereby allow, in the interest of the growers the deduction as specified in column 2 of the Schedule hereto annexed and fix the price specified in the corresponding entry of column 3of the Schedule as the minimum price tobe paid by a producer of sugar by vacuum pan process or his agent for sugarcane purchased on or after May 1, 1952.

By Order,

A. D. PANT,

Cane Commissioner, Uttar Pradesh.

U.P. GAZETTE EXTRAORDINARY, MAY 24, 1952.
SCHEDULE

Weekly average recovery per cent.	Deduction allowed per maund of cane	Net cane Price per maund to be paid to the growers
	Rs. a. p.	Rs. a. p.
9·5	0 1 0	1 11 0
9·4	0 1 6	1 10 6
9·3	0 1 9	1 10 3
9·2	0 2 3	1 9 9
9·1	0 2 9	1 9 3
9·0	0 3 0	1 9 0
8·9	0 3 6	1 8 6
8·8	0 3 9	1 8 3
8·7	0 4 3	1 7 9
8·6	0 4 9	1 7 3
8·5	0 5 0	1 7 0
8·4	0 5 6	1 6 6
8·3	0 6 0	1 6 0
8·2	0 6 6	1 5 6
8·1	0 6 9	1 5 3
8·0	0 7 3	1 4 9
7·9	0 7 6	1 4 6
7·8	0 8 0	1 4 0
7·7	0 8 6	1 3 6
7·6	0 8 9	1 3 3
7·5	0 9 3	1 2 9
7·4	0 9 6	1 2 6
7·3	0 10 0	1 2 0
7·2	0 10 6	1 1 6
7·1	0 10 9	1 1 3
7·0	0 11 3	1 0 9
6·9	0 11 9	1 0 3
6·8	0 12 3	0 15 9
6·7	0 12 6	0 15 6
6·6	0 13 0	0 15 0
6·5	0 13 3	0 14 9
6·4	0 13 9	0 14 3
6·3	0 14 3	0 13 9

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Weekly average recovery per cent.	Deduction allowed per maund of cane	Net cane Price per maund to be paid to the growers
	Rs. a. p.	Rs. a p.
6·2	0 14 9	0 13 3
6·1	0 15 0	0 13 0
6·0	0 15 6	0 12 6
5·9	0 15 9	0 12 3
5·8	1 0 3	0 11 9
5·7	1 0 9	0 11 3
5·6	1 1 0	0 11 0
5·5	1 1 6	0 10 6
5·4	1 1 9	0 10 3
5·3	1 2 3	0 9 9
5·2	1 2 9	0 9 3
5·1	1 3 0	0 9 0
5·0	1 3 6	0 8 6

Note:—(1) The prices will be calculated for each factory on the basis of average weekly recoveries for each week.

(2) Variations in recoveries up to 0·05 will be ignored and above that taken as 0·1 for purposes of calculating the minimum weekly cane price.

A. D. PANT,

Cane Commissioner, Uttar Pradesh.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर।)

अप्रैल, सन् १९५२ में किये गये ख़यानत की सूची

संघ का नाम	धनराशि जो खयानत की गई		
	रु०	आ०	पा०
१. स्यालदे	१०,०००	०	०
२. कपकोट	६,८७६	४	६
३. लोहारखेत	२,१००	०	०
४. सानीउडयार	२,६००	०	०
५. दुग	३३०	०	०
६. नाकुरी	१२६	०	०
७. खाराही	५८९	०	०
८. कांडे डफौट	३,६०२	०	०
९. रिघौआ	२,८४२	०	०
१०. दुवीधुरा	३,५७०	९	९
११. अजेड़ा	९५५	०	६
१२. नरुआघोल	२,०१३	३	९
१३. गुआल तपोवन	२,२७६	१४	०
१४. कोआपरेटिव स्टोर बैरीनाग	३,७३६	९	३
१५. थलमली	७,७७२	९	३
१६. मल्ला लखनपुर	१,६२२	०	०
कुल योग	५१०१२	२	९

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७५ एल० ए०—१९५३—८५० ।